वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

सत्यमेव जयते

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
2013-14

सत्यमेव जयते

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**उपलब्धियों का सिंहावलोकन**	1-10
	पशुधन उत्पादन	
	मछली उत्पादन	
	सरकारी की पहल और राज्यों को सहायता	
	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	
	बरहवी पंचवर्षीय योजना	
	वार्षिक योजना, 2012-13 और 2013-14	
2.	**संगठन**	11-16
	संरचना	
	कार्य	
	अधीनस्थ कार्यालय	
	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	
	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	
	तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण	
	भारतीय पशुचिकित्सा परिषद	
	शिकायत कक्ष	
	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी	
	सतर्कता एकक	
	हिंदी का प्रगामी प्रयोग	
	पशुधन उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना	
	सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन	
	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्यों के लिए आरक्षण महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न को रोकना	
3.	**पशुपालन**	17-40
4.	**डेयरी विकास**	41-54
5.	**भारतीय मात्स्यिकी का सिंहावलोकन**	55-68
6.	**व्यापारिक मामले**	71
7.	**अनुसूचित जाति उप योजना (एस.सी.एस.पी.) एवं जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.)**	72
8.	**महिलाओं का सशक्तिकरण**	73
9.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	74
10.	**केरल राज्य के आत्महत्या संभावित इदुक्की और कुटटानड़ जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज**	75-76
11.	**परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)**	77-94

अनुबंध

I.	पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या -2007 पशुधन जनगणना	97
II.	प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन - संपूर्ण भारतीय	98
III.	2006-07 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान राज्यवार मछली उत्पादन	99
IV.	भारतीय समुद्री मात्स्यिकी संसाधन	100
V.	भारतीय अंतर्देशीय जल संसाधन	101
VI.	मत्स्य बीज उत्पादन	102
VII.	वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वित्तीय आबंटन और व्यय	103-105
VIII.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक चार्ट और प्रभागों के बीच कार्य आबन्टन	106
IX.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को आबंटित विषयों की सूची	107
X.	संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की सूची	108
XI.	पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा	109
XII.	2013-14 अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 तक के दौरान भारत में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केंद्रों की पशुधन उत्पादों और पशुधन स्टॉक की आयात निर्यात रिपोर्ट वर्ष	110-111
XIII.	वर्ष 2013 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का प्रजातिवार ब्यौरा	112-114
XIV.	''पशुधन बीमा'' योजना के तहत 300 चुने गए जिलों की सूची	115-117
XV.	लेखा परीक्षा पैरा	118

अध्याय 1

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

अध्याय 1

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

1.1 जब से सभ्यता प्रारम्भ हुई है, तब से कृषि सहित पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन से संबंधित कार्यकलाप मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बने रहे हैं। इन कार्यकलापों ने न केवल खाद्य और भारवाही पशु शक्ति में योगदान दिया है बल्कि इनसे पारिस्थितिकी सन्तुलन भी बनाए रखा गया है। सहायक जलवायु और स्थलाकृषि के फलस्वरूप, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्रों की भारत में महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक भूमिका रही है। पारम्परिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों का भी इन कार्यकलापों को जारी रखने में योगदान रहा है। ये कार्यकलाप लाखों लोगों को सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार का सृजन करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

1.2 पशुधन उत्पादन और कृषि परस्पर सम्बद्ध हैं और ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही समग्र रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। पशुधन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि का एक महत्वपूर्ण उप-क्षेत्र है। यह अधिकांश किसानों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण कार्यकलाप बन गया है, यह महत्वपूर्ण आदानों के रूप में खेती में सहायता कर रहा है, परिवार के स्वास्थ्य और पोषाहार में योगदान दे रहा है, आय को अनुपूरक कर रहा है, रोजगार के अवसरों की पेशकश कर रहा है, और अन्ततः जरूरत के समय यह भरोसेमंद खेती के पशुओं का बैंक है। यह सम्पूरक और अनुपूरक उद्यम के रूप में कार्य करता है।

1.3 एनएसएसओ के 66वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 2009 - जून, 2010) के अनुसार, सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति जमा सहायक स्थिति, उनकी प्रधान गतिविधि का ख्याल किए बिना) के अनुसार पशुपालन में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या 20.5 मिलियन है। सीमांत, छोटे और अर्द्ध-मझौले किसान की प्रचालनात्मक जोत (4 हैक्टेयर से कम क्षेत्र) का अपना लगभग 87.7 प्रतिशत पशुधन है। अतः पशुधन क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत अधिक इन्क्लूसिव है।

1.4 भारत में पशुधन और कुक्कुट के व्यापक संसाधन हैं जिनकी ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। 18वीं पशुधन संगणना के अनुसार देश में लगभग 71.6 मिलियन भेड़ें, 140.5 मिलियन बकरियां और लगभग 11.1 मिलियन सूअर हैं। अन्तर-संगणना अवधि (2003-2007) के दौरान पशुधन में पशुओं की संख्या और कुक्कुट की संख्या का प्रजाति-वार ब्यौरा तालिका 1.1 में दिया गया है।

तालिका 1.1- पशुधन और कुक्कुट की संख्या

क्र.सं.	प्रजातियां	पशुधन संगणना 2003 (संख्या मिलियन में)	पशुधन संगणना 2007 (संख्या मिलियन में)	वृद्धि दर (%)
1	गोपशु	185.2	199.1	7.5
2	भैंस	97.9	105.3	7.58
3	याक	0.1	0.1	27.69
4	मिथुन	0.3	0.3	-5.04
	कुल बोवाइन	**283.4**	**304.8**	**7.52**
5	भेड़	61.5	71.6	16.41
6	बकरी	124.4	140.5	13.01
7	सूअर	13.5	11.1	-17.64
8	अन्य पशु	2.2	1.7	-22.9
	कुल पशुधन	485	529.7	9.22
9	कुक्कुट	489	648.8	32.68

पशुधन की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

1.5 पशुधन उत्पादन

1.5.1 पशुधन उत्पादन और कृषि परस्पर सम्बद्ध हैं और ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही समग्र रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार, 2012-13 के दौरान पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य वर्तमान मूल्यों पर लगभग 5,37,535 करोड़ रुपए है जो कृषि, मात्स्यिकी और वन क्षेत्र से वर्तमान मूल्यों पर मूल्य का लगभग 25.63 प्रतिशत और स्थायी मूल्यों (2004-05) पर 26.02 प्रतिशत है।

1.5.2 **दूध का उत्पादनः** भारत विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना रहा। पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन दसवीं योजना (2006-07) के अंत में 102.6 मिलियन टन से काफी अधिक बढ़कर ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत में 127.9 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। बारहवीं योजना (2012-13) के आरम्भ में दूध का उत्पादन 132.43 मिलियन टन है और वार्षिक दर 3.54% है। 2012-13 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 296 ग्राम प्रति दिन है। 2005-06 से 2012-13 तक दूध का उत्पादन निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

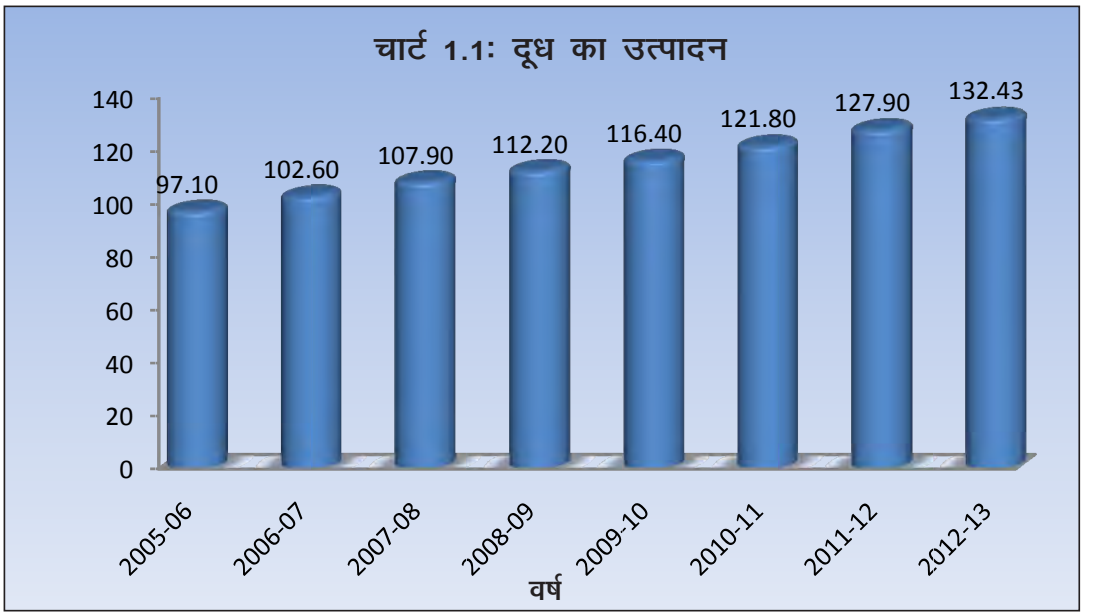

1.5.2.1 **दूध की औसत उत्पादन दरः** 2012-13 के दौरान विभिन्न प्रजातियों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पशु प्रति दिन दूध का औसत उत्पादन नीचे दिया जाता है:

तालिका 1.2: दूध की औसत उत्पादन दर

अन्य स्थानिक/ संकर गाय (किलोग्राम/ दिन)	देशी/नॉन-डिस्क्रिप्ट (किलोग्राम/ दिन)	भैंस (किलोग्राम/ दिन)	बकरी (किलोग्राम/ दिन)
7.02	2.36	4.80	0.43

1.5.3 **अंडा उत्पादनः** भारत में कुक्कुट उत्पादन में पिछले चार दशकों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह अवैज्ञानिक कृषि पद्धति के स्थान पर उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली के रूप में परिवर्तित हो गया है। दसवीं योजना (2006-07) के अन्त में अंडों का उत्पादन 50.7 बिलियन था जबकि ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अन्त में यह 66.45 बिलियन था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के आंरभ में (2012-13) देश में अंडों का उत्पादन लगभग 4.94% की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 69.73 बिलियन है। 2012-13 के दौरान प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 57 अंडे

प्रति वर्ष है। कुक्कुट मांस उत्पादन 2.68 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2005-06 से 2012-13 तक देश में अंडों का उत्पादन निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

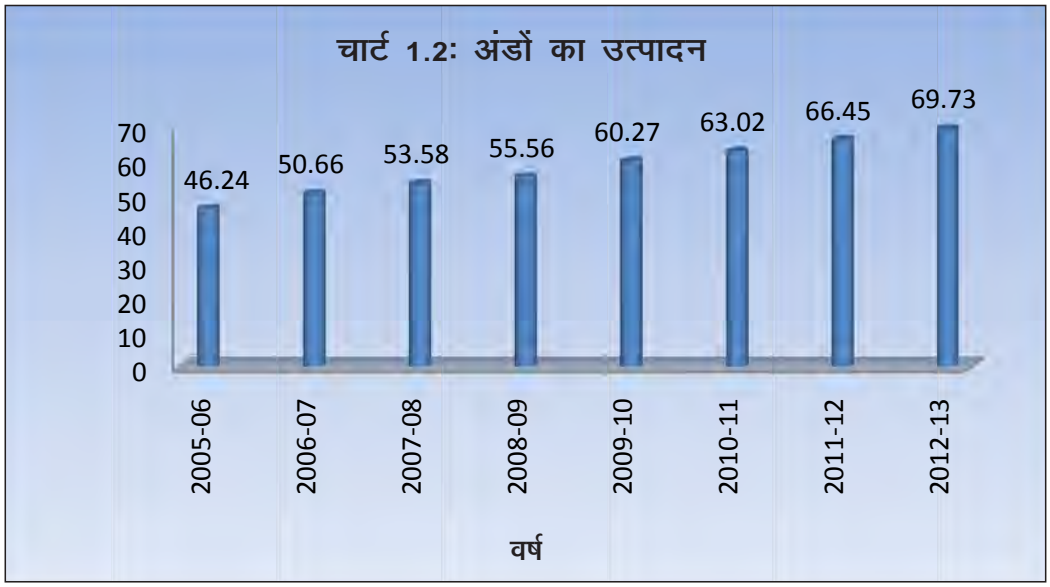

1.5.3.1 **अंडों की औसत उत्पादन दर:** 2012-13 के दौरान विभिन्न प्रजातियों से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष अंडों का औसत उत्पादन निम्नानुसार है:

तालिका 1.3: अंडों की औसत उत्पादन दर

फाउल(संख्या/वर्ष)	बतख (संख्या/वर्ष)
206.88	116.32

1.5.4 **ऊन का उत्पादन:** दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) में ऊन का उत्पादन 45.1 मिलियन किलोग्राम था जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (2011-12) यह मामूली गिरकर 44.7 मिलियन किलोग्राम रह गया। बारहवीं योजना (2012-13) के आरंभ में ऊन का उत्पादन 46.05 मिलियन किलोग्राम है। 2012-13 में ऊन के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2.95% है। 2005-06 से 2012-13 तक ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

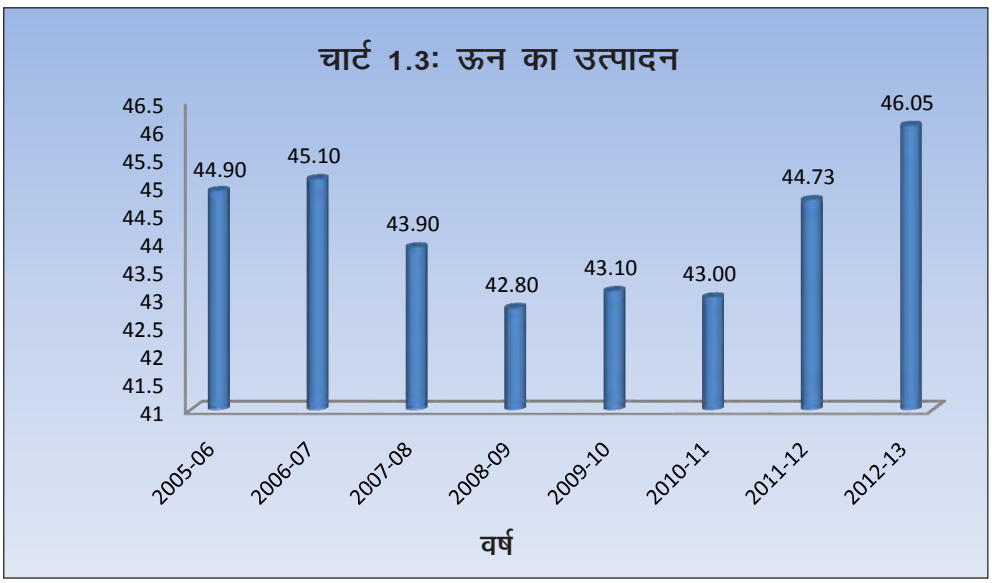

1.5.4.1 **ऊन की औसत उत्पादन दरः** 2012-13 के दौरान विभिन्न श्रेणी की भेड़ों से राष्ट्रीय स्तर पर ऊन का औसत उत्पादन निम्नानुसार हैः-

तालिका 1.4: ऊन की औसत उत्पादन दर

मेढ़ा/वैदर (किलोग्राम/ मौसम)	भेड़ (किलोग्राम/ मौसम)	मेमना (किलोग्राम/ मौसम)
1.09	0.73	0.42

1.5.5 **मीट उत्पादनः** दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (2006-07) मीट उत्पादन 2.3 मिलियन टन था जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में (2011-12) अत्यधिक बढ़कर 5.5 मिलियन टन हो गया। बारहवीं योजना (2012-13) के आरंभ में मीट का उत्पादन 5.95 मिलियन टन है। 2012-13 में मीट के उत्पादन के लिए वार्षिक वृद्धि दर 7.87% है। 2005-06 से 2012-13 तक मीट का उत्पादन निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया हैः

1.5.5.1 **मीट की औसत उत्पादन दरः** 2012-13 के दौरान विभिन्न प्रजातियों और कुक्कुट से राष्ट्रीय स्तर पर प्रति पशु/पक्षी का औसत उत्पादन निम्नानुसार हैः

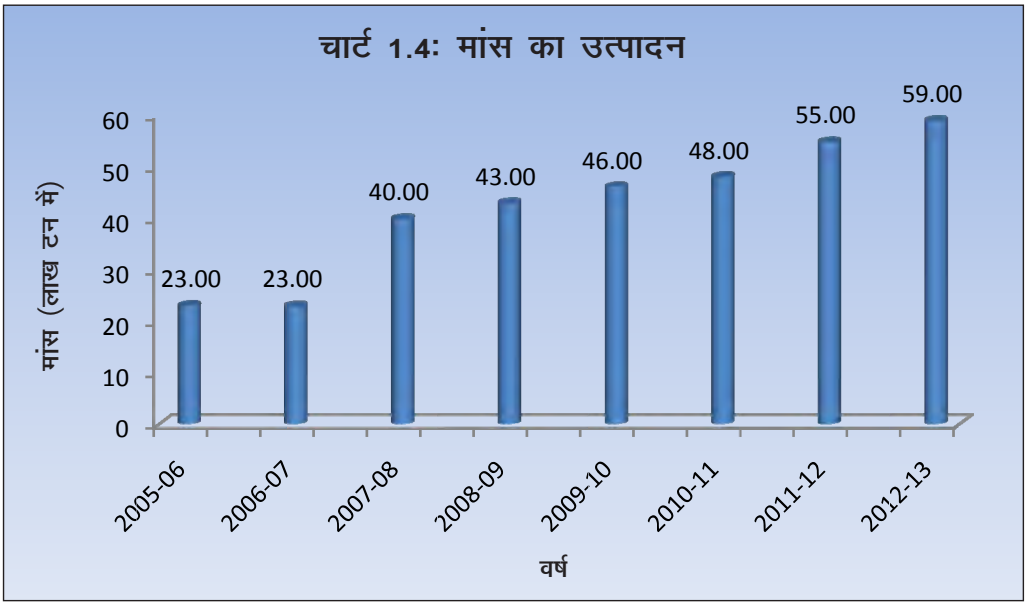

तालिका 1.5: मीट की औसत उत्पादन दर

गोपशु (कि-लोग्राम/ पशु)	भैंस (कि-लोग्राम/ पशु)	भेड़ (कि-लोग्राम/ पशु)	बकरी (कि-लोग्राम/ पशु)	सूअर (कि-लोग्राम/ पशु)	कुक्कुट (कि-लोग्राम/ पक्षी)
102.43	122.43	12.91	10.74	38.56	1.24

1950-51 से 2012-13 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन अनुबंध-II में दिया गया है।

1.6 मछली उत्पादन

1.6.1 अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त, लगभग 8,118 किलोमीटर की हमारी तटीय रेखा को देखते हुए देश में मात्स्यिकी की व्यापक संभाव्यता है। सीएसओ के अनुमानों के अनुसार, 2012-13 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य वर्तमान मूल्यों पर लगभग 91,541 करोड़ रुपए है जो कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादन के वर्तमान मूल्य का लगभग 4.36 प्रतिशत है।

1.6.2 भारत विश्व में मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व में ताजा जल में मछली के उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मछली का उत्पादन 1991-92 में 41.57 लाख टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 24.47 लाख टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 17.10 लाख टन) से बढ़कर 2012-13 में 90.40 लाख टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 33.21 लाख टन तथा अंतर्देशीय

मात्स्यिकी के लिए 57.19 लाख टन) हो गया है। मछली का उत्पादन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधन और अंतर्देशीय जल संसाधन अनुबंध-III, IV और V में दिए गए हैं और मछली के बीज का वर्षवार उत्पादन अनुबंध-VI में दिया गया है।

1.7 सरकार की पहल और राज्यों को सहायता

1.7.1 चूंकि पशुपालन, डेयरी औरे मत्स्यपालन सहित कृषि एक राज्य विषय है, इसलिए विभाग का जोर राज्य सरकारों का इन क्षेत्रों का विकास करने के प्रयासों को अनुपूरक करने पर रहा है। विभाग पशु रोगों, आनुवंशिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उन्नयन, पौष्टिक चारा और आहार की उपलब्धता मे वृद्धि, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत विकास तथा पशुधन और मात्स्यिकी उद्यमों के उत्पादन और लाभ प्रदता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

1.8 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

1.8.1 पशुधन क्षेत्र के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की संकल्पना का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए समग्र रूप से 6 से 7 प्रतिशत के बीच वार्षिक वृद्धि करने का है जिसमें दूध समूह के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक और मांस तथा कुक्कुट के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त की जाएगी। ग्यारहवीं योजना के दौरान पशुधन क्षेत्र से उत्पादन में वृद्धि लगभग 4.8 प्रतिशत प्रति वर्ष और मात्स्यिकी क्षेत्र से लगभग 3.6 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। विकास प्राप्त किया जाएगा।

1.8.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस विभाग को 8,174 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इसके प्रति, वर्षवार वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी जाती हैं:-

तालिका 1.6: 11वीं योजना के दौरान वर्षवार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग	बजट अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग
11वीं योजना (2007-12)	8174.00				
2007-08	910.00	810.00	784.09	96.80	86.16
2008-09	1000.00	940.00	865.27	92.05	86.53
2009-10	1100.00	930.00	873.38	93.91	79.40
2010-11	1300.00	1257.00	1104.68	87.88	84.98
2011-12	1600.00	1356.52	1243.11	91.64	77.70
कुल	**5910.00**	**5293.52**	**4870.53**	**92.01**	**82.41**

1.8.3 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के प्रस्तावित परिव्यय के अतिरिक्त, 11वीं योजना के दौरान आरकेवीवाई और एनएमपीएस के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए लगभग 5,406.38 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी।

1.8.4 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विभाग ने पशु रोगों पर नियंत्रण करने के अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए पशु अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना, राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिटिस रुमिनेंट्स (पीपीआर) नियंत्रण कार्यक्रम तथा खुरपका और मुखपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम का 54 जिलों से 221 जिलों तक विस्तार करने जैसे नए कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की हैं। चारे की कमी को पूरा करने के लिए, चारा और आहार योजना में कई नए घटक शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करते समय देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 11वीं योजना में डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना आरंभ की गई थी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभाग के लिए 14,179 करोड़ रुपए का आबंटन।

1.9 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

9.1 विभाग को बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग से सिद्धांत रूप में 14,179.00 करोड़ रुपए (जिसमें बाहरी सहायता के रूप में 1,584.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का आबंटन प्राप्त हुआ है। इसमें पशुपालन क्षेत्र के लिए 7,628 करोड़ रुपए, डेयरी क्षेत्र के लिए 4,976 करोड़ रुपए और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए 2,483.00 करोड़ रुपए, सचिवालय और आर्थिक सेवाओं के लिए 35.00 करोड़ रुपए और केरल के इडुक्की जिले में कुट्टानाड पारिस्थितिकी प्रणाली का विकास और कृषि संबंधी दबाव को कम करने हेतु विशेष पैकेज के लिए 51.00 करोड़ रुपए शामिल हैं।

1.9.2 पशुधन क्षेत्र, जिसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के मूल्य में लगभग 4.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई थी, की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक वृद्धि करने की बहुत ही अच्छी संभावना है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देश में प्रोटीन खाद्य की बढ़ी हुई मांग के कारण है जो अपेक्षाकृत अधिक इन्क्लूसिव भी है क्योंकि छोटी जोत के और भूमिहीन किसानों का पशुधन के स्वामित्व में प्रमुख हिस्सा है। इसी प्रकार, मात्स्यिकी उप-क्षेत्र, जिसमें पहले लगभग 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई है, में बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक वृद्धि हो सकती है।

1.9.3 पशुपालन क्षेत्रों में प्रमुख चुनौतियां पशु रोगों पर प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण, आहार और चारे की कमी, विविध आनुवंशिक संसाधनों का परिरक्षण करते समय नस्ल सुधार और प्रौद्योगिकी के सुधार, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए किसानों की दक्षता और गुणसम्पन्न सेवाओं के संबंध में हैं, जिनका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

1.9.4 विभाग ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अपने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनर्सरंचना की है और तदनुसार यह निम्नलिखित तरीके से वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से धनराशि आवंटित करता है:

(क) पशुधन क्षेत्र में वृद्धि में तेजी लाने के उद्देश्य से, राज्यों को किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करके इस क्षेत्र का सतत विकास करने के मुख्य उद्देश्य से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) आंरभ किया गया था। आहार और चारे की उपलब्धता और मांग के बीच अन्तर को पर्याप्त रूप से कम करने के लिए इनकी उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन में एक महत्वपूर्ण घटक शामिल होगा। यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों की कृषि-जलवायु स्थितियों के अनुसार कुक्कुट, सूअर, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और अन्य गौण पशुधन प्रजातियों के विकास से संबंधित पहलकमियों के लिए भी सहायता देगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अधीन उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए 2,800 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ख) पशु रोगों जिनसे,पशुधन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर प्रभावकारी नियंत्रण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने एफ एम डी, पीपीआर और ब्रूसेलोसिस जैसे प्रमुख पशुरोगों के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया है। एफ एम डी नियंत्रण कार्यक्रम का फरवरी, 2014 में विस्तार किया गया है और देश के 313 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें राजस्थान राज्य और उत्तर प्रदेश के सभी जिले शामिल हैं। 12वीं योजना के अवधि दौरान, टीकों और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एफएमडी-सीपी के अधीन पूरे देश को चरणबद्ध रूप में शामिल किया जाएगा। एक नया घटक नामतः क्लासिकल स्वाइन ज्वर नियंत्रण कार्यक्रम भी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण की मौजूदा योजना में शामिल किया गया हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 3,114 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ग) आनुवंशिक सुधार करके दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 12 वीं योजना के अंत तक लगभग 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक प्रजनन योग्य बोवाइन को कवर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता स्वदेशी प्रजनन के परिरक्षण के प्रयासों को और अधिक सुदृढ किया जाएगा। सहकारी क्षेत्रों ने डेयरी उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त योगदान दिया है। प्रजनन और आहार के उन्नत प्रबंधन के जरिये दुग्ध उत्पादकों/किसानों की आय में वृद्धि करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेयरी सहकारिताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2011- 12 से राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-I) आरंभ की है जो 1,756 करोड़ रुपये के परिव्यय से बारहवीं योजना के दौरान क्रियान्वित की जाएगी।

(घ) कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं, आहार प्रबंधन और अच्छी गुणवत्ता के दूध के विपणन के विस्तार में प्रजनन और डेयरी से संबंधित सम्मिलित कार्यकलाप और अधिक प्रभावकारी होंगे जो उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए आवश्यक हैं। संसाधनों की सहक्रियाओं का सृजन करने के लिए बोवाइन प्रजनन योजना का डेयरी विकास योजनाओं में विलय किया जाएगा। राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबी एंड डीडी) योजना के दो प्रमुख घटक है, नामतः राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) और डेयरी विकास। राज्यों ने महत्वपूर्ण देशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ बोवाइनों के लिए प्रजनन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए पशुधन विकास बोर्ड स्थापित किए हैं। डेयरी विकास घटक में मुख्य रूप से उन राज्यों/क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जो राष्ट्रीय डेयरी योजना के दायरे में नहीं आते हैं। डेयरी सहकारिताओं के माध्यम से प्रजनन, डेयरी और विस्तार के लिए सेवा सुपुर्दगी में चरणबद्ध रूप से समन्वय किया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए 1,800 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

(ड.) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), जो मात्स्यिकी क्षेत्र के एकीकृत विकास में तेजी लाने के लिए 2006 में आरंभ किया गया था, को मत्स्य रोगों के प्रबंधन और संबंधित लगभग सभी योजनाएं इसके अधीन लाकर और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लिए 1,880 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गई है।

1.10 वार्षिक योजना 2012-13 और 2013-14

1.10.1 विभाग को वार्षिक योजना 2012-13 के लिए 1,910 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर संशोधित करके 1,800 करोड़ रुपए कर दिया गया था। वर्ष 2012-13 के लिए अंतिम व्यय 1,737.32 करोड़ रुपए था। वर्ष 2013-14 के लिए विभाग को 2,025 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जो कम करके संशोधित अनुमान में 1,800 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। मार्च, 2014 के अंत तक, विभाग ने 1751.07 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

1.10.2 2012-13 और 2013-14 के लिए योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय **अनुबंध-VII** में दिए गए हैं।

अध्याय-2

संगठन

अध्याय 2

संगठन

2.1 संरचना

2.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय का एक विभाग है। यह कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 01 फरवरी, 1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस नए विभाग में 10 अक्तूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया था।

2.1.2 यह विभाग, श्री शरद पवार, माननीय कृषि जी के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता डॉ. चरण दास महंत, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) हैं।

2.1.3 इस विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) विभाग के सचिव की सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आबंटन **अनुबंध-8** में दिया गया है।

2.2 कार्य

2.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मात्स्यिकी से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है, जिसमें अंतर्देशीय तथा समुद्री क्षेत्र की मात्स्यिकी और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

2.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास तथा मत्स्यन पालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह देता है। गतिविधियों का मुख्य बल इस पर है (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास; (ख) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रखरखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; (ग) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण; (घ) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण; और (ड.) ताजे, खारे पानी में जलकृषि का विस्तार, समुद्री मात्स्यिकी ढांचे एवं पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा मछुआरों का कल्याण, आदि।

2.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध-9** में दी गई है।

2.3 अधीनस्थ कार्यालय

2.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले निम्नलिखित फील्ड /अधीनस्थ कार्यालयों, का प्रशासन भी देखता है (सारणी 2.1)।

सारणी 2.1 अधीनस्थ कार्यालय

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
(i)	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	12
(ii)	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5
(iii)	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
(iv)	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	8
(v)	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत	1
(vi)	पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र	6
(vii)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
(viii)	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर	1
(ix)	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
(x)	राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
(xi)	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	1
	कुल	**38**

2.3.2 इन अधीनस्थ कार्यालयों की सूची **अनुबंध-10** में दी गयी है।

2.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

2.4.1 आणंद, गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में स्थापित किया गया था और इसे 1987 में एनडीडीबी अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया है। यह देश में सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख संस्थान है। श्री टी0 नन्द कुमार ने 03 मार्च, 2014 से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष में कार्यभार ग्रहण किया है।

2.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

2.5.1 रा्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को सितम्बर, 2006 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका उद्देश्य अन्तर्देशीय और समुद्र में मात्स्यिकी क्षेत्र, मत्स्य पालन, मछली के संवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन की अप्रयुक्त संभाव्यताओं का उपयोग करना, और मात्स्यिकी के इष्टतम उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना है। मछली और मछली उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि करने और मात्स्यिकी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बोर्ड के कार्य कलापों में मछली के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने पर ध्यान संकेंद्रित किया जाता है। यह मात्स्यिकी के लिए सरकारी-निजी भागीदारी के लिए एक मंच के लिए कार्य करता है।

2.6 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

2.6.1 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था और इसे 22 दिसंबर, 2005 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। प्राधिकरण के ध्येय और उद्देश्य 'तटवर्ती क्षेत्रों' के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में और उससे संबंधित मामलों तथा आनुषंगिक मामलों के लिए 'तटीय जलकृषि' को विनियमित करना हैं। इस प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और प्रचालन के लिए विनियम बनाने, कृषि फार्मों और अंडज उत्पत्तिशालाओं का पंजीकरण करने, एल0 वन्नामई के फार्मों और अंडज उत्पत्तिशालाओं का निरीक्षण जिससे उनके पर्यावरणीय

प्रभाव का पता लगाया जा सके, उन तटीय जलकृषि फार्मों को हटाने या समाप्त करने जिनके कारण प्रदूषण होता है, तटीय जलकृषि में प्रयुक्त सभी तटीय जलकृषि आदानों नामतः बीज, आहार, संवृद्धि अनुपूरक, रसायनों आदि के लिए मानक निर्धारित करने, ताकि इन कार्यकलापों में शामिल विभिन्न हितधारकों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और सामाजिक रूप से स्वकार्य तटीय जलकृषि कमें सुविधा हो, की शक्तियां दी गई है।

2.7 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

2.7.1 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबंधों के तहत गठित किया गया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद देश भर में सभी पशुचिकित्सा संस्थानों में पशुचिकित्सा शिक्षा विनियम के न्यूनतम मानक के जरिये पशुचिकित्सा शिक्षा के एक-समान मानक बनाए रखने के लिए और पशुचिकित्सा प्रेक्टिस को विनिमित करने के लिए उत्तरदायी है।

2.7.2 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद में 27 सदस्य हैं जिनमें पांच सदस्य उन राज्यों के पशुपालन निदेशकों में से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, चार सदस्य उन राज्यों के पशुचिकित्सा संस्थानों के प्रधानों में से हैं जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, एक सदस्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित है, एक सदस्य पशुपालन के संबंध में कार्रवाई करने वाला केंद्रीय सरकार के मंत्रालय का प्रतिनिधि है, एक सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा एसोसिएशन द्वारा नामित है, एक सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा एसोसिएशनों के अध्यक्षों में से नामित है जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है, एक सदस्य उन राज्यों के राज्य पशुचिकित्सा परिषदों के अध्यक्षों में से नामित है जिनमें इस अधिनियम का विस्तार है। एसोसिएशनों के ग्यारह सदस्य भारतीय पशुचिकित्सा व्यावसायियों के रजिस्टर में पंजीकृत व्यक्तियों में से चुने जाते हैं। पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार और सचिव, भारतीय पशुचिकित्सा परिषद इस परिषद के पदेन सदस्य हैं।

2.8 शिकायत कक्ष

2.8.1 जनता की शिकायतों की जांच करने के लिए इस विभाग में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। उप सचिव स्तर के अधिकारी इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं।

2.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी

2.9.1 इस विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए भी इस विभाग में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2.10 सतर्कता एकक

2.10.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर सतर्कता एकक कार्रवाई करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों को मानीटर करता है। विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ 28 अक्तूबर 2013 से 2 नवम्बर, 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधिकारियों एवं स्टाफ को शपथ दिलाई।

2.11 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

2.11.1 वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का हिन्दी अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

2.11.2 इस विभाग में संयुक्त सचिव (एपीएफ) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई थी। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के

लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

2.11.3 सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय-समय पर सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा संयुक्त सचिव की ओर से परिपत्र जारी किए गए जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.11.4 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। इसी प्रकार विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्यों को हिन्दी में ही पत्र भेजे गए। राजभाष अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया।

2.11.5 विभाग में 2 से 16 सितम्बर, 2013 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण-आलेखन, राजभाषा ज्ञान और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया तथा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समारोह में सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिए गए।

2.12 पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना

2.12.1 विभाग की वेबसाइट (http://dahd.nic.in) का विशेष रूप से एवियन एंफ्लूएंजा की स्थिति के बारे में नियमित रूप से रख-रखाव किया गया था तथा स्थिति को अद्यतन किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रकाशित करके वेबसाइट को विस्तार दिया गया है। विभाग ने 'पशुधन सांख्यिकी' के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की है।

2.13 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

2.13.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किए है। इसी प्रकार विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ नियुक्त किए गए हैं।

2.14 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्यों के लिए आरक्षण:

2.14.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विककलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को सख्ती से क्रियान्वित करने के अपने प्रयास जारी रखे।

2.15 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना

2.15.1 महिलाओं के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विभाग द्वारा एक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति की अध्यक्ष इस विभाग की एक वरिष्ठ महिला अधिकारी है। इस समिति में विभाग के 4 सदस्य हैं जिनमें से 3 महिला सदस्य हैं (इनमें से एक गैर-सरकारी संगठन से संबंधित है) और एक पुरुष सदस्य है। वर्ष के दौरान इस समिति की तीन बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी से उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

अध्याय 3

पशुपालन

अध्याय 3

पशुपालन

3.1 यह विभाग पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन एवं वर्ण संकर के लिए प्रजनन हेतु राज्य सरकारों को उच्च स्तर के जर्मप्लाज्म के उत्पादन एवं वितरण के लिए 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों एवं सम्बद्ध संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, विभाग अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करता है।

3.2 केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

3.2.1 इन संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय गोयूथ पंजीकरण इकाईयां सम्मिलित हैं जो आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम की पहचान हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं ताकि देश में सांडों तथा हिमित वीर्य की आवश्यकता पूरी की जा सके।

3.2.2 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

3.2.2.1 अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलीमा एवं सूनाबेड़ा (उड़ीसा), धामरोड (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। ये फार्म किसानों और प्रजनकों को जागरूकता प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त गोपशु और भैंसों की आनुवंशिक संभाव्यता का उन्नयन करने के लिए गोपशु और भैंस से संबंधित वैज्ञानिक कार्यक्रमों को कार्यान्वयन और गोपशु और भैंस के वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम और बेहतर किस्म के सांड उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। वे राज्यों प्रजनन एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारिताओं, ग्राम पंचायतों, प्राइवेट फार्मों और अलग-अलग किसानों को वितरित करने के उद्देश्य से गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े देशी नस्लों नामतः थारपरकर, रेड सिंधी, अन्य स्थानिक नस्लों नामतः एवं भैंस की नसलों नामतः एवं भैंस की नस्लों नामतः अन्य स्थानिक नस्लों नामतः एवं भैंस की नसलों नामतः मुर्राह और सूरती तथा जर्सी X रेड सिंधी एवं एच एफ X थारपरकर की संकर जर्सी, हालस्टीयन फ्रिशियन, एवं भैंस की नसलों नामतः मुर्राह और सूरती वर्ण संकर गोपशुओं तथा नस्लों से उत्पादित किए जाते हैं।

3.2.2.2 वर्ष 2013-14 के दौरान इन फार्मों ने 360 सांड बछड़ों का उत्पादन किया तथा 3,560 किसानों को डेयरी फार्म प्रबंधन में प्रशिक्षित किया।

3.2.3 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, (सीएफएसपीटीआई)

3.2.3.1 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, (सीएफएसपीटीआई) हैस्सरघट्टा, कर्नाटक में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान (एआई) में उपयोग के लिए स्वदेशी, अन्य स्थानिक (एच एफ और जर्सी) वर्ण संकर नस्ल तथा मुर्राह भैंसों के हिमित वीर्य का उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों विश्व विद्यालयों, दुग्ध परिसंघों और अन्य संस्थानों के तकनीकी अधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है यह संस्थान देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में भी काम करता है। संस्थान के पास आधुनिक हिमित वीर्य प्रयोगशाला है और यह न्यूनतम मानक नयाचार (एमएसपी) में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करता है। केंद्रीय मानीटरिंग यूनिट (पीएमयू) ने इसे 'ए ग्रेड' दिया है। यह प्रयोगशाला आईएसओ 9000-2008 गुणवत्ता बंधन प्रणाली से भी प्रमाणित है।

3.2.3.2 संस्थान ने वर्ष 2013-14 के दौरान हिमित वीर्य की 14.05 लाख खुराकें उत्पादित कीं और हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी एवं एंड्रोलोजी के क्षेत्र में 349 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

3.2.4 केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)

3.2.4.1 केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा यह अच्छी नस्ल की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। मुख्य उद्देश्य बेहतर जर्म प्लाज्म और उसके स्थान का पता लगाना, बेहतर जर्म प्लाज्म उत्पादित करने में इस आंकड़े का इस्तेमाल करना, स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण, और डेयरी उद्योग में सुधार के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग करना हैं।

3.2.4.2 इस योजना के अंतर्गत रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और अंगोले में 4 केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण यूनिट हैं। गिर, कंकरेज, हरियाणा और अंगोले की स्वदेशी गोपशु नस्लों और भैंसों की मुर्रा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना नस्लों के दूध की रिकार्डिंग के लिए गुजरात, महाराट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित दुग्ध रिकार्डिंग केंद्र कार्यरत हैं ताकि उनकी फिनोटाइकि नस्ल विशेषताओं और दुग्ध उत्पादन स्तर की उनकी पुष्टि की जा सके। वर्ष 2013-14 में 13,698 गायों तथा भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया।

3.3 राट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना

3.3.1 बोवाइन में आनुवंशिक सुधार एक दीर्घकालिक गतिविधि है और भारत सरकार ने देश में अक्तूबर, 2000 से राट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीसीबी) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम 10 वर्ष की अवधि के लिए दो चरणों में शुरु किया था जो प्रथम चरण के लिए 402 करोड़ रुपए के आबंटन से शुरु हुआ। चरण-1 के दौरान लाभों को समेकित करने के उद्देश्य से 914.89 करोड़ रुपये के आबंटन के साथ दिसम्बर, 2006 से चरण-2 आरंभ किया गया है। एनपीसीबीबी में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण पर ध्यान देते हुए प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन करने की व्यवस्था है। इस परियोजना में क्रियान्वयन एजेंसियों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान देने की परिकल्पना की गई है।

3.3.2 इस परियोजना के आगे लाए गए कार्यों को पूरा करने के लिए 12वीं योजना के पहले दो वर्षों के लिए एनपीसीबीबी को जारी रखने के लिए योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। एक नई योजना 'राष्टीय बोवाइन प्रजनन परियोजना' 12वीं योजना से आरंभ की जाएगी।

देश में वीर्य का उत्पादन 22 मिलियन स्ट्रा (1999-2000) से बढ़ कर 81 मिलियन स्ट्रा (2012-13) हो गया है और गर्भाधानों की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 62 मिलियन हो गई है। गर्भाधारण की समग्र दर 20 % से बढ़कर 35% हो गई है।

3.3.3 उद्देश्य

3.3.3.1 योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) किसानों के घरद्वार पर व्यापक रूप से उन्नत कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करना;

(ख) कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की प्राकृतिक सेवाओं के जरिए संगठित प्रजनन के तहत सभी गोपशु और भैंसों को 10 वर्ष के अवधि में प्रजनन योग्य मादाओं को लाना;

(ग) स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम को शुरु करना ताकि उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

3.3.4 घटक

(क) औद्योगिक गैस निर्माताओं से सप्लाई लेकर तरल नाइट्रोजन के भंडारण और सप्लाई को सुचारू बनाना तथा उसके लिए थोक परिवहन और भंडारण प्रणाली स्थापित करना;

(ख) वीर्य केंद्रों में उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता के साथ गुणवत्ता वाले सांड लाना;

(ग) कृत्रिम गर्भाधान की घरद्वार तक डिलीवरी के लिए निजी मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवा का संवर्धन;

(घ) मौजूदा स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदलना;

(ड.) शुक्राणु केन्द्रों, वीर्य बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर सांडों तथा सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण;

(च) कृत्रिम गर्भाधान के दायरे में न आने वाले क्षेत्रों में प्रावृतिक सेवा के लिए उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांड लाना; और

(छ) उत्पादन तथा अनुवंशिक आदानों तथा तरल नाइट्रोजन की सप्लाई के प्रबंधन के कार्य को विशेषज्ञ स्वायत्त तथा व्यावसायिक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को सौंप करके संस्थागत पुनर्सरचना।

3.3.5 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन

3.3.5.1 अक्तूबर, 2000 में परियोजना के शुरु होने से अब तक इस परियोजना के तहत 28 राज्यों में 27 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन किया गया है। इन एजेंसियों के पास परियोजना का क्रियान्वयन करने की व्यावसायिक क्षमता है। छोटे राज्यों के मामले में, जो व्यवहार्य राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां गठित करने की स्थिति में नहीं हैं, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि जारी की गई है।

3.3.6 योजना में हुई प्रगति

3.3.6.1 इस समय 28 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। 2013-14 तक इन राज्यों संघ राज्यों को 1118.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

3.3.7 एनपीसीबीबी के स्थापना के समय से अब तक इसके अंतर्गत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

1) वीर्य का उत्पादन 22 मिलियन खुराकों से बढ़कर 81 मिलियन खुराक हो गया है और कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या 21.80 मिलियन से बढ़कर 62 मिलियन हो गई है (कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज के अधीन 22 मिलियन पशु हैं)। गर्भाधान की समग्र 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है;

2) 54,369 स्थिर सरकारी गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदला गया है;

3) 31,676 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई है;

4) उच्च गुणवत्ता वाले 28,400 प्रजनन सांडों को शामिल किया गया है या शामिल किया जा रहा है;

5) मौजूदा 55,927 कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान कार्मिकों को हिगमित वीर्य प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण दिया गया है (वर्तमान वर्ष के दौरान मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के लिए जारी की गई धनाराशि सहित);

6) 20,244 व्यावसायिकों को राज्य से बाहर विख्यात प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिलाया गया है;

7) वीर्य के उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एम एम पी) के अनुसार 49 हिमित वीर्य सांड केन्द्र को सुदृढ़ किया गया है;

8) देश में वीर्य उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, वीर्य उत्पादन के लिए एम एस पी तैयार किया गया है ओर यह देश में सभी वीर्य केन्द्रों में क्रियान्वित किया गया है;

9) दो वर्ष में एक वीर्य केन्द्र का मूल्यांकन करने के लिए और देश में वीर्य के उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय मानीटरिंग यूनिट स्थापित किया गया है;

10) 2010-11 के दौरान 30 वीर्य केन्द्रों का 'ए', 14 को 'बी' के रूप में श्रेणीकरण किया गया है जबकि 2007-08 के दौरान 11 वीर्य केन्द्रों को 'ए', 16 को 'बी' और 7 को 'सी' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पहले किए गए मूल्यांकन में 'ए' और 'बी' के रूप में वर्गीकृत किए 27 वीर्य केन्द्रों की तुलना में इनकी संख्या बढ़कर 44 हो गई है;

11) देश में 42 वीर्य केन्द्रों ने आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है जबकि 2004 के दौरान ऐसे केन्द्रों की संख्या 3 थी;

12 दुधारू पशुओं की संख्या, जो 2000 के दौरान 62 मिलियन थी, बढ़कर 2012 के दौरान 83.15 मिलियन हो गई है अर्थात् देश के दुधारू पशुओं में लगभग 18 मिलियन उत्तम दुधारू पशुओं की वृद्धि हुई है;

13) 20 मिलियन संकर पशु (1997) बढ़कर 33 मिलियन (2007) हो गए है; और

14) कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकियों के लिए संतति परीक्षण ओर मानक प्रचालन कार्यविधियों के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एम एस पी) तैयार किया गया है और सभी राज्यों को परिचालित किया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों और वीर्य केंद्रों का कार्यनिष्पादन तालिका 3.1 और 3.2 में दिया गया है:

तालिका 3.1: कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का कार्यनिष्पादन

एजेंसी	कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या	कृत्रिम गर्भाधान (मिलियन)	कृत्रिम गर्भाधान(प्रति वर्ष)
सरकार	48794	39.78	559
प्राईवेट ए आई कामगार	22364		
सहकारिता	17530	14.88	848
गैर-सरकारी संगठन	6000	7.34	1223
कुल	**94688**	**62.0**	**655**

तालिका 3.2: वीर्य केन्द्रों का कार्यनिष्पादन

एजेंसी	वीर्य केंद्र	सांडों की संख्या	वीर्य का उत्पादन (मिलियन)	प्रति केंद्र सांड	प्रति केंद्र उत्पादित खुराकें (लाख)
सरकार	38	2029	40.69	54	10.99
एनडीडीबी, डेयरी सहकारिता, गैर-सरकारी डी संगठन और प्राइवेट	13	1292	40.28	117	36.61
कुल	**51**	**3321**	**80.97**	**69**	**15.88**

3.3.8 तरल नाइट्रोजन (एल. एन.) की परिवहन और वितरण प्रणाली:

3.3.8.1 एनपीसीबीबी के शुरु होने से पहले राज्य पशुपालन विभागों द्वारा लघु स्टेंड संयंत्रों का प्रयोग किया जाता था और अधिकतर संयंत्र जल्दी-जल्दी खराब हो जाते थे। उत्पादन की यूनिट लागत 30 रूपये से 35 रूपये प्रति लीटर थी जो कि काफी अधिक थी। एनपीसीबीबी के अंतर्गत देश में पहली बार गैर सरकारी स्रोतों से तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने की अवधारणा लागू की गई। गैर सरकारी स्टेशनों से तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने की प्रति यूनिट लागत 6 रूपये से 10 रूपये प्रति लीटर है। इस स्कीम के अंतर्गत सामरिक स्थलों पर वीर्य बैंकों और सिलोस की स्थापना करके और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर तरल नाइट्रोजन के वितरण के लिए वाहनों की व्यवस्था के माध्यम से तरल नाइट्रोजन के भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

3.3.9 वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन

3.3.9.1 वीर्य उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए दो वर्षों में एक बार वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए विभाग द्वारा 20.5.2004 को केन्द्रीय मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) स्थापित की गई थी। सीएमयू ने अब तक चार बार मूल्यांकन किया है। सीएमयू के गठन के बाद वीर्य केन्द्रों की ग्रेडिंग में सुधार तालिका 3.3 में दिया गया और वीर्य स्टेशन की राज्यवार ग्रेडिंग तालिका 3.4 में दी गई है।

तालिका 3.3: वीर्य केन्द्रों के ग्रेड में सुधार

ग्रेड	2004-05	2008-09	2010-11	2012-13
क	2	12	20	30
ख	12	15	17	40
ग	12	7	3	-
ग्रेडेड नहीं	33	13	7	5
गैर मूल्यांकित	-	2	2	2
कुल	**59**	**49**	**49**	**51**

3.3.10 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एमएसपी) का विकास

3.3.10.1 एक समान गुणवत्ता के हिमित वीर्य का उत्पादन करने के लिए, बीएआईएफ, एनडीडीबी, एनडीआरआई(करनाल) और सीएफएसपीटीआई के विशेषज्ञों की सलाह से वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार विकसित किया गया था और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी किया गया था।

3.3.11 वीर्य केन्द्रों का आईएसओ प्रमाणीकरण

3.3.11.1 42 वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं। कुलाथुपुजा, (केरल), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), सलबोनी, बेलडंगा (पश्चिम बंगाल) तथा भडबादा (मध्य प्रदेश) में स्थित 7 वीर्य केन्द्र भी एचएसीसीपी प्रमाणित हैं।

तालिका 3.4 दिए गए ग्रेडों के साथ वीर्य स्टेशनों का राज्य वार संवितरण

(वीर्य मूल्यांकन रिपोर्ट 2012-2013 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	ग्रेड क	ग्रेड ख	ग्रेड ग	ग्रेडिड नहीं	मूल्यांकित नहीं	कुल स्टेशन
		80 और अधिक	66 से 79	50 से 65	49 से कम	मूल्यांकित नहीं	
1	आंध्र प्रदेश	3	1	-	-	-	4
2	असम	-	-	-	-	1	1
3	छत्तीसगढ़	1	-	-	-	-	1
4	गुजरात	5	-	-	-	-	5
5	हरियाणा	4	-	-	-	-	4
6	हिमाचल प्रदेश	1	-	-	-	-	1
7	जम्मू और कश्मीर	-	1	-	-	1	2
8	कर्नाटक	3	2	-	-	-	5
9	केरल	3	-	-	-	-	3
10	मध्य प्रदेश	-	1	-	-	-	1
11	महाराष्ट्र	2	2	-	1	-	5
12	मेघालय	-	-	-	1	-	1
13	ओडिशा	1	-	-	-	-	1
14	पंजाब	2	1	-	-	-	3
15	राजस्थान	-	1	-	1	-	2
16	तामिलनाडु	2	2	-	-	-	4
17	उत्तराखंड	-	1	-	-	-	1
18	उत्तर प्रदेश	1	1	-	2	-	4
19	पश्चिम बंगाल	2	1	-	-	-	3
	कुल	**30**	**14**	**-**	**5**	**2**	**51**

3.3.12 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

3.3.12.1 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना शुरु होने से पहले धीमी गर्भाधान दर का मुख्य कारण यह था कि अच्छी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव था और सरकारी कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को बहुत कम प्रशिक्षण दिया जाता था। राट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत 55,927 मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों तथा 20,244 व्यावसायिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे प्रजनन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

3.3.13 मान्यताप्राप्त स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण

3.3.13.1 स्वदेशी नस्लों की खास पहचान यह है कि वे गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनमें रोग प्रतिरोध क्षमता होती है तथा वे अत्यन्त पोषणिक अभाव में भी जी लेते हैं। राट्रीय अर्थव्यवस्था में मान्यताप्राप्त स्वदेशी नस्लों के महत्व को देखते हुए सरकार ने उनके विकास और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

3.3.13.2 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना का ध्यान मुख्यतः स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर है। भारत के गोपशु और भैंस आनुवांशिक संसाधनों में राठी, गिर, कंकरेज, थारपरकर, साहीवाल, देवनी, हालीकर, खिलाड़, हरियाणा आदि सहित 37 स्वदेशी गोपशु नस्लें तथा मुर्रा, मेहसानी, सुरती आदि सहित 13 भैंस नस्लें शामिल हैं। स्वदेशी नस्लें मजबूत होती हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं, उनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता होती है तथा वे अत्यन्त पोषणिक अभाव की स्थिति में भी जी लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पशु रोगों की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है, विशेकर वर्ण संकर पशुओं में वायरल तथा प्रोटोजोन रोगों के। अतः स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

3.3.13.3 प्राकृतिक सेवा के लिए बेहतर सांडों की खरीद, सांड उत्पादन कार्यक्रम चलाने, सांड माता फार्मों के सुदृढ़ीकरण और महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों (भदावरी, साहिवाल, गिर, देवरी, कंकरेज, हरियाणा, केंकथा, हलीकर, खिलाड़ आदि) के लिए ओ. एन. बी. एस. की स्थापना के लिए भागीदार राज्यों को निधियां जारी की जाती है ताकि वे और विकास कर सकें। परियोजना के चरण-1 में केवल स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। एन. पी. सी. बी. बी. के चरण-2 के तहत स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए 477.30 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से 31 दिसम्बर, 2013 तक योजना के तहत 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, फील्ड कृत्रिम गर्भाधान के नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, वीर्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, निजी कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों की स्थापना और उर्वरता शिविरों के आयोजन से भी स्वदेशी नस्लों का विकास हुआ है।

3.4 आहार और चारा विकास

3.4.1 विश्व के केवल 2.29% भूमि क्षेत्र के साथ भारत लगभग 10.71% पशुधन हैं। मौजूदा पशुधन को आहार देने के लिए देश आहार और चारे की कमी का सामना कर रहा है। नेबकांस द्वारा 2007 में लगाए गए अनुमान के अनुसार, आहार और चारे की उपलब्धता, आवश्यकता और कमी निम्नानुसार है:

(सूखी वस्तुएं मिलियन टन में)

क्र.सं.	चारा के प्रकार	मांग	उपलब्धता	अंतर
1.	सूखा चारा	416	253	163 (40%)
2.	हरा चारा	222	143	79 (36%)
3.	साद्रण	53	23	30 (57%)

स्रोत : नेबकांस -2007.

3.4.2. आहार और चारे के पौष्टिक मान का पशुधन की उत्पादकता पर अत्यधिक प्रभाव होता है।

3.4.3 चारे की खेती के अधीन क्षेत्र फसली क्षेत्र का केवल लगभग 4 प्रतिशत है और पिछले चार दशकों से यह स्थिर बना हुआ है। खाद्य फसलों और अन्य नकदी फसलों को दिए जाने वाले महत्व के परिणामस्वरूप इस बात की बहुत कम संभावना है कि चारे की खेती के अधीन क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि होगी। आहार और चारे की कमी के मुख्य कारण, से है: खाद्यानों तिलहनों और दालों को उगाने के लिए भूमि पर बढ़ता दबाव, चारे के उत्पादन के लिए फसलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, कृषि अपशिष्टों का विविधीकृत उपयोग, चराई भूमि का समाप्त होना, चारे की खेती के अधीन क्षेत्र भी सीमित है और अधिकांश चराई भूमि का या तो निम्नीकरण कर दिया गया है या अधिग्रहण कर लिया गया है जिससे पशुधन को चरने के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित हो गई है।

3.4.4 यद्यपि पिछले दशक में आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, तथापि, विशेष रूप से कमी वाली अवधि के दौरान और संकट की स्थिति में देश में चारे की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

3.4.5 आहार और चारे की कमी पर काबू पाने और पशुधन आहार के पौष्णिक मान में वृद्धि करने के लिए दो योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है नामत: 1) केंद्रीय क्षेत्र की योजना - केन्द्रीय चारा विकास संगठन, और 2) केन्द्रीय प्रायोजित योजना, जिनके अधीन आहार और चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। इन दोनों योजनाओं की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नलिखित है:

3.5 केन्द्रीय क्षेत्र की योजना - केन्द्रीय चारा विकास संगठन

3.5.1 इसके तीन घटक हैं, नामतः (i) चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए सात क्षेत्रीय केंद्र, (ii) एक केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर और (iii) केंद्रीय चारा फसलों के संवर्धन में केंद्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम/घटकवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

क. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र और केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा

3.5.2 चारा संबंधी फसलों तथा चारागाह घास/फली की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रचार के लिए सरकार ने मामडिपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), धाम रोड (गुजरात), हिसार (हरियाणा), सूरतगढ़ (राजस्थान), साहेमा (जम्मू एवं कश्मीर), अलामाधि (तमिलनाडु) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में सात क्षेत्रीय केन्द्र तथा हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित किया हैं। ये केन्द्र विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के किसानों के चारा बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा फील्ड प्रदर्शनों तथा कृषक मेलों/फील्ड दिवसों के माध्यम से विस्तार गतिविधियां भी चलाते हैं। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इन स्टेशनों द्वारा 398.50 टन चारा बीज का उत्पादन किया गया, 8965 प्रदर्शन आयोजित किए गए, 199 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 194 कृषक मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए गए।

ख. चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम

3.5.3 चारा मिनीकिट प्रदर्शनों का उद्देश्य हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारा संबंधी फसलों की अधिक उपज देने वाली हाल ही किस्मों तथा उन्नत कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों के बारे में क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए किसानों मे जागरूकता उत्पन्न करना है। इस योजना के तहत क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय फार्म, हैस्सरघट्टा, दुग्ध संघों अथवा अन्य सरकारी चारा बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा उत्पादित उच्च पैदावार वाली चारा फसलों/घासों/लैग्यूमों के बीजों का प्रयोग किया जाता है। ये किटें आगे किसानों को निःशुल्क वितरण के लिए राज्यों के पशुपालन निदेशालयों और खरीद परिसंघों को आबंटित की जाती है। वर्ष 2013-14 के दौरान, राज्यों को 0.5 लाख के लक्ष्य की मुकाबले लेग्यूम और गैर लैग्यूम के कुल 0.72 लाख चारा बीज मिनीकिट आबंटित की गई।

3.6 केंद्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना

3.6.1 यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अधीन राज्यों को आहार एवं चारा विकास क्षेत्र में उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना नौ घटकों के साथ 01.04.2010 से क्रियान्वित

तालिका 3.5: केन्द्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना के अधीन वर्ष 2013-14 के दौरान घटक-वार वास्तविक उपलब्धि

क्र. सं.	घटक का नाम	राज्य/कवरेज	लाभभोगी	सहायता की पद्धति	31.03.14 तक वास्तविक उपलब्धि
1	चारा ब्लाक बनाने वाले एककों की स्थापना	सभी राज्य	सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूह सहित सरकारी या निजी उद्यमशीलता	50:50	--
2	घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास	सभी राज्य	पशुपालन विभाग और राज्य का वन विभाग। तथापि, पंचायत की भूमि पर और अन्य कामन सम्पत्ति संसाधनों पर चराई भूमि के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठनों/ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा। औसतन 7.00 लाख रुपये प्रति 10 हैक्टयेर का यूनिट .	100:00	3,126 (हेक्टेयर)

क्र. सं.	घटक का नाम	राज्य/कवरेज	लाभभोगी	सहायता की पद्धति	31.03.14 तक वास्तविक उपलब्धि
3	चारा बीज की खरीद एवं वितरण	सभी राज्य	राज्यों के पशुपालन विभाग/राज्य सरकार परियोजना के क्रियान्वयन बके लिए राज्य कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसी/ सहकारिता/ गैर-सरकारी संगठन को शामिल कर सकती है। चारा बीजों की औसत दर 5000 रुपये प्रति क्विंटल	75:25	82,953.5 (क्विंटल)
4	आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण	सभी राज्य	आहार का परीक्षण करने के लिए दुग्ध परिसंघ/ अनुसंधान संस्थान/मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं/आहार और चारा अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही प्रयोगशालाएं	50:50	3 संख्या
5क	हाथ से चलने वाले शैफ कटर शुरू करना	सभी राज्य	दुग्ध सहकारिताओं के सदस्य	75:25	14196 संख्या
5ख	बिजली से चलने वाले शैफ कटर शुरू करना	सभी राज्य	दुग्ध सहकारिताओं के सदस्य	75:25	10450 संख्या
6	साइलेज बनाने वाली यूनिटों की स्थापना	सभी राज्य	दुग्ध सहकारिताएं	100:00	2090 संख्या
7	एजोला की खेती तथा उत्पादन यूनिट का प्रदर्शन	सभी राज्य	गैर-सरकारी संगठन/स्वयं सहायता समूह/दुग्ध सहकारिताएं	50:50	2270 संख्या.
8	बाई पास प्रोटीन उत्पादन यूनिटों की स्थापना	पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु	डेयरी परिसंघ/निजी उद्यमी	25:75	--
9	क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण आहार पेलेटिंग/ आहार निर्माण यूनिट।	सभी राज्य	दुग्ध सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूह सहित सरकारी या निजी उद्यमशीलता	25:75	--

की जा रही है। 31.03.2014 तक विभिन्न राज्यों को 89.12 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। नौ घटकों का ब्यौरा और 31.03.2014 तक की वास्तविक उपलब्धि निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

3.7 कुक्कुट विकास

3.7.1 कुक्कुट विकास भारत में एक घरेलू गतिविधि है। सरकार और निजी व्यावसायियों के उद्यमों द्वारा नीति कार्यक्रमों के माध्यम से कुक्कुट कृषि एक

अत्यधिक वैज्ञानिक प्रचालन में परिवर्तित हो गई है। पशुपालन के उप क्षेत्रों में कुक्कुट एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाला उप-क्षेत्र है। 10वीं और 11वीं, दोनों योजनाओं में अंडों की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 5.6 प्रतिशत थी।

3.7.2 एवियन इंफ्लूएंजा जो उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, के बावजूद ये उपलब्धियां और वृद्धि बनाए रखी गई है जिससे कुक्कुट क्षेत्र की अत्थान-क्षमता निजी क्षेत्र के अध्यवसाय और सरकार द्वारा किए गए हस्तक्षेपों का पता चलता है। रोगों के प्रवेश के प्रति उपचारात्मक उपाय करने के लिए कुक्कुट फार्मों में जैवसुरक्षा के संबंध में सामान्य मार्ग निर्देश संकलित और देश में सभी राज्यों को परिचालित किए गए हैं।

3.7.3 कुक्कुट उत्पाद, विशेष रूप से अंडे, प्रोटीन के सबसे सस्ते स्रोत बने रहे। भारत का असंगठित और धरेलू कुक्कुट क्षेत्र बहुत से भूमिहीन/सीमांत किसानों के लिए सहायक आय-सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है और इससे ग्रामीण गरीबों को पौष्टिक सुरक्षा भी मिलती है। ग्राम कुक्कुट प्रणालियों में कुक्कुट मांस और अंडों का उत्पादन आहार और जल आदानों के संदर्भ में अत्यधिक कुशल है। ये पौष्टिक उत्पाद धरेलू अनाज-आधारित आहारों का पूरक हो सकते हैं। पारिवारिक कुक्कुट का एक विशिष्ट स्थान है क्योंकि अधिकांशः महिलाओं द्वारा यह कार्य किया जाता है और इसमें कम निवेश की आवश्यकता होती है।

विश्व अंडा दिवस समारोह

3.7.4 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 11 अक्तूबर, 2013 को 'विश्व अंडा दिवस' मनाने में सुविधा दी। निजी व्यावसायियों और राज्य सरकारों के बीच राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति भारतीय कुक्कुट परिसंघ आदि को शामिल करते हुए और हितधारकों के साथ समन्वय करते हुए भेंडों के पौष्णिक भाग के प्रति जागरूकतामें वृद्धि करते और इसके महत्व पर विशेष बल देने के लिए विभाग द्वारा आयोजित किया गया यह पहला अवसर है। यह समारोह नई दिल्ली, पुणे और बंगलूर में अत्यधिक सफलता के साथ मनाया गया।

3.7.5 विभाग द्वारा कुक्कुट से संबंधित निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती है और इन सभी योजनाओं का राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अधीन विलय कर दिया गया है:

असील काला

3.8 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन

3.8.1 चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और हैस्सरघट्टा स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन कुक्कुट के संबंध में सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों के दायित्व को विशेष रूप से पुनः उन्मुख बनाया गया है ताकि बेहतर पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो औसतन प्रति वर्ष 180-200 अंडे देते है और आहार उपभोग तथा भार लाभ के संदर्भ में इन्होंने तेजी से आहार परिवर्तन अनुपात में सुधार किया है।

टर्की (चौड़ी छाती वाली बड़ी सफेद)

3.8.2 इन केंद्रीय विकास संगठनों में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि उनकी तकनीकी क्षमता का उन्नयन किया जा सके। विभिन्न कुक्कुट प्रबंधन पद्धतियों को बेहतर ढंग से और गहराई से समझने के लिए एक सप्ताह का एक नया प्रशिक्षण साड्यूल तैयार किया गया है और इसमें धरेलू कुक्कुट पालकों के अतिरिक्त छोटी जोत के उद्यमियों और किसानों की आवश्यकताएं भी कवर होंगी। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, एवं प्रशिक्षण संस्थान हैस्सरघट्टा देश और विदेश के सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षक परीक्षण देता है। 2014-15 के लिए प्रशिक्षण केलेंडर तैयार किया जा चुका है और यह विभिन्न राज्यों तथा विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ साझा किया जा रहा है।

गुनिया फाउल (पर्ल किस्म)

3.8.3 केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन कुक्कुट से इतर प्रजातियों जैसे बत्तखों, जापानी कवेल आदि के साथ विविधीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा अपनी बत्तखों की खाकी कैम्पबैल और मीट-टाइप विगोवा सुपर एम के नए अंडों के स्टाक के साथ रिस्टॉकिंग कर रहा है।

सफेद पेकिन बतख

3.8.4 गुड़गांव स्थित केंद्रीय कुक्कुट कार्य-निष्पादन परीक्षण केन्द्र (सीपीपीटीसी) को लेयर और ब्रोइलर किस्मों कार्य-निष्पादन के परीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह केन्द्र देश में उपलब्ध विभिन्न आनुवशिक स्टाक से संबंधित बहुमूल्य सूचना देता है।

3.8.5 विभाग अंडा बिक्री मशीन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने पर विचार कर रहा है और वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार किया गया आदि प्ररूप हाल में केंद्रीय केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन चंडीगढ़ में आरंम्भ किया गया है।

कक्षा में प्रशिक्षण

3.8.6 वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 1.03 लाख और 12.30 लाख पेरन्ट चिक को सीपीडीओ द्वारा आपूर्ति की गई है। लगभग 2,326 किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और लगभग 5,256 आहार नमूनों का विश्लेषण किया गया।

3.9 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाः कुक्कुट विकास

3.9.1 इस योजना के तीन घटक हैं, नामतः 'राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता', 'ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास', और 'कुक्कुट संपदा'।

(क) राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता

3.9.2 इसका उद्देश्य मौजूदा राज्य कुक्कुट फार्मों को सुदृढ़ करना है ताकि वे ग्रामीण घरेलू कुक्कुट पालन के लिए उपयुक्त उन्नत स्टाक को उपलब्ध कराने के संदर्भ में आदान उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें। यह एक सतत् योजना है जो सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में 100% और अन्य राज्यों के संबंध में 80% सहायता दी जाती है। प्रत्येक फार्म के लिए दी जाने वाली सहायता की सीमा 85.00 लाख रुपये है। आहार मिल तथा उसकी गुणवत्ता की मानीटरिंग तथा इन-हाउस रोग नैदानिक सुविधाओं और आहार विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए प्रावधान के साथ हैचरी, ब्रूडिंग और पालन गृहों, पक्षियों के लिए लेइंग हाऊस के संदर्भ में फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए एकमुश्त सहायता दी जाती है। 2013-14 में 19 फार्मों की सहायता की गई है जिससे योजना के शुरु होने से अब तक सहायता (आंशिक रूप से) किए गए फार्मों की कुल संख्या 239 हो गई है।

फील्ड प्रशिक्षण

(ख) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास

3.9.3 इस घटक में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को शामिल करने की उम्मीद है ताकि वे प्रतिपूरक आय और पौणिक समर्थन हासिल कर सकें। वर्ष 2013-14 के दौरान लगभग 40 करोड़ से की राशि जारी की गई है। जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 1.66 बीपीएल लाख लाभार्थियों को शामिल किया गया है। ग्रामीण धरेलू कुक्कुट विकास कार्यक्रम के अधीन, 2009-10 में इसके आरम्भ होने से लेकर अब तक लगभग 6.13 लाख बीपीएल लाभभोगियों को कवर करने के लिए वित्त पोषण किया गया है।

(ग) कुक्कुट संपदा

3.9.4 'कुक्कुट' के अन्वेषणात्मक पायलट घटक के माध्यम से उद्यमी दक्षता को सुधारा जाना है जिसमें इस स्तर पर दो संपदाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। यह मुख्यतः कुछ मार्जिन धन वाले शिक्षित, बेरोजगार युवाओं और छोटे किसानों के लिए है। ताकि वे विभिन्न कुक्कुट संबधी गतिविधियों से वैज्ञानिक और जैव सुरक्षा दृटिकोण तरीके से लाभकारी उद्यम बना सके। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए सिक्किम में और लेअर फार्मिंग के लिए ओडिशा में पायलट आधार पर दो कुक्कुट संपदाओं को चुना गया है।

अंडा विक्रीमशीन

3.9.5 सिक्किम में बॉयलर स्तर पर चुजे की फार्प्रिंग कर दी गई है। तथापि, कुछ और अधिक अवसंरचना और आदान सेवाओं की स्थापना के बाद यह पूर्ण रूप से प्रचालनात्मक बन जाएगा।

3.10 कुक्कुट उद्यम पूँजीगत कोष

3.10.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुक्कुट की विभिन्न गतिविधियों में अलग-अलग लोगों की उद्यमशील दक्षता को प्रोत्साहित किया जाए। यह योजना 2011-12 से पूंजी सब्सिडि पद्धति पर क्रियान्वित की जा रही है। नए घटक, जैसे हाईब्रिड लेयर और ब्रायलर कुक्कुट यूनिट, कुछ घटकों की यूनिट लागत में संशोधन के साथ प्रोद्यौगिकी उन्नयन, वैयक्तिकों के लिए अल्प प्रोद्यौगिकी आदान पक्षियों के लिए प्रजनन फार्मों के घटक का विस्तार जैसे नये घटक शामिल हैं और इसमें अल्प आदान प्रोद्यौगिकी पक्षियों वाले कुक्कुट प्रजनन फार्मों की स्थापना तथा बत्तख/टर्की/गुनिया फाउल/जापानी क्वेल आदि के लिए भी प्रजनन फार्मों की स्थापना, आहार गोदाम, आहार मिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएँ, कुक्कुट उत्पादों का विपणन (पक्षियों के लिए विशिष्टिकृत परिवहन वाहन, शीतकक्ष भण्डारण सुविधाएँ और रिटेंशन सीड आदि), अण्डा ग्रेडिंग, निर्यात सुविधा के लिए पैकिंग और भण्डारण जैसी मौजूदा मदें शामिल हैं।

3.10.2 2013-14 में पीवीसीएफ के अधीन लगभग 1,729 यूनिट कवर किए गए हैं और 2011-12 में इसके आरंभ होने से लेकर अब तक बैक-एंडिड सब्सिडी के अधीन 2,692 यूनिट कवर किए गए हैं।

3.11 संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण

3.11.1 10वीं योजना के दौरान शुरु की गयी केंद्रीय प्रायोजित योजना गोपशु और भैंसों को छोड़कर सभी पशुधन प्रजातियों को कवर करती है तथा इसका उद्देश्य पशुधन की उन संकटापन नस्लों का संरक्षण करना है, जिनकी संख्या लगभग 10,000 है और मूल प्रजनन क्षेत्र में उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। 1,000 से कम संख्या वाली कुक्कुट नस्लों को संकटापन नस्ल समझा जाता है।

3.11.2 इस योजना के लिए 11वीं योजना के आबंटन की राशि 16.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1) केन्द्रीय प्रजनन यूनिटों की स्थापना के अलावा नीति तथा संस्थागत संरचना को तथा अनुसंधान एजेंसियों के साथ संपर्क सुदृढ़ करना।

2) छोटे तथा बड़े पशुओं के लिए अनुमत्य परिवर्तनशील परियोजना अवधि।

3) राज्यों को पशुधन नस्लों तथा उनकी किस्मों की फेहरिश्त तैयार करने की आवश्यकता है।

3.11.3 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान योजना के तहत 250 लाख रुपए के आबंटन के प्रति 78.25 लाख रुपए जारी किए गए है। महाराष्ट्र सरकार को बरारी बकरी के संरक्षण के लिए (20.00 लाख रुपए), उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगरी भेड़ के संरक्षण के लिए (40.00 लाख रुपए) और तमिलनाडु में नीलगिरि भेड़ के संरक्षण के लिए (18.25 लाख रुपए) की सहायता दी गयी है।

3.11.4 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना के अधीन संशोधित अनुमान 100 लाख रूपये है जिसके प्रति 31.03.2014 तक 100 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान काच्छी ऊंट के संरक्षण के लिए गुजरात सरकार (18.00 लाख रुपए), तमिलनाडु में रामानड व्हाइट भेड़ के संरक्षण के लिए (40.00 लाख रूपये) केरल में अट्टीपाडी बकरी के संरक्षण के लिए (10.00 लाख रूपये) बेरारी बकरी के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र (12 लाख रुपए) और त्रिपुरा में कुक्कुट की नेकेड नेक (20.00 लाख रूपये) की सहायता दी गई है।

3.12 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

3.12.1 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान फार्म की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य मैकेनिकल भेड़ पालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए और विभिन्न राज्य भेड़ पालन फार्मों को वितरित करने के लिए अनुकूल विदेशी मेड़ों का उत्पादन करना है। समय के साथ-साथ और विशेज्ञों की सिफारिशों से, वर्ण संकरित

भेड़ों (नली X रामब्यूलेट और सोनड X कोरिडेल) के साथ-साथ बीतल बकरी का उत्पादन करने के लिए फार्म के प्रजनन कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

3.12.2 2012-13 के दौरान, इस फार्म ने 725 मेड़ा तथा 122 मृगों की आपूर्ति की। मशीन से भेड़ की ऊन कटाई में 135 किसानों को तथा भेड़ प्रबंधन में 562 किसानों को प्रशिक्षित किया गया था।

3.12.3 2013-14 के दौरान, 31 मार्च, 2014 तक, फार्म ने 646 मेढ़ों तथा 82 मृगों की आपूर्ति की। 132 किसानों को भेड़ के बालों को मशीन से बाल कतरने और 531 किसानों को भेड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया।

3.13 जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास

3.13.1 इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से भेड़/बकरी के लिए अलग-अलग फार्म स्थापित करने का प्रावधान है। यह योजना बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों, गरीब और सीमांत किसानों के लिए है।

3.13.2 इस योजना को भेड़/बकरी वाणिज्यिक निजी यूनिटों की स्थापना के लिए वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए लाभार्थी माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

3.13.3 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश (37 लाख रूपये), हिमाचल प्रदेश (49.24 लाख रूपये), मध्य प्रदेश (5.58 लाख रूपये), महाराष्ट्र (210.00 लाख रूपये), नागालैंड (22.85 लाख रूपये) तमिलनाडु (221.20 लाख रूपये) और उत्तर प्रदेश (75.00 लाख रूपये) को सरकारी भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ करने के प्रति सहायता करने के लिए 1,200 लाख रूपये के आवंटन के प्रति कुल 1,470.85 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान 875.00 लाख रुपए की राशि नाबार्ड को जारी की गई थी जिससे विभिन्न राज्यों में भेड़ और बकरी पालन यूनिटों की स्थापना के लिए 1,759 लाभभोगियों को सहायता दी गई।

3.13.4 2013-14 के दौरान, संशोधित अनुमान 964.00 लाख रूपये था और 31 मार्च, 2014 तक आंध्र प्रदेश(497), छत्तीसगढ़ (2), हरियाणा (2), हिमाचल प्रदेश (87), जम्मू और कश्मीर (13), झारखण्ड (1), कर्नाटक (97), केरल (54), मध्य प्रदेश (1), ओडिशा (2), पंजाब (2), राजस्थान (14), उत्तराखण्ड (257), अरुणाचल प्रदेश (1), असम (129) राज्यों में भेड़ और बकरी यूनिटों की स्थापना करने के लिए 1,159 लाभभोगियों की सहायता करने के लिए कुल 928.39 लाख रूपये जारी किए गए हैं। 31 मार्च, 2014 तक 614.40 लाख रूपये की राशि नाबार्ड और त्रिपुरा (20.00 लाख रूपये), तमिलनाडु (8.00 लाख रूपये), आंध्र प्रदेश (54.05 लाख रूपये), नागालैंड (25.00 लाख रूपये), गुजरात (43.31 लाख रूपये), जम्मू और कश्मीर (21.99 लाख रूपये), उत्तराखण्ड (47.40 लाख रूपये), अरूणाचल प्रदेश (25.00 लाख रूपये) और तमिलनाडु (69.24 लाख रूपये) राज्यों को राज्य फार्मों को सुदृढ़ करने के लिए 928.39 लाख रूपये की धनराशि जारी की गई है।

3.14 नर भैंस बछड़ों को बचाना और उनका पालन करना

3.14.1 इस योजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों में मीट उत्पादन के लिए भैंस बछड़ो को पालना निर्यात करने वाले बूचड़खानों के साथ संबंध विकसित करना है।

3.14.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उपोत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियोजन देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, यह योजना 1.00 लाख रुपए की टोकन राशि से बनाए रखी गई है।

3.15 ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/ आधुनिकीकरण

3.15.1 नगरों/शहरों में पौष्टिक और स्वस्थ मीट का उत्पादन करने और उसकी आपूर्ति करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में बूचड़खानों को स्थापित करने/आधुनिकीकृत किए जाने का लक्ष्य है जो इसकी उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार शहरों में जीवित पशुओं को ले जाने, मीट की कमी के कारण मीट क्षेत्र के होने वाली हानि तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को रोका जा सकेगा। बूचड़खानों के आसपास चर्मशोधनशालाओं को ताजे चमड़े और खाल के और आगे उपयोग के लिए रोजगार के अवसरों से गुणवत्ता वाले चमड़े के उत्पादन में वृद्धि होगी। यह योजना आरंभ में प्रायोगिक आधार पर तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मेघालय में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

क. पशुओं/पक्षियों का वैज्ञानिक और स्वस्थ कर वध सुनिश्चित करना।

ख. 50,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बूचड़खानों की स्थापना करना जो गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं द्वारा चलाए जा सके।

ग. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना ताकि पशुधन स्वामियों को उप-उत्पादों के उचित उपयोग से अधिक अच्छी आय प्राप्त हो सके।

घ. कोल्ड चेन के नेटवर्क की स्थापना तथा वाणिज्य आधार पर वितरण द्वारा बूचड़खानों से उपभोक्ता तक मीट के उत्पादन में स्वच्छता का सुनिश्चय करना।

3.15.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उप-उत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना को 4.00 लाख रुपए की टोकन राशि के साथ बनाए रखा गया है।

3.16 मृत पशुओं का उपयोग

3.16.1 मीट आयात करने वाले देश स्वच्छता के उपाय के रूप में पशुधन के अपशिष्ट और मृत पशुओं के उचित निपटान के लिए सुविधाएं मुहैय्या कराने पर जोर देते हैं। केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चैन्नई ने प्रतिवर्ष 24 मिलियन बड़े पशुओं तथा 17 मिलियन जुगाली करने वाले छोटे पशुओं की मृत्यु की सूचना दी है। अनुमान है कि मृत पशुओं के चमड़े/खाल और अन्य उप उत्पादों की प्राप्ति न होने/आंशिक रूप से प्राप्ति होने के कारण प्रतिवर्ष 985 करोड़ रुपए का काफी बड़ा नुकसान होता है। इस योजना में ऐसे स्थानों पर कंकालों के उपयोग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां अधिक मात्रा में पशु होते है और इससे गरीबों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(क) पर्यावरणीय प्रदूषण और पशुओं संबंधी बीमारियों को फैलने से रोकना।

(ख) कंकालों को एकत्र करन, चमड़ा उतारने और उप उत्पादों को संशोधित करने में लगे हुए ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैय्या कराना।

(ग) समय पर प्राप्ति, अच्छे रखरखाव और परिवहन के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की खाल और चमड़े का उत्पादन।

(घ) सिविल और रक्षा संबंधी हवाई जहाजों की पक्षियों के टकराने से होने वाले खतरों को रोकना।

3.16.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उप-उत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियोजन देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना को 5.00 लाख रुपए की टोकन राशि के साथ बनाए रखा गया है।

3.17 सूअर विकास

3.17.1 इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले सुअर के गोश्त का उत्पादन करने और सुगठित सूअर के गोश्त के सुव्यवस्थित विपणन के लिए स्टालों में पाले गये सूअरों की पालना द्वारा विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में किसानों/भूमिहीन श्रमिकों/ सहकारिताओं, जनजातियों का सहायता देना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और अवसंरचना स्थापित करके सुअरों के व्यापारिक पालन को प्रोत्साहित करना।

(ख) उन्नत जर्मप्लाज्म का उत्पादन और आपूर्ति।

(ग) वैज्ञानिक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए साझेदारों (स्टॉकहोल्डरों) को संगठित करना।

(घ) मीट उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना।

(ङ) अच्छी आय के लिए वैल्यू एडीशन को प्रोत्साहित करना।

3.17.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उप-उत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियोजन देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है।

3.17.3 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, नाबार्ड को कुल 1,000.00 लाख रुपए जारी किए गए थे जिसके प्रति वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में सूअर पालन और प्रजनन यूनिटों की स्थापना के लिए 1,712 लाभभोगियों को सहायता दी गई थी।

3.17.4 इस योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2013-14 कें कुल 780.00 लाख रूपये जारी गए गए हैं जिससे कुल 1,097 लाभभोगियों को सहायता दी गई है। इस योजना में नाबार्ड के जरिए किसानों को प्रशिक्षण और प्रचार की परिकल्पना की गई है।

3.18 पशुधन स्वास्थ्य

3.18.1 व्यापक वर्ण संकर प्रजनन कार्यक्रम शुरु करके पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही विदेशी रोगों सहित विभिन्न रोगों के प्रति इन पशुधन की संवेदनशीलता बढ़ गई है। मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से पोलीक्लीनिकों/पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों/प्राथमिक सहायता केन्द्रों तथा मोबाइल पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों में मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं देने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय और 5 क्षेत्रीय निदान प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं जो अब पूर्णरूपेण काम कर रही हैं। इसके अलावा, रोग निरोधक टीकों के माध्यम से प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए देश में 27 पशु चिकित्सा टीका उत्पादन यूनिटों में अपेक्षित मात्रा में टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। इसमें से 20 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

3.18.2 देश में बेहतर पशुधन स्वास्थ्य का सुनिश्चिय करने के प्रयास किए जाने के साथ-साथ देश के बाहर से रोगों के प्रवेश को रोकने और पशुचिकित्सा औषधियों और सूत्रों का मानक बनाए रखने के प्रयास भी किए जाते हैं। इस समय भारतीय औषध नियंत्रक इस विभाग के परामर्श से पशुचिकित्सा औषधियों और जैविकों की गुणवत्ता विनियमित करते हैं। पशुधन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं।

3.19 पशु स्वास्थ्य निदेशालय

(क) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा

3.19.1 इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके तथा पशुधन एवं पशुधन से सम्बद्ध उत्पादों, जिसका निर्यात भारत से किया जाता है, के लिए अंतर्राट्रीय मानकों का निर्यात प्रमाणीकरण प्रदान करके भारत में पशु रोगों के प्रवेश को रोकना है। देश में छः पशु संगरोध केन्द्र हैं जिनमें से नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र अपने परिसरों में सुचारू रूप से कार्यरत हैं जिसमें एक छोटी प्रयोगशाला शामिल है। हैदराबाद और बंगलौर स्थित अन्य नये दो पशुसंगरोध केन्द्र इस समय एयरपोर्ट कार्यालयों से कार्य कर रहे हैं जहां से कुक्कुट, पालतू पशुओं, प्रयोगशाला पशुओं के आयातित मूल स्टॉक और पशुधन उत्पादों का वास्तविक सत्यापन करने के बाद क्लीयर किया जाता है। हैरदाबाद में संगरोध केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है बंगलौर स्थित संगरोध केंद्र पूरा होने के निकट है। और इस योजना से मैड-काऊ रोग (बीएसई), अफ्रीकन स्वाईन फीवर, संक्रामक इक्वीन मेट्रीटिस जैसे कई विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने में सहयोग मिला है। 2013-14 के दौरान पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशनों के क्रियाकलापों का विवरण **अनुबंध-XII** में दिया गया है।

ख. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र, बागपत

3.19.2 बागपत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया गया है ताकि टीकों और जैविकों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है और वह निम्नलिखित गतिविधियॉ चला रहा है:

- एलपीबी-ईएलआईएसए और टीकों की स्टरलिटी द्वारा सीरम नमूनों का परीक्षण करके एफएमडी टीकों का गुणवत्ता आश्वासन का परीक्षण करने की सुविधाओं के साथ वायरोलोजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया गया है। संस्थान ने स्टरलिटी, सुरक्षा और संतनि द्वारा एफएमडी टीके का परीक्षण किया है।
- एफएमडी टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पशु प्रयोग शुरु करने की सुविधाएं स्थापित कर दी गई हैं। और पशुओं में प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए पशुघर सुविधाओं को सामुदायिक समिति के पास पंजीकृत कर दिया गया है।
- बैक्टीरियल टीकों के स्टरलिटी परीक्षण करने के लिए बैक्टीरियोलोजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया गया है। और बी क्यू एच एस तथा एंटरो टॉकसाइकिमया टीकों का परीक्षण किया गया है।
- न्यूकैसल रोग टीका (जीवंत), संक्रामक बुरसल रोग (आईबीडी) के लिए परीक्षणों के मानकीकरण के साथ कुक्कुट टीका परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।
- क्लीनिकल पैथोलॉजी सहित पैथोलॉजी प्रयोगशाला कार्य कर रही है।

ग. केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

3.19.3 राज्यों में मौजूदा 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के जरिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र केन्द्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला, पुणे, पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, कोलकाता, पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान, बंगलौर तथा पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, गुवाहाटी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। एनआरडीडीएल (जलंधर), एसआरडीडीएल(बंगलौर), ईआरडीडीएल (कोलकाता) और सीडीडीएल (इज्जतनगर) स्थित प्रयोगशाला को पूर्व-निर्मित बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं से सुदृढ़ किया गया है जबकि माबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशाला एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को दी गई है। ये आरडीडीएल देश में एवियन इंफ्लूएंजा सहितस विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों की निगरानी और निदान के लिए सहायक हैं।

3.20 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

3.20.1 पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण'' के माध्यम से सहायता प्रदान करने के जरिए राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को संपूरण कर रहा है। इस योजना के से निम्नलिखित चार घटक हैं:

(क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)

(ख) व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

(ग) पशु प्लेग निगरानी और मानीटरिंग परियोजना (एनपीआरएसएम)

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

(ड.) पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)

(च) ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (ब्रूसेलोसिस सीपी)

(छ) पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम (पीपीआरसीपी)

(ज) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)

(ञ) इन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

3.20.2 इस घटक के तहत, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों को प्रतिरक्षण के जरिए नियंत्रित करने, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2012-13 के दौरान, 190 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में करीब 342.49 मिलियन टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान 250 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 360.65 मिलियन टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप पर सूचना एकत्र करने और इसे पूरे देश के सबंध में संकलित करने की व्यवस्था है। मुख्यालयों में संकलित सूचना प्रत्येक छमाही के आधार पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) को अधिसूचित की जाती है। भारत में वर्ष 2013 के दौरान भारत में पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप का विवरण **अनुबंध-XIII** में दिया गया है।

(ख) व्यावसायिक दक्षता विकास

3.20.3 व्यावसायिक दक्षता विकास में केंद्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सक अधिनियम, 1984 अपना लिया है। इस योजना का उद्देश्य पशुचिकित्सा प्रणालियों को विनियमित करना और पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों के रजिस्टर का रखरखाव करना है। इस प्रयोजन के लिए, केंद्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य पशुचिकित्सा परिषदों की स्थापना करने का प्रावधान है जहां भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 का विस्तार किया गया है। वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय पशुचिकित्सक अधिनियम, 1984 अपना लिया है।

3.20.4 इस अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 की धारा 4 के साथ पठित उसकी धारा 3 के उपबंधों के और दिनांक 23 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना के अनुसार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद नियमावली, 1985 के नियम 23 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों को नामित करके केंद्रीय सरकार (कृषि मंत्रालय) ने सदस्यों को नामित करके दिनांक 2 अगस्त, 1989 की गजट अधिसूचना सं. का.आ. 2051 द्वारा पहली बार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद का गठन किया।

(ग) राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरिंग योजना

3.20.5 इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को मई, 2006 में किए गए पशुप्लेग और मई, 2007 में सीबीपीपी संक्रमण से हासिल मुक्ति को कायम रखने के लिए अपेक्षित निगरानी बनाए रखने हेतु पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

3.20.6 पशुप्लेग और संक्रामक प्लूरो न्यूमोनिया जैसे रोगों से मुक्ति की भारत की स्थिति को कायम रखने के लिए रोगों के पुनर्प्रकोप का पता लगाने हेतु देश भर में गांव, स्टाक रूट और संस्थागत जांचों के जरिए वास्तविक निगरानी की जा रही है। रोग मुक्ति की स्थिति को बरकरार रखने के लिए वास्तविक निगरानी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों प्रदेशों के पशुपालन विभागों के स्टाफ की सहायता से रखी जा रही है।

3.20.7 दिनांक 27.2.2014 के प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा इस घटक का नाम बदल कर राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरिंग परियोजना (एनपीआरएसएम) कर दिया गया है।

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.20.8 खुरपका और मूंहपका रोग के कारण हुई आर्थिक हानियों को रोकने तथा फटे हुए खुरों वाले पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण

से जिसमें टीके की लागत, कोल्ड चेन का रखरखाव और टीकाकरण के लिए अन्य लाजिस्टिक सहायता संबंधी खर्चे शामिल हैं, 221चुने हुए जिलों में "खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम" नामक एक अवस्थिति विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकारें अन्य अवस्थापना सुविधाएं तथा जनशक्ति मुहैया करा रही है। 27.02.2014 को जारी किए गए प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा 2013-14 के दौरान उत्तर प्रदेश के शेष 55 जिलों और राजस्थान के 33 जिलों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम के दायरे का विस्तार किया गया है।

3.20.9 वर्ष 2012-13 के दौरान, एफ एम डी-सी पी के तहत कवर किए गए जिलों में लगभग 140.96 मिलियन टीके लगाए गए और लगभग 97,000 (टीका लगाने से पहले तथा बाद में) सेरा नमूने एकत्रित किए गए। वर्ष 2013-14 के दौरान, 155 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 193 मिलियन टीके लगाए गए हैं। 2013-14 के दौरान, 250 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 223.79 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में इस कार्यक्रम के अधीन 223.70 करोड़ रूपये की धनराशि जारी की गई है।

(ड.) मौजूदा पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

3.20.10 देश में लगभग 10,901 पशु चिकित्सालय/पॉलीक्लीनिक और 22,402 औषधालय हैं। नए पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने तथा मौजूदा अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ़/सुसज्जित करने में राज्यों की मदद करने के लिए विभाग 75: 25 (केन्द्रः राज्य) की हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि मुहैय्या करा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जहां 90: 10 के आधार पर अनुदान मुहैय्या कराया जाता है।

3.20.11 वर्ष 2012-13 के दौरान नए पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के निर्माण तथा मॉजूदा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 91.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 46.87 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 51.76 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2012-13 के दौरान लगभग 274 पशुचिकित्सा अस्पतालों और 931 पशुचिकित्सा डिसपेंसरियों के निर्माण/नवीकरण के लिए धनराशि जारी की गई है। दिनांक 27.02.2014 के प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा इस घट का नाम बदल कर ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है। इस योजना के अधीन वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान के रूप में 60.00 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान के रूप में 50.03 करोड़ रुपये मुहैया किए गए हैं जिसके प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 416 अस्पतालों और 363 डिस्पेंसरियों के निर्माण/नवीकरण के लिए 54.15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(च) ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

3.20.12 ब्रूसेलोसिस जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जेनेटिक रोग है, देश के अधिकांश भागों में महामारी का रूप ले चुका है। यह पशुओं में गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। गर्भपात को रोकने से नई बछड़िया पैदा होंगी जिससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इस तरह दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा। यह नया घटक वर्ष 2010 में शुरु किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन इलाकों में जहां इस रोग का प्रकोप अधिक है। 6 से 8 मास की सभी मादा बछडियों के व्यापक टीकाकरण के लिए 100S केन्द्रीय सहायता मुहैय्या कराई जाती है।

3.20.13 दिनांक 27.02.2014 के प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा इस घटक का नाम बदल कर ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है।

3.20.14 वर्ष 2012-13 के दौरान इस घटक के तहत राज्यों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए 11.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान और 6.58 करोड़ रूपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 6.01 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2013-14 के लिए बजट अनुमान के रूप में 12.00 करोड़ रूपए और संशोधित अनुमान के रूप में 6.20 करोड़ रूपये की राशि मुहैया कराई गई है जिसमें से 31 मार्च, 2014 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.19 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। गुजरात, असम, कर्नाटक, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, आदि जैसे राज्यों में पात्र मादाओं को लगभग 11.06 लाख टीके लगाए गए हैं।

(छ) पेस्ट-डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम

3.20.15 पेस्ट-डेस-पेटिट्स रूमिनेंटस (पीपीआर) एक वायरल रोग है जिसमें तेज बुखार, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल मार्ग में जलन जिसकी वजह से श्लेष्मल झिल्ली को नुकसान पहुंचता है और उसमें अल्सर हो जाता है, तथा अतिसार के लक्षण दिखाई देते हैं। पीपीआर संक्रमण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भेड़ और बकरियों में रूग्णता और मृत्यु दोनों रूपों में भारी नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2010 में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें संवेदी पशुओं का गहन टीकाकरण शामिल है, शुरु किया गया है। कार्यक्रम में सभी संवेदी बकरियों और भेड़ों और उनकी तीन आने वाली पीढियों का टीकाकरण शामिल है। पहले चरण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों और लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम का फरवरी, 2014 में सभी शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार किया गया है।

3.20.16 27.2.2014 के प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा इस घटक का नाम बदल कर पेस्ट-डेस पेटिटस (पीपीआर) नियंत्रण कार्यक्रम कर दिया गया है।

3.20.17 वर्ष 2012-13 के दौरान इस घटक के तहत 10.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 5.83 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 5.09 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 340 लाख टीके लगाए गए। इस घटक के अधीन वर्ष 2013-14 के लिए 22.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान और 7.26 करोड़ रूपये का संशोधित अनुमान मुहैया किया गया है जिसमें से 31 मार्च, 2014 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। 2013-14 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 25 मिलियन टीके लगाए गए।

(ज) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली

3.20.18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पशु रोग सूचना प्रणाली को कारगर और सरल बनाने के उद्देश्य से, फील्ड स्तर से रोगों की सूचना के लिए वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली क्रियान्वित की गई है जिसे राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली कहा जाता है। यह केंद्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन सवास्थ्य और रोग नियंत्रण' के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक प्रणाली है और यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित की गई है। एनएडीआरएस का मुख्य उद्देश्य समय पर और तेजी से निवारक को और उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने की दृष्टि से देश में पशुधन रोगों की स्थिति को रिकार्ड करना और मानीटर करना है। एनएडीआरएस में एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जो देश में प्रत्येक ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालयों को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) के साथ सम्बद्ध करता है। एनएडीआरएस एक वैब आधारित प्रणाली है जो ब्लॉक स्तर पर पशुचिकित्सा यूनिटों से पशु रोगों की उत्पति के आंकड़ों की सूचना देगी।

3.20.19 एनएडीआरएस के माध्यम से प्राप्त पशु रोग आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना मानीटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) स्थापित किया गया है। इस योजना का फरवरी, 2013 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। एनएडीआरएस सॉफ्टवेयर में फील्ड स्तर के पशुचिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। एनएडीआरएस के अधीन सूचित आंकड़े स्थिरीकरण चरण में है। वर्ष 2013-14 में एनएडीआरएस के लिए अनुमोदित परिव्यय 14.97 करोड़ रूपये तथा संशोधित अनुमान 12.00 करोड़ रूपये था जिसमें से 9.45 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।

3.21 एवियन इंफ्लूएंजाः तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

3.21.1 विभाग ने एवियन इंफ्लूएंजा (एआई), जो बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है, के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एएससीएडी के अधीन वित्तीय सहायता दी जाती है। विभाग ने देश में एवियन इंफ्लूएंजा के निवारण में ठोस प्रयासों के लिए एक संशोधित निगरानी योजना हाल में जारी की है। अगस्त, 2013 में छत्तीसगढ़ में एवियन इंफ्लूएंजा का एक प्रकोप सूचित किया गया था जिस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया गया था और 11.11.2013 को देश में एवियन इंफ्लूएंजा से मुक्त घोषित कर दिया गया था। वर्ष 2013 के दौरान, 22 देशों में एवियन इंफ्लूएंजा सूचित किया गया है।

सारणी 3.5 मार्च, 2014 तक एवियन इन्फलूएंजा का प्रकोप

एपिसोड	अवधि	प्रभावित राज्य	प्रकोप के केन्द्रों की संख्या	मारे गए पक्षी (लाख में)	अदा की गई क्षतिपूर्ति (लाख रुपए में)
पहला	फरवरी-अप्रैल, 2006	महाराष्ट्र	28	9.4	270.00
	फरवरी, 2006	गुजरात	1	0.92	32.00
दूसरा	मार्च, 2006	मध्य प्रदेश	1	0.09	3.00
तीसरा	जुलाई, 2007	मणिपुर	1	3.39	94.00
चौथा	जनवरी-मई, 2008	पश्चिम बंगाल (पहला प्रकोप)	68	42.62	1229.00
पांचवा	अप्रैल, 2008	त्रिपुरा	3	1.93	71.00
छठा	नवम्बर-दिसम्बर, 2008	असम	18	5.09	170.00
सातवां	दिसम्बर, 2008-मई, 2009	पश्चिम बंगाल (दूसरा प्रकोप)	11	2.01	36.00
आठवां	जनवरी, 2009	सिक्किम	1	0.04	3.00
नौवा	जनवरी, 2010	पश्चिम बंगाल (तीसरा प्रकोप)	12	1.56	68.80
दसवां	फरवरी-मार्च, 2011	त्रिपुरा	2	0.21	2.40
ग्याहरवां	8 सितम्बर, 2011	असम	1	0.15	6.52
बाहरवां	19 सितम्बर, 2011	पश्चिम बंगाल	2	0.49	19.29
तेरहवां	11 जनवरी, 2012	ओडिशा	1	0.32	24.71
चौदहवां	13 जनवरी, 2012	मेघालय	1	0.07	7.89
पन्द्रहवां	17 जनवरी, 2012	ओडिशा	1	0.11	5.87
सोलहवां	28 जनवरी, 2012	त्रिपुरा	1	0.06	1.20
सत्रहवां	4 फरवरी, 2012	ओडिशा	1	0.38	2.86
अठारहवां	15 मार्च, 2012	त्रिपुरा	1	0.05	0.09
उन्नीसवां	28 अप्रैल, 2012	त्रिपुरा	1	0.02	0.72
बीसवां	25 अक्तूबर, 2012	कर्नाटक	1	0.33	शून्य
इक्कीसवां	8 अक्तूबर, 2013	बिहार	**1**	0.06	2.06
बाइसवां	5 अगस्त, 2013	छत्तसीगढ़	**2**	0.31	शून्य
कुल			**160**	**69.61**	**2050.41**

3.21.2 भारत सरकार ने एवियन इंफ्लूएंजा के जारी प्रकोप के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में इसके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) देश में एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में निगरानी योजना' नवम्बर, 2013 में तैयार की गई है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं आदि को कार्यान्वयन के लिए परिचालित की गई है।

(ii) एवियन इंफ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना में 2012 में संशोधन किया गया था और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित की गई थी।

(iii) 0-1 कि0मी0 की परिधि में प्रभावित क्षेत्र की सभी कुक्कुटों को मारा जा रहा है।

(iV) प्रयोगशालाओं के उन्नयन, मानवशक्ति के प्रशिक्षण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामग्रियों का स्टॉक बनाने के संदर्भ में भविष्य में किसी भी घटना का सामना करने के लिए तैयारियों का निरंतर सुदृढ़ीकरण।

(v) पशुचिकित्सा कर्मियों का तैयारी, नियंत्रण तथा रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण जारी है। लगभग 90% पशुचिकित्सा कार्यबल को नियंत्रण और रोकथाम कार्य में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एवियन इंफ्लूएंजा की शीघ्र सूचना देने के लिए 44,395 सामुदायिक कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(vi) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए जालंधर, कोलकाता बंगलौर और बरेली में प्रि-फैब्रीकेटिड बायो-सेफ्टी स्तर 3 (बीएसएल3) प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। ये प्रयोगशालाएं पहले से ही कार्य कर रही एनईआरडडीडीएल गुवाहाटी को एक मोबाइल बीएसएल- III प्रयोगशाला भी मुहैया की गई है और यह भी कार्य कर रही है। 23 राज्य रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को बीएसएल 2 स्तर पर उन्नत किया जा रहा है। अठारह प्रयोगशालाओं ने पहले ही कार्य करना शुरु कर दिया है। शेष प्रयोगशालाएं पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(vii) नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री के रिजर्व को विकसित कर लिया गया है और इसका आगे विस्तार किया जा रहा है।

(viii) सूचना,शिक्षा तथा संचार (आईईसी)अभियानों के माध्यम से एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में आम लोगों को सुग्राही बनाना।

(ix) न केवल प्रकोपों बल्कि कुक्कुट में असामान्य बीमारी/मृत्यु तथा प्रयोगशाला निदानों के संबंध में भी सूचना देने के प्रति सुस्पष्ट दृष्टिकोण।

(x) सभी राज्य सरकारों को रोग के प्रकोप, यदि कोई हो, के प्रति सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है।

(xi) एचपीएआई पॉजिटिव देशों से कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(xii) पड़ोसी देशों से सटे सीमा चेक पोस्टों को सुदृढ़ किया गया है।

(xiii) रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व के विभिन्न पहलुओं पर कुक्कुट पालकों को आगे दिशानिर्देश देने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किए गए हैं।

(xiv) विभाग घरेलू और वन्य, दोनों तरह के पक्षियों में एवियन इंफ्लूएंजा की निगरानी और जानपदिक रोग में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से 'भारत में अत्यधिक रोगजनिक एवियन इंफ्लूएंजा के लिए आपातिक तैयारी को मजबूत करने के लिए तत्काल तकनीकी सहायता' के संबंध में एफएओ परियोजना भी क्रियान्वित कर रहा था जो सितम्बर, 2013 में समाप्त हो गई है।

3.22 पशुपालन सांख्यिकी

3.22.1 ''एकीकृत नमूना सर्वेक्षणष नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किए गए वार्षिक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अंडे, मीट व ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आकलन किया जाता है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। योजना के तहत राज्यों और उत्तर पूर्वी राज्यों संघ शासित प्रदेशों को पात्र पदों के लिए वेतन संबंधी खर्च का क्रमशः 50%, 90% और 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के लिए भी मुहैया कराई जाती है : (i) परिगणकों और पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण के लिए निर्धारित दर पर यात्रा/मंहगाई भत्ते के लिए (ii) पशुधन सेक्टर में प्रणालियों के अध्ययन और विकास हेतु (iii) सूचना प्रोद्योगकी (आईटी) सोल्यूशनों के लिए और (iv) आईएसएस प्रणाली के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु।

3.22.2 वार्षिक सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक आयोजित किए जाते हैं। ''पशुपालन और डेयरी सांख्यिकी के उन्नयन के लिए निर्देश संबंधी तकनीकी समिति (टीसीडी) योजना के संचालन में विभाग को दिशानिर्देशित करती है। सभी

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन/भेड़ पालन निदेशक, चार चुनिंदा राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक, सीएसओ और एनएसएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनन्द, एनडीआरआई, आईएएसआरआई और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसी अन्य स्वायत्त एजेंसियों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इस समिति के अध्यक्ष हैं। राज्य/ संघ शासित प्रदेश एम एल पी के अवधि- वार और साथ ही वार्षिक अनुमान भी संकलित करते हैं। एमएलपी के अवधि वार एवं वार्षिक आकंडों पर टीसीडी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। एक बार बैठक में आकंडों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन वार्षिक आंकड़ों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इन आंकडों को विभाग के द्विवार्षिक प्रकाशन "बेसिक एनीमल हसबेंडरी स्टेटिस्टिक्स" में भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन का अद्यतन अंक 2012 का है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एम एल पी के अवधि- वार और साथ ही वार्षिक अनुमान भी संकलित करते हैं। जिन पर टीसीडी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है। अंतिम टीसीडी डा. टी.सी.ए. अनंत, सचिव तथा भारत के मुख्य सांख्यिकार, सांखिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में 4-5 जुलाई, 2013 को अमृतसर, पंजाब में हुई थी। तदनुसार, इन अनुमानों को विभाग के वार्षिक प्रकाशन "मूल पशुपालन तथा मात्स्यिकी सांख्यिकी (बीएएचएण्डएफएस)" में प्रकाशित किया जाता है। 2012 तक यह द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता था जिसे अब वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है और "मूल पशुपालन तथा मात्स्यिकी सांख्यिकी (बीएएचएण्डएफएस)-2013" को इस विभाग की शासकीय वेबसाइट में प्रकाशित तथा अपलोड कर दिया गया है।

3.23 पशुधन संगणना

3.23.1 प्रथम पशुधन संगणना 1919-20 में आयोजित की गई थी और तब से यह भारत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जो फार्म पशुओं और कुक्कुट पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है। विभाग ने 15.10.2012 की संदर्भ तारीख के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों के माध्यम से देश में 15 सितम्बर, 2012 को 19वीं पशुधन संगणना आरंभ की है। 19वीं पशुधन संगणना से संबंधित संगणना, संगणना पश्चात् तथा संवीक्षा डाटा एंट्री तथा आंकड़ों के वैधीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्टें सृजित की जा रही हैं।

3.23.2 देश में पहली बार नस्ल सर्वेक्षण 18वीं पशुधन संगणना 2007 के साथ प्रारंभ किया गया था और 18वीं पशुधन संगणना के अनंतिम नतीजे 2010 में जारी किए गए हैं। 18वीं संगणना के दौरान डाटा संकलित करने में आई असामान्य समस्याओं को देखते हुए तकनीकी समिति ने 19वीं पशुधन संगणना तथा नस्ल सर्वेक्षण को अलग-अलग करने का सुझाव दिया है। तदनुसार, 19वीं पशुधन संगणना के भाग के रूप में सभी उप जिलों में 15 प्रतिशत नमूना गांवों में नस्ल सर्वेक्षण प्रारंभ कर दिया गया था। इस सर्वेक्षण से संबंधित फील्ड कार्य पूरा कर लिया गया है तथा डाटा वैद्यीकरण से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

3.24 पशुधन बीमा

3.24.1 पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि रोग नियंत्रण के और अधिक प्रभावकारी उपाय प्रदान करने और पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधारने के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों को ऐसे पशुओं की संभावित हानि के लिए सुनिश्चित सुरक्षा तंत्र प्रदान किया जाए। यह योजना 10.12.2009 से 300 चुनिन्दा जिलों को कवर करती है।

3.24.2 इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के दो उद्देश्य हैं- अपने पशुओं को किसानों और पशुपालकों को मृत्यु के कारण होने वाली संभावित हानि के लिए सुरक्षात्मक तंत्र प्रदान करना और पशुधन बीमा के लाभ को प्रदर्शित करना। इस योजना से उन किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचता है जिनके पास स्वदेशी/वर्ण संकरित दुधारू गोपशु और भैंसे हैं। राजसहायता के लाभ को दो पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रखा जाएगा। इस योजना के तहत निधियों का उपयोग प्रीमियम राजसहायता के भुगतान, पशुचिकित्सकों को उनकी सेवा के लिए मानदेय प्रदान करने तथा लक्षित समूह के बीच जागरूकता लाने के प्रचार-प्रसार में किया जा रहा है। बीमा प्रीमियम का 50S भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

3.24.3 इस योजना के तहत कवर किए गए जिलों की सूची अनुबंध-XIV में दी गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान, मार्च, 2014 तक राज्यों को 47.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है और 10.88 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

अध्याय 4

डेयरी विकास

अध्याय 4

डेयरी विकास

4.1 भारतीय डेयरी क्षेत्र का पिछले वर्षों में पर्याप्त विकास हुआ है। विवेकशील नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप 2011-12 में दूध के उत्पादन 127.9 मिलियन टन था जो 2012-13 से बढ़कर 132.43 मिलियन टन करके और 3.5 प्रतिशत की वृद्धि करके भारत विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में पहला स्थान रखता है। वर्ष 2013-14 के लिए देश में दूध का उत्पादन लगभग 138 मिलियन टन होने की आशा है। यह हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में सतत वृद्धि का द्योतक है।

4.2 डेयरी लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत बन गया है और उन लाखों लोगों, विशेष रूप से महिला किसानों और सीमांत किसानों के लिए रोजगार और आय के अवसर जुटाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 296.5 ग्राम प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गई है जो 294 ग्राम प्रतिदिन की विश्व औसत से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। मार्च 2013 तक लगभग 15.1 मिलियन किसानों को 1,55,694 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के तहत लाया गया है। सहकारी दुग्ध संघों ने पिछले वर्ष के 28.7 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान32.8 मिलियन कि. ग्रा. दूध प्रति दिन के औसत से खरीदा है और 14.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सहकारी सेक्टर द्वारा तरल दूध की बिक्री वर्ष 2012-13 के दौरान 23.7 मिलियन लीटर प्रतिदिन पहुंच गई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 3.7 प्रतिशत अधिक है।

4.3 डेयरी क्षेत्र में विभाग के प्रयास गैर-ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिसमें दुग्ध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए राज्यों में सहकारिताओं की ढांचागत संरचना तैयार करना, रूग्ण डेयरी सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना तथा मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना शामिल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रख रहा है। इस विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही डेयरी विकास योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है:

4.4 गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)

4.4.1 गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई डी डी पी) नामक योजना को गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100% अनुदान सहायता आधार पर 1993-94 में आरंभ किया गया था। इस योजना को मार्च, 2005 में अशोधित किया गया था और इसे सघन डेयरी विकास कार्यक्रम का नाम दिया गया था। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- दुधारू गोपशुओं का विकास।
- तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि।
- लागत प्रभावी तरीके से दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन।
- दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।
- अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना।
- अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, पौषणिक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

4.4.2 इस समय को पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्रों तथा उन जिलों में क्रियान्वित किया गया है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यकलापों के लिए 50.00 लाख रुपए से कम धनराशि मिली थी। राज्य सहकारी दूग्ध परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध संघों की विशेषज्ञता और व्यावसायिकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती है और संशोधित योजना के अंतर्गत धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी की जाती है। इस योजना के अधीन लिंग और श्रेणी में कोई भेदभाव नहीं है।

(इस योजना को 19.12.2013 को अनुमोदित ''राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास'' नामक नई योजना में विलय कर दिया गया है)।

4.4.3 योजना की शुरुआत से, 114 योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। इनमें से 60 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं तथा 54 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 31 मार्च, 2014 तक कुल 716.40 करोड़ रुपए की लागत से 27 राज्यों एवं एक संघ राज्य क्षेत्र में 261 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए ''पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी के लिए विशेष पैकेज हेतु चार परियोजनाएं शामिल हैं। 31.3.2014 तक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संगत राज्य सरकार तथा दुग्ध संघ/परिसंघों को कुल 577.88 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। इन परियोजनाओं से प्रतिदिन 38.91 लाख कि.ग्राम दूध की अधिप्राप्ति तथा 28.12 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के विपणन द्वारा विभिन्न राज्यों के 38,817 गांवों के 27.90 लाख कृषकों को लाभ हुआ है। इस योजना के तहत 34.38 लाख लीटर दूध की प्रतिदिन चिलिंग क्षमता तथा 42.90 लाख लीटर दूध प्रतिदिन की प्रसंस्करण क्षमता सृजित की गई है।

4.5 सहकारिताओं को सहायता

4.5.1 बीमार डेयरी सहकारिताओं को पुनर्जीवन देने के उद्देश्य से जनवरी, 2000 में केंद्रीय सेक्टर योजना के रूप में सहकारिताओं को सहायता आरंभ की गई थी। यह घाटे वाले दुग्ध संघों को केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 50:50 साझेदारी के आधार पर अनुदान सहायता प्रदान करती है। इसे एनडीडीबी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और बीमार दुग्ध संघों की पुनजीर्वित करने की योजनाओं को संगत दुग्ध संघों के साथ विचार विमर्श करके एनडीडीबी द्वारा तैयार किया गया है। प्रत्येक पुनर्वास योजना को इस तरह से तैयार किया जाता है कि बीमार सहकारिता का निवल मूल्य इस योजना के अनुमोदित होने की तिथि से 7 वर्षों की अवधि के अन्दर सकारात्मक हो जाएगा। (इस योजना को 19.12.2013 को अनुमोदित ''राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास'' नामक नई योजना में विलय कर दिया गया है)।

4.5.2 इस योजना के आरंभ से, 289.64 करोड़ रूपए की कुल लागत तथा 144.81 करोड़ रूपए की 50 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ 42 दुग्ध संघों के पुनर्वास प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च, 2014 तक इस योजना के अंतर्गत इसमें से 127.66 करोड़ रूपए की राशि केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई है। मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार, 27 दुग्ध संघों के संबंध में सात वर्ष की पुनर्वास अवधि समाप्त हो चुकी है। इनमें से 8 दुग्ध संघों ने सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर लिया है जबकि 6 दुग्ध संघ लाभ कमा रहे हैं, परन्तु अभी तक उन्होंने सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त नहीं किया है। 13 दुग्ध संघ अभी भी हानि उठा रहे हैं और उनका निवल मूल्य नकारात्मक है। शेष 15 दुग्ध संघों में से, 11 अन्य सात वर्ष की पुनर्वास अवधि के पूरा होने से पहले सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त कर लेने की संभावना है।

4.6 गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

4.6.1 घरेलू बाजार में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और अंर्तराष्ट्रीय बाजार में दुग्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए, विभाग ने निम्नलिखित

उद्देश्यों के साथ अक्तूबर, 2003 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आरम्भ की है:

i) उपभोग केन्द्रों तक किसानों के स्तर पर गुणवत्ता दुग्ध और दूध उत्पादों के उत्पादन परीक्षण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना

ii) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और अवस्थापना तंत्र को सुदृढ़ करना

iii) कच्चे दूध के तत्काल प्रशीतन के लिए दुग्ध संग्रहण केन्द्रों में भारी मात्रा में दुग्ध प्रशीतन सुविधाओं की स्थापना करने के जरिए कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार लाना।

4.6.2 इसकी वित्तपोषण सहायता पद्धति इस प्रकार है कि लाभ अर्जन कर रहे दुग्ध संघों को (जिन्होंने विगत वर्ष 31 मार्च को 1 करोड़ रूपए से अधिक लाभ कमाया हो) 75 प्रतिशत सहायता अनुदान तथा सभी अन्य दुग्ध संघों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना राज्य सरकार के माध्यम से जिला स्तरीय सहकारी दुग्ध संघों/राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध परिसंघ द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना जिला स्तरीय सहकारी दुग्ध संघों/राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध परिसंघों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। (इस योजना को 19.12.2013 को अनुमोदित ''राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास'' नामक नई योजना में विलय कर दिया गया है)।

4.6.3 शुरुआत से, विभाग ने 31 मार्च, 2014 तक 289.96 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 346.94 करोड़ रुपए की कुल लागत से 22 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र को शामिल करते हुए 176 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इन में से 111 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और शेष 65 परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2013-14 (31 मार्च, 2014 तक) 234.55 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। लगभग 7.24 लाख किसान सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 47.47 लाख लीटर की कुल चिलिंग क्षमता वाले 2271 बल्क दूध कूलर लगाए गए हैं और 1,796 मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

4.7 डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

4.7.1 सितम्बर, 2010 में डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) नामक एक आशोधित योजना शुरू की है जिसका उद्देशय देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना तथा स्व-रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी के उपशमन में मदद करना है। यह योजना नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जो सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत तक की बैक एंडिड कैपिट ल सब्सिडी के साथ वाणिज्यिक रूप से बैंक ग्राह्य परियोजनाओं को वाणिज्यिक, सहकारी, शहरी तथा ग्रामीण बैंकों के ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य संबंधी समिति ने 12.12.2013 को हुई अपनी बैठक में कुछ आशोधनों तथा 1400 करोड़ रूपए के बजट प्रावधान के साथ इस योजना को 12वीं योजना के दौरान जारी रखने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।

4.7.2 इसके प्रारंभ होने से लेकर अब तक जारी 724.70 करोड़ रूपए की कुल राशि में से नाबार्ड ने 31 मार्च, 2014 तक 1,86,325 डेयरी यूनिटें स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को 677.05 करोड़ रूपए बैक एंडिड सब्सिडी के रूप में वितरित कर दिए हैं।

4.8 राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीएण्डडीडी)

4.8.1 चार चल रही योजनाओं, नामतः सघन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीपी), गुणवत्तापूर्ण

और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण (एसआईक्यू- सीएमपी), सहकारिताओं को सहायता तथा राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) का विलय करके एक नई पुनर्गठित योजना, नामतः राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीबीबीएण्डडीडी) 27.02.2014 को प्रारंभ की गई है। इसे 12वीं योजना में कार्यान्वयन हेतु 1800 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान प्रदान किया गया है। अब इस योजना के दो घटक होंगे-क) राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन कार्यक्रम (एनपीबीबी) और (ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

4.8.2 राष्ट्रीय बोवाईन प्रजनन कार्यक्रम:

1) किसानों के द्वार तक गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं की व्यवस्था करना

2) उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म का प्रयोग करके कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक सेवा के माध्यम से सभी प्रजनन योग्य मादाओं को संगठित प्रजनन के अंतर्गत लाना

3) उच्च सामाजिक-आर्थिक महत्ता वाली चयनित स्वदेशी बोवाईन नस्लों का संरक्षण, विकास तथा प्रसार।

4) नस्लों को ह्रास तथा लुप्त होने से बचाने के लिए महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के प्रजनन ट्रैक्टों में गुणवत्तापूर्ण प्रजनन आदान प्रदान करना।

4.8.3 राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम:

1) उपभोक्ता से किसान तक संपर्क स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन हेतु शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण

2) दूध के प्रापण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण

3) डेयरी किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना सृजित करना।

4) ग्राम स्तर पर डेयरी सहकारी सोसाइटियों/ उत्पादक कम्पनियों को सुदृढ़ करना

5) गोपशु आहार तथा खनिज मिश्रण इत्यादि जैसी तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दूध के उत्पादन को बढ़ाना

6) संभावित रूप से व्यवहार्य दुग्ध परिसंघों/संघों के पुनर्वास में सहायता।

4.9 राष्ट्रीय डेयरी योजना

4.9.1.1 2242 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली एक केन्द्रीय सेक्टर की योजना, राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1 (एनडीपी-1) को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 14 प्रमुख डेयरी राज्यों में अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है:

- दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना ताकि दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
- संगठित दुग्ध-प्रसंस्करण क्षेत्र तक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की और अधिक पहुंच बढ़ाने में सहायता करना।

4.9.1.2 एनडीपी-। के अंतर्गत वित्तपोषित की जारी प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

गतिविधि	प्रमुख आउटपुट
उच्च आनुवंशिक गुणता (एचजीएम) वाले गोपशु तथा नर भैंसों का उत्पादन	• 2500 एचजीएम सांडों का उत्पादन • 400 विदेशी सांडों/समकक्ष भ्रूणों का आयात
''क'' और ''ख'' श्रेणी के वीर्य केंद्रों का का सुदृढ़ीकरण	• अंतिम वर्ष में 100 मिलियन वार्षिक वीर्य खुराकों का उत्पादन
द्वार पर व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान डिलिवरी सेवाओं के लिए प्रायोगिक मॉडल	• अंतिम वर्ष तक 3000 एमएआईटी द्वारा द्वारा पर 4 मिलियन वार्षिक कृत्रिम गर्भाधान किए गए।
राशन संतुलन कार्यक्रम	• 40000 गांवों में 2.7 मिलियन दुधारू पशुओं की कवरेज

गतिविधि	प्रमुख आउटपुट
चारा विकास कार्यक्रम	• 7500 टन प्रमाणित/ सत्यतापूर्ण लेबल किए गए चारा बीजों का उत्पादन • 1350 साइलेज बनाने/चारा संरक्षण संबंधी प्रदर्शन
ग्राम स्तर पर दुग्ध प्रापण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और विस्तार	• 23,800 अतिरिक्त गांव तथा 1.2 मिलियन अतिरिक्त दुग्ध उत्पादक कवर किए जाएंगे।
परियोजना प्रबंधन तथा जानकारी	• आंकड़े एकत्र करने संबंधी मानीटरिंग, जानकारी तथा मूल्यांकन प्रणाली, उसका विश्लेषण तथानिर्वाचन

4.9.1.3 एनडीपी-। के फोकस क्षेत्र वाले सभी 14 प्रमुख डेयरी राज्यों तथा उत्तराखंड ने एनडीपी-। के सफल कार्यान्वयन के लिए एक सुकर वातावरण सृजित करने के लिए प्रमुख नीतिगत/नियामक उपाय प्रारंभ करने संबंधी अनुपालना हेतु एक समय सीमा को मान लिया है उसके प्रतिवचनबद्ध हो गए हैं।

4.9.1.4 मार्च, 2014 तक 1,146.63 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय के साथ 171 उप परियोजना प्रस्तावों (एसपीपी) को अनुमोदित कर दिया गया है, जिसमें परियोजना प्रबंधन और जानकारी संबंधी नौ परियोजनाएं शामिल हैं। कुल अनुमोदनों में से, 991.90 करोड़ रूपए अनुदान सहायता तथा 154.73 करोड़ रूपए ईआईए का अंशदान होगा।

4.9.1.5 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएडीएफ) ने मार्च, 2014 तक एनडीपी-। के लिए 266.79 करोड़ रूपए जारी किए हैं, जिसमें से 2013-14 के दौरान 139.79 करोड़ रूपए प्राप्त हुए। मार्च, 2014 तक उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा परियोजना प्रबंधन और जानकारी संबंधी गतिविधियों के लिए ईआईए को 204.55 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

4.9.2 पशु प्रजनन संबंधी गतिविधियां

4.9.2.1 उच्च गुणवत्ता वाली रोग मुक्त वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए विभिन्न नस्लों में रोग मुक्त एचजीएम सांडों की मांग को पूरा करने के लिए एनडीपी-। के अंतर्गत संतति परीक्षण (पीटी) तथा नस्ल चयन (पीएस) कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य इस परियोजना अवधि के अंत तक देश भर के हिमित वीर्य केंद्रोंके लिए एचजीएम सांडों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करना/उत्पादन करना है/उच्च गुणवत्ता वाली रोग मुक्त हिमित वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए विद्यमान वीर्य- केंद्रों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है।

4.9.2.2 पीटी कार्यक्रम के अंतर्गत, 10 राज्यों को 13 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। आशा है कि इनसे देश भर के वीर्य केंद्रों के लिए 2000 से अधिक सांड उपलब्ध हो सकेंगे।

4.9.2.3 गोपशु तथा भैंसों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण के लिए, पीएस के माध्यम से सांड उत्पादन के लिए 4 राज्यों की छह उप-परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। इन उप-परियोजनाओं से देश भर के वीर्य केंद्रों को लगभग 360 सांड उपलब्ध हो सकने की आशा है।

4.9.2.4 वीर्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए 12 राज्यों की 19 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है। आशा है कि इस परियोजना के अंत तक ये सभी वीर्य केंद्र मिलकर 85 मिलियन खुराकें प्रतिवर्ष से अधिक उत्पादन कर सकेंगे।

4.9.2.5 द्वार पर व्यवहार्य कृत्रिम गर्भाधान डिलिवरी सेवा हेतु प्रायोगिक मॉडल प्रारंभ करने के लिए दो उप-परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है जिनमें 730 सचल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों द्वारा 4,868 गांवों को कवर किया जाएगा। एचएफ तथा जर्सी के 2400 भ्रूणों को आयात करने संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

4.9.3 पशु पोषण संबंधी गतिविधियां

4.9.3.1 दुधारू पशु अपनी आनुवंशिक क्षमता के अनुरूप दूध का उत्पादन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए राशन संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) तथा चारा विकास कार्यक्रम (एफडीपी) कार्यान्वित किए जा रहे हैं। आरबीपी के अंतर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध आहार संसाधनों का प्रयोग करके एनडीडीबी द्वारा विकसित पशु उत्पादकता तथा स्वास्थ्य हेतु सूचना तंत्र (आईएनएपीएच) नामक उपभोक्ता-अनुकूल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके स्थानीय संसाधन व्यक्ति (एलआरपी) द्वारा किसानों के द्वार पर न्यूनतम लागत वाला संतुलित राशन तैयार किया जाता है, चारा विकास के अंतर्गत, प्रमाणित/सत्यापूर्ण लेबल किए गए चारा बीजों के संवर्धन के साथ मोवर, बायो मास बंकर, साइलेज बनाने संबंधी क्षेत्रीय प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

4.9.3.2 आरबीपी के अंतर्गत, 12 राज्यों में 34 उप-परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 14000 गांवों में लगभग 11 लाख दुधारू पशुओं को एलआरपी द्वारा कवर किया जाएगा।

4.9.3.3 एफडीपी के अंतर्गत अनुमोदित, 12 राज्यों में फैली 29 उप-परियोजनाएं 5 नए बीज प्रसंस्करण संयंत्रों, एक फसल अपशिष्ट एनरिचमैंट तथा डैन्सीफिकेशन संयंत्रों की स्थापना, साइलेज बनाने के लिए 985 प्रदर्शनों, मोवरों के प्रयोग हेतु 318 प्रदर्शनों तथा बायो-मास बंकरों के प्रयोग के लिए 60 प्रदर्शनों हेतु सहयोग प्रदान करती हैं।

4.9.4 ग्राम आधारित दुग्ध प्रापण प्रणाली

4.9.4.1 कवरेज को बढ़ानेके लिए/ बाज़ार तक पहुंच को बढ़ाने में दुग्ध उत्पादकों को समर्थ बनाने के लिए दूध का उचित तथा पारदर्शी तरीके से संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध संग्रहण हेतु ग्राम स्तरीय अवसंरचना प्रदान की जा रही है। इसमें बल्क दुग्ध कूलर, डाटा प्रोसेसर आधारित दुग्ध संग्रहण यूनिट, स्वचालित दुग्ध संग्रहण यूनिट, दुग्ध कैन, दुग्ध संग्रहण अनुषंगियां इत्यादि शामिल हैं।

4.9.4.2 ऐसी आशा है कि राज्यों में फैली 58 अनुमोदित उप-परियोजनाएं 18,000 से अधिक गांवों को कवर करेंगी। इन उप-परियोजनाओं में लगभग 5.4 लाख नए सदस्यों के शामिल होने की आशा है।

4.9.5 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

4.9.5.1 उप-परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु ज्ञान के आधार और अपेक्षित कौशल का उन्नयन करने के लिए कृषकों, फील्ड कार्यकर्ताओं तथा ईआईए कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आशा है कि परियोजना अवधि के दौरान एनडीपी-I के अंतर्गत लगभग 20 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा/अभिमुख बनाया जाएगा। ये प्रशिक्षणकार्यक्रम एनडीडीबी अथवा ईआईए द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं।

4.9.6 वातावरण तथा सामाजिक प्रबंधन

4.9.6.1 यह परियोजना सभी लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं में महिलाओं; अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा छोटे धारकों को शामिल करने पर भी बल देती है। उप-परियोजनाएं तैयार करने के दौरान, वातावरण तथा सामाजिक मुद्दों की पहचान करने तथा इन्हें बढ़ाने और कम करने की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक परामर्श तथा प्रकटन किए जा रहे हैं।

4.10 एनडीडीबी द्वारा पोस्ट आपरेशन फ्लड तथा सहकारी आंदोलन का समेकन।

4.10.1 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) का मुख्यालय आनंद (गुजरात) में है। 1987 में एनडीडीबी को राष्ट्रीय महत्व की संस्था तथा एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया था। एनडीडीबी योजनाओं को बढ़ावा देता है तथा सहकारी पद्धति पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है और साथ ही ऐसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सहायता भी प्रदान करता है।

4.10.2 सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण

4.10.2.1 वर्ष 2013-14 के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी सहकारिताओं को सहकारी व्यापार को सुदृढ़ करने, उत्पादकता संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, डेयरी अवसंरचना का निर्माण करने और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तैयार करने के क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता देता है। 31 मार्च, 2014 तक 2898 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय से परिप्रेक्ष्य योजना के तहत लगभग 100 डेयरी सहकारिताओं की योजनाओं को स्वीकृत किया गया था। इसमें से 2,329 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी। डेयरी सहकारिताओं द्वारा अनुमोदित वित्तीय सहायता का उपयोग न किए जाने के कारण परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अनुमोदित वित्तीय परिव्यय संशोधित होकर

1952 करोड़ रूपए हो गया है, जिसमें से एनडीडीबी की वित्तीय सहायता 1479 करोड़ रूपए तक की है।

4.10.3 पशु प्रजनन

4.10.3.1 अप्रैल, 2012 में एनडीपी-I प्रारंभहोने के पश्चात् कई अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों ने संतति परीक्षण (पीटी) तथा नस्ल चयन (पीएस) के माध्यम से विभिन्न गोपशुओं और भैंसों की नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता (एचजीएम) सांडों के उत्पादन तथा उनके हिमित वीर्य केंद्रों (एफएसएस) के सुदृढ़ीकरण के लिए एनडीपी-I की परियोजना प्रबंधन यूनिट(पीएमयू) को उप-परियोजना योजनाएं प्रस्तुत की हैं।

4.10.3.2 अभी तक, विभिन्न नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए 13 संतति परीक्षण (पीटी) परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है।

4.10.3.3 गोपशुओं तथा भैंसों की विभिन्न नस्लों, नामत, गोपशुओं की कंकरेज, हरियाणा, राठी और गिर नस्लें तथा भैंसों की जाफराबादी तथा पंधारपुरी नस्लों के चयन (पीएस) के द्वारा विकास तथा संरक्षण के लिए उप-परियोजना योजनाएं, जिन्हें अनुमोदित कर दिया गया है, बनसकांथा दुग्ध संघ, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड (एचएलडीबी), यूआरएमयूएल न्यास, एसएजी तथा महाराष्ट्र पशुधन विकास बोर्ड (एमएलडीबी) द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी।

4.10.3.4 गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए गुणवत्तापूर्ण हिमित वीर्य की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 19 क और ख ग्रेड के वीर्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

4.10.3.5 विभिन्न वीर्य केंद्रों की विदेशी नस्लों के सांडों, नामतः जर्सी और होल्स्टीन फ्रीजिअर से संबंधित तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रजनक सांडों के उत्पादन के लिए सांडों तथा भ्रूणों को आयात करने का भी प्रस्ताव है। इन भ्रूणों से सांड बछड़ों के उत्पादन के लिए 4 प्रतिभागी एजेंसियों की पहचान कर ली गई है। सांडों के आयात के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने संबंधी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर दी गई हैं।

4.10.3.6 एनडीडीबी डेयरी सेवाओं (एनडीएस) द्वारा प्रबंधित- साबरमती आश्रम गोशाला, बिदाज, पशु प्रजनन केंद्र, सालोन और रोहतक वीर्य केंद्र सब ने मिलकर वित्तीय वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2014 तक हिमित वीर्य की लगभग 191 लाख खुराकें तैयार कीं। इसी अवधि के दौरान, देश में आठ डेयरी सहकारी वीर्य उत्पादन केंद्रों ने और 141.7 लाख हिमित वीर्य खुराकें उत्पादित कीं।

4.10.3.7 एनडीडीबी ने एक कार्यशाला आयोजित की जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने अपने-अपने देशों में प्रजनन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित अनुभवों को साझा किया। एनडीडीबी ने पशुओं की बॉडी टाइपिंग पर पीटी परियोजनाओं के समन्वयकोंको जानकारी देनेके लिए कार्यात्मक कृत्यों के संबंध में गोपशुओं और भैंसों की टाइपिंगपर प्रशिक्षकों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया।

4.10.4 पशु पोषण और आहार प्रौद्योगिकी

4.10.4.1 वर्ष के दौरान बाईपास प्रोटीन तथा वसा अनुपूरक क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण तथा बछड़ों का प्रारंभिक भोजन का संवर्धन वर्ष-भर जारी रहा। 12 टन प्रतिनि प्रत्येक की क्षमता वाले दो और खनिज मिश्रण संयंत्र शाहाबाद दुग्ध संघ, बिहार तथा साबरकांथा दुग्ध संघ, गुजरात में स्थापित किए गए थे। वर्ष के दौरान बाईपास प्रोटीन अनुपूरक के उत्पादन के लिए 50 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक बाईपास प्रोटीन संयंत्र भी पटना, बिहार में स्थापित किया गया था।

4.10.4.2 एनएफडीबी ने मासटिटिस की घटना को कम करने के लिए एक अनुपूरक तैयार किया है, जिसे यदि पिछले दुग्ध स्रवण में मासटिटिस की नैदानिक तथा उप-नैदानिक इतिहास वाली उच्च उत्पादकता वाली वर्णसंकर गायों को बछड़ा होने से 4 हफ्ते पहले प्रतिदिन खिलाया जाए तो इन गायों में मासटिटिस में 80 प्रतिशत की कमी हुई है। मास्टेक्ट तथा कैलिफोर्निया मासटिटिस परीक्षणों ने भी इसकी पुष्टि की है।

4.10.4.3 दुग्ध स्रवण वाली गायों तथा भैंसों को पोषणीय रूप से संतुलित राशन खिलाने के एंटेरिक मीम्पेन स्राव, दुग्ध उत्पादन तथा मेटाबॉलिक प्रोफाइल पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एनडीडीबी ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने फील्ड अध्ययन जारी रखे हैं। पोषणीय रूप से संतुलित राशन खिलाने से गायों तथा भैंसों में मीथेन स्राव में (दुग्ध उत्पादन के प्रति किग्रा में ग्राम) क्रमशः 19 तथा 13 प्रतिशत की कमी आई है।

4.10.4.4 हरे चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मक्का, सौरघम, बरसिम, ल्यूकरने, जई, लोभिया, बाजरा तथा क्लस्टर बीन के प्रमाणित/सच्चाई से लेबल किए गए चारा बीजों का लगभग 5,340 टन उत्पादन करने के लिए डेयरी सहकारिताओं की सहायता की गई थी। एनडीडीबी ने डेयरी सहकारिताओं के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से उन्नत उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के लगभग 9.63 टन ब्रीडर बीज उपलब्ध कराए।

4.10.5 पशु स्वास्थ्य

4.10.5.1 एनडीडीबी ने ब्रूसेलोसिस रोग तथा इस रोग के संभावित मामलों में किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले नियंत्रण उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्रूसेलोसिस नियंत्रण पर एक क्षेत्रीय प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के मुख्य घटक हैं: (i) मादा बछड़ों के काल्फहुड टीकाकरण (ii) कान पर की जाने वाली टैगिंग के माध्यम से टीकाकरण किए गए बछड़ों की पहचान (iii) सेरो-मानीटरिंग (iv) बीमारी ग्रस्त गांवों का मिल्क रिंग परीक्षण (एमआरटी) (v) बीमारी से ग्रस्त प्रत्येक पशु की पहचान के लिए रोज़ बंगाल प्लेट परीक्षण (आरबीपीटी) तथा ईएलआईएसए

4.10.5.2 यह कार्यक्रम पांच वर्ष की अवधि के लिए है और इसका कुल परिव्यय 169.06 लाख रूपए है, जिसमें से एनडीडीबी का अंशदान 104.95 लाख रूपए।

4.10.5.3 अप्रैल, 2013 में इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से लेकर मार्च, 2014 तक गोपशुओं और भैंसों के 4 से 8 माह की आयु के 4,429 बछड़ों का टीकाकरण कर दिया गया है। टीकाकरण किए गए पशुओं से संबंधित आंकड़े आईएनएपीएच प्रणाली में भी दिखाए गए हैं।

4.10.6 अनुसंधान और विकास

4.10.6.1 ब्रूसेलोसिस के निदान के लिए तात्कालिक पीसीआर द्वारा फील्ड से प्रयोगशालाओं तक नैदानिक नमूने सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए एफटीए कार्ड की उपयोगिता की जांच की जा रही है। विभिन्न प्रकार के नैदानिक नमूनों में से एफटीए कार्ड पर देखे गए दूध के नमूनों में जाति ब्रूसेला बहुत अधिक पहचानी गई।

4.10.6.2 बोवाईन जेनिटल कैम्पिलोबैक्टीरिओसिस, कैम्पिलोबेक्टर फीटस वेनेरेलिस (सीएफवी) तथा कैम्पिलोबेक्टर फीटस (सीएफएफ) से होता है। बीजीसी के सांस्कृतिक पहचान के लिए प्रयोगशाला नवाचार को मानकीकृत कर दिया गया है। एक तात्कालिक पीसीआरभी डिज़ाइन किया गया है जो सीएफएफ के सीएफवी के संदर्भ स्ट्रेन से डीएनए को पहचान लेता है। यह आमापन नैदानिक नमूनों में जीवाणुओं की पहचान करने के लिए अभी और मूल्यांकन के अधीन है।

4.10.6.3 गोपशुओं में ब्लूटंग (बीटीवी) संक्रमण के निदान का समर्थन करने के लिए ओआईई नवाचार की पद्धति के अनुसार वाइरस की बहुत अधिक संरक्षित एनएसआई जीन को लक्षित करने वाली एक नेस्टिड आरटी-पीसीआर का मानकीकरण किया गया है। बीटीवी के पांच सेरोट इपों (सेरोटाइप 1,2,10,16 तथा 23) तथा लक्षित जी (एनएस1) को रखने वाले एक सकारात्मक प्लाज़मिड से इस परीक्षण की पुष्टि की गई है।

4.10.6.4 बोवाईन सीरम से वाइरस की जीन जीबी तथा जीसी को लक्षित करने वाले संक्रामक बोवाईन राइनोट्रेकेइटिस वाइरस (बीएचवी-I) की पहचान के लिए एक लूप-मेडिएटिड आइसो थर्मल एम्पलीफिकेशन (एलएएमपी) आमापन की पुष्टि की जा रही है, जो आईबीआर सेरो-पाजिटिव सांडों के वीर्य में वाइरस की पहचान कर सके। इस आमापन की संवेदनशीलता तथा विशिष्टता का मूल्यांकन किया जा रहा है।

4.10.6.5 प्रयोगशाला बोवाइन ब्रूसेलोसिस, बोवाइन तपेदिक, पैरा-तपूदिक, आईबीआर तथा बीजीसी के लिए लगातार निदान प्रदान करती रही है। तात्कालिक पीसीआर द्वारा बीएचवी-I के लिए आईबीआर सेरो-ग्रस्त सांडों के विस्तारित बोवाईन वीर्य की जांच भी लगातार की जा रही है।

4.10.7 गुणवत्ता आश्वासन

4.10.7.1 एनडीडीबी, दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनेवाली डेयरी सहकारिताओं के संचालनों में सुधार करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकीय तथा क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों के माध्यम से उन डेयरी सहकारिताओं की सहायता करता है।

4.10.7.2 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डेयरी क्षेत्र से सम्बंधित उपयुक्त खाद्य नियमों की विकास प्रक्रिया और अन्य नियामक मामलों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी भी करता है।

4.10.8 दूध खरीद और विपणन

4.10.8.1 2013-14 के दौरान डेयरी सहकारिताओं द्वारा औसत दुग्ध खरीद पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान लगभग 335 लाख कि.ग्राम प्रतिदिन की तुलना में लगभग 344 लाख किग्रा प्रतिदिन (अनंतिम) थी, जो 2.6S की वृद्धि दर्शाती है। इसी अवधि के दौरान सहकारिताओं ने लगभग 238 लाख लीटर प्रतिदिन दूध के विपणन की तुलना में लगभग 247 लाख लीटर प्रतिदिन (अनंतिम) औसत दूध का विपणन किया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 3.8 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है ।

4.10.9 नई पीढ़ी की सहकारिताओ की पहलें (एनजीसी)

4.10.9.1 पिछले वर्ष प्रारंभ की गई पायस और माही नामक दो उत्पादक कम्पनियों ने मिलकर लगभग 3,000 गांवों में काम किया और लगभग 1 लाख सदस्यों, जिनमें 15 प्रतिशत महिला सदस्य और 54 प्रतिशत छोटे धारक दुग्ध उत्पादक सदस्य हें, से औसतन 9 लाख कि.ग्राम प्रतिदिन से अधिक दूध खरीदा। उन दोनों के पास संयुक्त रूप से अपने सदस्यों द्वारा अभिदत्त लगभग 32 करोड़ रूपए की प्रदत्त शेयर पूंजी है और 2013-14 के लिए उनका संयुक्त कुल कारोबार लगभग 1300 करोड़ रूपए होने की संभावना है। उन्होंने दुग्ध उत्पादकों को गोपशु आहार तथा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रणों की आपूर्ति भी आरंभ कर दी है।

4.10.9.2 एनजीसी संचालन आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में जारी हैं। संयुक्त रूप से वे लगभग 4500 गांवों में फैले 1.4 लाख दुग्ध उत्पादकों से लगभग 8 लाख लीटर प्रतिदिन दूध खरीद रहे हैं।

4.11 डेयरी विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के आबंटन तथा उपयोग संबंधी ब्यौरा

करोड़ रूपए में

क्रम सं0	आबंटित निधियां	उपयोग की गई निधियां
11वीं योजना	582.00	571.82
12वीं योजना (वर्ष 2012-13 के लिए)	543.30	522.35
12वीं योजना (वर्ष 2013-14 के लिए)	570.00 (बीई)/ 516.14 (आरई)	498.88

4.12 दूध प्रशीतन सुविधाओं का सृजनः-

4.12.1 प्रधानमंत्री कार्यालय डेयरी सेक्टर सहित कृषि में प्रशीतन श्रृंखला के सृजन की मासिक आधार पर मानीटरिंग कर रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य दुग्ध परिसंघों से इकट्ठा की गई जानकारी के आधार पर वर्ष 2012-13 के दौरान 1500 टीएलपीडी दुग्ध प्रशीतन क्षमता के लक्ष्य के मुकाबले 1705 टीएलपीडी क्षमता सृजित की गई थी और वर्ष 2013-14 के दौरान सहकारी डेयरी सेक्टर में 1750 टीएलपीडी के लक्ष्य के मुकाबले 1844 टीएलपीडी अतिरिक्त दुग्ध प्रशीतन क्षमता सृजित की गई है।

4.13 मानसून की कमी और डेयरी उद्योग पर इसका प्रभाव

4.13.1 डेयरी क्षेत्र पर मानसून की कमी का प्रभाव कई तरह से पड़ता है जैसे कि फसल उत्पादन कम होने तथा हुई फसल की बढ़ती हानि के कारण फसल अवशेषों तथा अन्य आहार तत्वों का अभाव; पुनरूत्पादन क्षमता में गिरावट; पशु रोगों विशेष रूप से वायरल तथा दुधारू पशुओं में प्रोटोजोआन का बढ़ता प्रकोप और दूध के उत्पादन में गिरावट होना। हरे चारे और क्वालिटी सान्द्रणों की कमी के कारण प्रजनन योग्य बोवाइनों की

प्रजनन क्षमता में बहुत अधिक गिरावट हो रही है । दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में गिरावट सबसे अधिक संकर नस्ल के गोपशुओं और उसके बाद भैंसों में देखी जाए।

4.14 देश में दूध की स्थिति

4.14.1 मूल्य की प्रवृति

4.14.1.1 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार दूध की वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2004-05=100) 9.47 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पहले यह 4.42 प्रतिशत थी। अधिकांश राज्य दुग्ध परिसंघों और मेट्रो डेयरियों ने विगत एक वर्ष में दूध के खरीद एवं विक्रय मूल्य दोनों बढ़ा दिए हैं यह औसत वृद्धि क्रमशः 4.02 रूपए प्रति लीटर एवं 3.73 रूपए प्रति लीटर है। मूल्य में वृद्धि का कारण दुग्ध उत्पादन की आदान लागत में वृद्धि होना माना जा रहा है ।

4.14.2 देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

4.14.2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान दूध से संबंधित निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी दिनांक 04.02.2013 की अधिसूचना सं0 31(आरई2012)/2009-2014, के तहत दूध उत्पादों जैसे, केसिन तथा केसिन उत्पाद (एचएस कोड 3501), मक्खन और दूध से प्राप्त अन्य वसा संजात, डेयरी स्प्रेड इत्यादि (एचएस 0405) तथा पनीर और दही (एचएस कोड 0405) सहित मूलभूत फार्म उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध/निषेध होने की स्थिति में भी संसाधित तथा/अथवा मूल्य संवर्धित कृषि उत्पादों के निर्यात को किसी भी प्रतिबंध/निषेध से छूट दी है।

(ii) राजस्व विभाग ने दिनांक 21.05.2013 की अपनी अधिसूचना सं0 30/2013-सीमा शुल्क के तहत तेलखली के आयात पर छूट को जारी रखने का निर्णय लिया है।

(iIi) विभाग माह में दो बार होने वाली संवीक्षा बैठकों के माध्यम से देश में दूध की स्थिति की नियमित मानीटरिंग कर रहा है।

4.15 दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस)

4.15.1 दिल्ली के निवासियों को उचित मूल्यों पर सम्पूर्ण दुग्ध की आपूर्ति करने तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त कराने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1959 में दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना की गई। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रसंस्करण/पैकिंग की आरम्भिक संस्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन है। तथापि, शहर में दूध के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता का चरणों में और विस्तार करके इसे 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर पर लाया गया है। विभाग ने संबंधित उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग करने के लिए एक वेबसाइट http://dms.gov.in विकसित की है।

4.15.2.2 आईएसओ 22000-2005 और आईएसओ 14001-2004-प्रमाणीकरण

4.15.2.1 दिल्ली दुग्ध योजना को मैसर्स आईआरक्यूएस, मुंबई से आईएसओ 22000-2005 प्रमाणन (कच्चे दूध की खरीद, तरल दूध तथा दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण) प्राप्त हुआ है जो 5-5-2015 तक वैध है तथा आईएसओ 14001-2004 प्रमाणपत्र (पर्यावरण और प्रबंधन प्रणाली) प्राप्त हुआ है जो 30.03.2016 तक वैध है ।

4.15.3 दुग्ध खरीद

4.15.3.1 दिल्ली दुग्ध योजना पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के राज्य डेयरी परिसंघों और सहकारी समितियों/उत्पादक समितियों तथा अन्य कम्पनियों से कच्चा/ताजा दूध खरीदती रही है। 2010-11 से

लेकर 2013-14 तक डीएमएस द्वारा खरीदे गए दूध का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख कि0ग्रा0 में)

वर्ष	खरीदे गए दूध की कुल मात्रा	औसत/ प्रतिदिन
2010-11	792.05	2.17
2011-12	870.13	2.38
2012-13	1077.60	2.95
2013-14	485.32	1.33

4.15.4 दुग्ध उत्पादन और वितरण

4.15.4.1 दिल्ली दुग्ध योजना दूध (फुल क्रीम, टोंड, तथा डबल टोंड) का प्रसंस्करण और दिल्ली के नागरिकों को सप्लाई करने के लिए मूल्य संवर्धित दुग्ध उत्पादों जैसे योगर्ट, घी, मक्खन, पनीर, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन कर रही है।

4.15.4.2 दिल्ली दुग्ध योजना के 1,056 बिक्री केन्द्र (पूर्ण दिवसीय दूध स्टॉलों सहित) हैं। दिल्ली दुग्ध योजना लगभग 172 संस्थाओं जैसे अस्पतालों, सरकारी कैन्टीनो, होटलों तथा रक्षा एककों इत्यादि को भी दूध सप्लाई करती है। इसके अतिरिक्त, डीएमएस दुग्ध वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति करता है।

4.15.4.3 दूध बूथ पूर्वसैनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी/ अर्धसरकारी कर्मचारियों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, विधवाओं, बेरोजगारोंको आबंटित किए जाते हैं और उनके द्वारा चलाए जाते हैं।

4.15.5 कार्य निष्पादन/कार्य क्षमता का उपयोग

4.15.5.1 दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 2.73 लाख लीटर (अक्तूबर, 2013 तक) दूध की बिक्री कर रही है जिसमें मदर डेयरी के ग्राहकों के लिए पैकिंग शामिल है। मदर डेयरी के दूध की पैकिंग 1.11.2013 से बंद कर दी गई है और बिहार परिसंघ के लिए दूध की पैकिंग 12.12.2013 से शुरू कर दी गई है। दुग्ध उत्पादन की लागत नीचे दी गई है।

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)	दूध की बिक्री (लाख लीटर में)	परिवर्ती लागत (रू. प्रति लीटर)	निर्धारित लागत (रूपए प्रति लीटर में)	कुल लागत (रूपए प्रति लीटर)
2009-10	73.10	1,332.77	19.86	3.05	22.91
2010-11	65.20	1,183.49	21.75	3.24	24.99
2011-12	62.00	1123.62	27.08	3.40	30.48
2012-13	60.20	1096.92	25.52	3.60	29.12
2013-14	54.00	973.28	30.70	4.25	34.95

4.15.6 वित्तीय परिव्यय

4.15.6.1 कच्चे दूध, एस एम पी, मक्खन, बटर ऑयल, आदि जैसे आदानों पर व्यय सहित, सभी लेखों पर व्यय तथा पूंजीगत मदों को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के वार्षिक बजट आबंटन के माध्यम से भारत सरकार की संचित निधि से पूरा किया जाता है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री की रकम को सरकारी राजस्व के खाते में जमा किया जाता है।

4.15.6.2 वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान आवंटित निधियां तथा किया गया व्यय नीचे दिया गया है:

(रुपए करोड़ में)

शीर्ष/योजना	2012-13			2013-14		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	किया गया व्यय (अनंतिम)
I. गैर योजना	370	366.64	340.83	451.05	371.40	323.35
II. योजना (सिविल/ इलेक्ट्रिक कार्य सहित)	2.00	2.00	1.56	10.00	3.65	2.70

4.15.7 डीएमएस के स्टाफ की संख्या में कमी

4.15.7.1 सरकारी मशीनरी में कमी करने तथा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, डीएमएस ने 31.3.2014 की स्थिति के अनुसार अपने कार्य करने वाले स्टॉफ की क्षमता को 837 से घटाकर 779 कर दिया है।

4.15.8 दिल्ली दुग्ध योजना के प्लांट का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

4.15.8.1 वर्तमान में, डेयरी प्रसंस्करण की दैनिक दुग्ध क्षमता लगभग 2.75 लाख लीटर है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान अमोनिया डिफ्यूज़र, 4 टीपीएच बॉयलर, 60 केएल दूध सिलो, दूध तथा छाछ की पैकिंग के लिए पॉली पैक मशीने, 750 केवीए ट्रांसफार्मर तथा एट मॉसफेरिक अमोनिया कंडेनसर लगाए गए हैं। दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान क्षमता उपयोगिता लगभग 54% है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाते हुए इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे है जिससे हानि को कम किया जा सके।

4.15.8.2 डीएमएस कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना

4.15.8.2.1 एमएस कर्मचारियों को एक बाहर की प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा 20-20 व्यक्तियों के बैच में 20 कार्य दिवसों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है और लगभग 300 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं।

4.15.9 दिल्ली दुग्ध योजना का निगमीकरण

4.15.9.1 दिल्ली दुग्ध योजना की गतिविधियां पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकृति की हैं इसे वाणिज्यिक तर्ज पर चलाने तथा इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली दुग्ध योजना के निगमीकरण के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ''सैद्धान्तिक रूप'' से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने मंत्रिमंडल के विचारार्थ एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है। उसे नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अध्याय 5

भारतीय मात्स्यिकी का सिंहावलोकन

अध्याय 5

भारतीय मात्स्यिकी का सिंहावलोकन

5.1 प्रस्तावना

5.1.1 भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन का लगभग 5.4% भारत से आता है। भारत जलकृषि के माध्यम से मछली का मुख्य उत्पादक देश है और चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। 2012-13 (अंनतिम) के दौरान कुल मछली उत्पादन 9.04 मिलियन टन रहा जिसमें से 5.72 मिलियन टन अंतर्देशीय सेक्टर से तथा 3.32 मिलियन टन क्रमशः समुद्री सेक्टर से प्राप्त हुआ।

5.1.2 1990-91 से मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि दिखाई दी है। 1990-91 में 3.84 एम टी मछली उत्पादन बढ़कर 2012-13 में 9.04 एम टी हो गया है। तथापि, मछली उत्पादन में वृद्धि एक आवर्ती पैट र्न दर्शाता है जिसमें अधिकाधिक दीर्घावधि रूझान हैं। 2008-09 से समुद्री सेक्टर में सतत वृद्धि देखी गई है।

मत्स्य उत्पादन (मिलियन टन में)

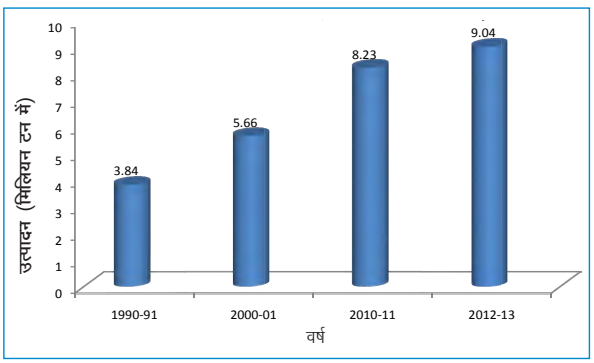

5.1.3 इस सेक्टर का समग्र सकल घरेलू उत्पाद लगभग 1 प्रतिशत तथा कृषि संबंधी सरल घरेलू उत्पाद में 4.6 प्रतिशत का योगदान है। समुद्र पार व्यापार में भी मछली उत्पाद एक महत्वपूर्ण हैं। 2012-13 के दौरान निर्यात की मात्रा बढ़कर 9,28,215 टन हो गई और इसकी कीमत 18,856.26 करोड़ रूपए हो गई, और पिछले वित्तीय वर्षसे 13.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

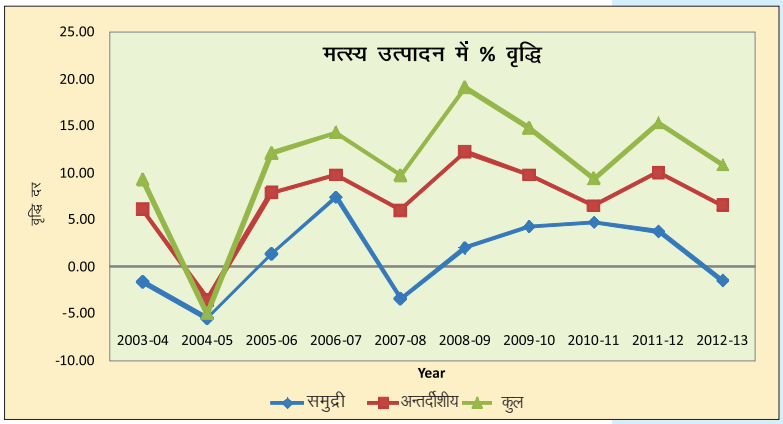

5.1.4 भारतीय मात्स्यिकी का ऐतिहासिक परिदृश्य मात्स्यिकी में समुद्री मात्स्यिकी के वर्चस्व के प्रतिमानों के स्थान पर एक ऐसा परिदृश्य दिखाता है, जहां देश के समग्र मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मात्स्यिकी एक प्रमुख अंशदाता के रूप में उभरा है। जैसाकि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, वर्तमान में देश के कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मात्स्यिकी का हिस्सा 63.3 प्रतिशत है।

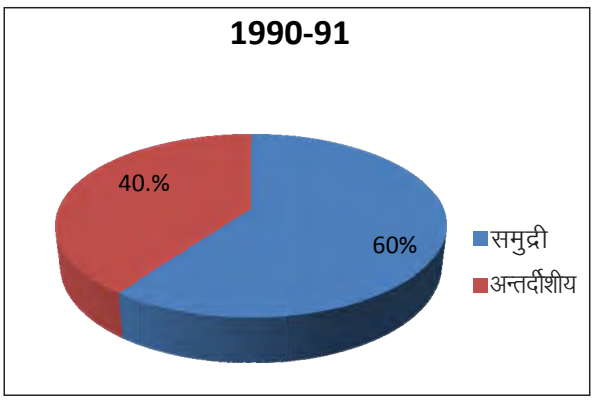

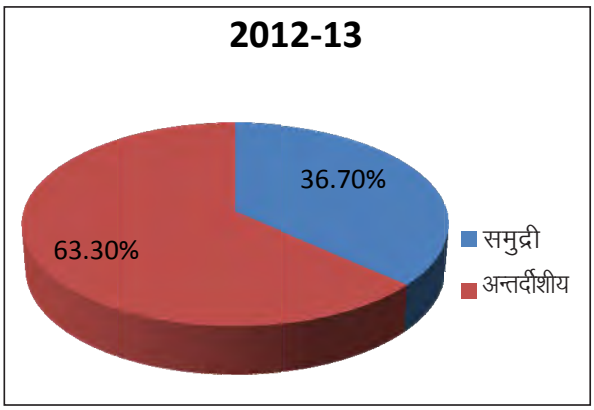

5.1.5 पिछले ढाई दशक अंतर्देशीय मात्स्यिकी के अंदर भी बदलाव आया है और अब कैप्चर मात्स्यिकी के बजाय जलकृषि उभरा है। 1980 के मध्य में अंतर्देशीय मात्स्यिकी में 34 प्रतिशत हिस्से वाली ताजा जल कृषि का हिस्सा हाल ही के वर्षों में बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गया है। पिछले तीन दशकों के दौरान सरकार द्वारा की गई पहलों के परिणामस्वरूप यह भारत की एक प्रमुख मछली उत्पादन प्रणाली के रूप में उभरकर आया है। लाभार्थियों को तकनीक, प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण और विस्तार का एक पैकेज देने के लिए तथा वित्तीय सहायता देने के लिए प्रत्येक जिले में मत्स्य पालक विकास एजेंसियां (एफएफडीए) स्थापित की गई थी। अभी तक देश में कार्य कर रही 429 एफएफडीए 0.65 मिलियन हैक्टेयर जल क्षेत्र को मछली पालन के अंतर्गत ले आई हैं और 1.1 मिलियन लाभार्थियों तक पहुंच चुकी हैं और 0.8 मिलियन को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। इस समय औसत वार्षिक उत्पादन लगभग 2.9 टन/हैक्टेयर है।

5.2 बलित क्षेत्र

5.2.1 यह देखा गया है कि वर्तमान में अंतर्देशीय मात्स्यिकी में मुख्यतः ताजा जल मात्स्यिकी का प्रभुत्व है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछली उत्पादन का अनय क्षेत्रों जैसे एकीकृत मछली पालन, शीत जल मात्स्यिकी, रिवरीन मात्स्यिकी, कैप्चर मात्स्यिकी, खारा जल जलकृषि इत्यादि में विविधिकरण किए जाने की आवश्यकता है। अतः हाल ही में उठाए गए कदमों ने एकीकृत मछली पालन, कापपॉलीकल्चर, ताजाजल झींगा पालन, बहता जल मछली पालन तथा रिवरीन मात्स्यिकी के विकास के द्वारा तालाबों तथा टैंकों में सघन जलकृषि को लक्ष्य किया है।

5.2.2 मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलकृषि के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार को एक महत्वपूर्ण विकल्प बनना होगा। इस संदर्भ में, बेकार पड़े जल निकाय अत्यंत उपयोगी हो सकते हैं और भविष्य में देश में मछली की मांग को पूरा करने हेतु मछली उत्पादन को बढ़ाने के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। देश में लगभग 1.3 मिलियन हैक्टेयर बील तथा अन्य बेकार पड़े जल निकाय हैं। उदाहरण के तौर पर तटवर्ती उड़ीसा में अप्रयुक्त जल निकायों जैसे बेकार पड़ी नहरों तथा नालों का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी प्रकार, असम के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बहुत बड़े बील बेकार पड़े हैं। ऐसे जल निकायों को मात्स्यिकी के अंतर्गत लाने से मछली उत्पादन को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए इन जल निकायों में मात्स्यिकी का विस्तार, मछली उत्पादन को बढ़ाने हेतु विभाग के बलित क्षेत्रों में से एक है।

5.2.3 जलाशय, जिनका भारत में अधिकतर दोहन नहीं किया गया है, उनमें मात्स्यिकी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। अतः जलाशय मात्स्यिकी विकास इस विभाग

बील मत्सय पालन आसाम

का एक बलित क्षेत्र है। पिंजरा पालन जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देकर जलाशयों की उत्पादकता को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। प्रारंभिक बड़े निवेश के कारण यह प्रौद्योगिकी भारत में अभी तक सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पाई है जो कि चीन जैसे देश में हो चुका है। इस विभाग की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त करके झारखंड तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने सफलतापूर्वक पिंजरा पालन प्रौद्योगिकी विकसित की है।

5.2.4 सरकार यह समझती है कि यदि दीर्घावधि में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में वृद्धि को बनाए रखना है तो गुणवत्तापूर्ण बीज तथा आहार की उपलब्धता आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार, विद्यमान तालाबों, नए तालाबों तथा जलाशयो में इष्टतम स्टॉकिंग के लिए लगभग 48,000 मिलियन फ्राई कुल मछली बीजों की आवश्यकता है। इसके मुकाबले, वर्तमान मछली उत्पादन लगभग 34,900 मिलियन फ्राई है। इस प्रकार लगभग 13,000 मिलियन फ्राई का अंतर है। अतः देश भर में ब्रेड बैंक तथा हैचरियां स्थापित करना इस विभाग के लिए प्राथमिकता का क्षेत्र है।

5.2.5 इस सेक्टर में उत्पादकता को सुधारने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण जलकृषि तथा जलीय रोगों का निवारण

छत्तीसगढ़ में पिंजरा मछली पालन

सरोढ़ा सागर रिजर्वेयर, छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन (एनएमपीएस) के अंतर्गत सहायता प्राप्त करके 2012-13 में छत्तीसगढ़ में मध्यम जल-निकायों में पिंजरा पालन प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ में कबीरधाम के सरोदासागर तथा क्षीरपानी जलाशय, बिलासपुरके घोंघा जलाशय, धामतारी जिले के दूधवा जलाशय में 48 पिंजरों वाली 4 पिंजरा बैटरी यूनिटें स्थापित की गई हैं। इन पिंजरों का आयाम 6 मीटर X 4 मीटर X 4 मीटर है। पिंजरों में पान्गेशियस मछली बीज वाले जाते हैं। इन पिंजरों में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। पान्गेशियस मछली का औसत आकार 1.00-1.20 किग्रा की रेंज में है। एक पिंजरे में मछली का उत्पादन (72 मी) 3.5 मीट है, जो अगले वर्ष 5 मी. ट प्रति पिंजरा प्रक्षेपित हैं। प्रति पिंजरा अंतर्ग्रस्त व्यय लगभग 2,10,000 रूपए है और वर्तमान लाभ 70,000/-रूपए है।

और प्रबंधन, जैविक कृषि तथा प्रेरित प्रजनन जैसी कुछ अन्य चुनौतियों का भी सामना करना होगा।

5.3 विभाग की मात्स्यिकी संबंधी चल रही योजनाएं:

5.3.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि विकास

5.3.1.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलकृषि का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में ताजा जल, खारा जल, शीत जल, जल मग्न क्षेत्र, जलाशयों सहित जलकृषि और कैप्चर मात्स्यिकी के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि के रूप में देश में उपलब्ध सभी अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधन शामिल हैं। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं:

- ताजा जल जलकृषि का विकास
- खारा जल जलकृषि का विकास
- शीतजल मात्स्यिकी तथा जलकृषि
- जलमग्न क्षेत्रों का विकास
- जलकृषि के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय भूमि का लाभकारी प्रयोग।
- अंतर्देशीय कैप्चर संसाधनों का एकीकृत विकास (जलाशय/नदियां इत्यादि)
- नवाचारी परियोजनाएं

5.3.1.2 इस योजना के प्रारंभ से 31.03.2014 तक 8,69,661 हैक्टेयर ताजा जल निकाय तथा 45,702 हैक्टेयर खारा जल निकाय विकसित किए गए हैं, जिसमें क्रमशः 1,46,6737 तथा 39,496 मछुआरों को लाभ हुआ है। 2013-14 के दौरान, 22000 हैक्टेयर ताजा जल निकाय तथा 2100 हैक्टेयर खारा जल निकाय विकसित किए गए हैं तथा क्रमशः 26,000 तथा 2400 मछुआरे लाभान्वित हुए हैं। संशोधित अनुमान 33 करोड़ रूपए के मामले इस योजना के अंतर्गत 2013-14 के दौरान 31.03 करोड़ रूपए की राशि व्यय की गई।

5.3.2 समुद्री मात्स्यिकी, अवसंरचना और पोस्ट-हार्वेस्ट संचालनों का विकास

5.3.2.1 इस विभाग ने समुद्री सेक्टर के विकास और पांरपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा है। इस योजना के तीन मख्य घटक हैं, समुद्री मात्स्यिकी का विकास, अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा नवाचारी गतिविधियां/इन योजनाओं के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं:

5.3.2.2 समुद्री मात्स्यिकी का विकास

- पारंपरिक यानों का मोटरीकरण
- समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा

- एचएसडी तेल पर मछुआरा विकास छूट
- ए मध्यवर्ती यान डिज़ाइन के मध्यवती यान शामिल करना
- यान मानीटरिंग प्रणाली की स्थापना तथा संचालन
- ईंधन दक्ष तथा पर्यावरण अनुकूल मत्स्यन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना
- समुद्री मात्स्यिकी प्रबंधन

5.3.2.3 अवसंरचना तथा पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

- मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों की स्थापना
- पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण
- मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों का रख-रखाव और ड्रेजिंग।

5.3.2.4 2012-13 के दौरान, 2370 यानों को मोटरीकृत किया गया, 8 गौण मत्स्यन बंदरगाह तथा 1 मछली उतारने के केंद्र का निर्माण किया गया, 27 अवसंरचना तथा विपणन परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं तथा मछुआरों को 1400 सुरक्षा किटें वितरित की गई थीं। 2013-14 के दौरान, 6260 यान मोटरीकृत किए गए 14 मछली उतारने के केंद्रों तथा छह गौण बंदरगाहों को निर्माण हेतु अनुमोदित किया गया था, 27 अवसंरचना तथा विपणन सुविधाओं को अनुमोदित किया तथा मछुआरों को 500 सुरक्षा किटें वितरित की गईं।

5.3.3 राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

5.3.3.1 राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के अंतर्गत, मछुआरों को उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं जैसे आवास, पेय जल, सामुदायिक हाल तथा ट्यूब वैल का निर्माण आदि प्रदान की जाती है। सक्रिय रूप से मछली पकड़ने में लगे मछुआरों को बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। मछुआरों को कमी के मौसम के दौरान वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इस योजना को निम्नलिखित चार घटकों के साथ संचालित किया जा रहा है/किया जाएगाः

- आदर्श मछुआरा गांवों का विकास में गरीबी रेखा के नीचे के मछुआरों को कम लागत वाले मकान प्रदान किए जाते हैं।
- सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा
- बचत-सह-सहायता में मत्स्यन निषेध अवधि के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रशिक्षण और विस्तार।

5.3.3.2 2013-14 के दौरान, 7,744 मछुआरा घरों को निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया, 43,25,692 मछुआरों को समूह दुर्घटना बीमा घटक के अंतर्गत बीमा कवर दिया गया तथा 3,57,308 मछुआरों को बचत-सह-सहायता घटक के अंतर्गत सहायता दी गई। 2013-14 के दौरान संशोधित अनुमान 55 करोड़ रूपए के मुकाबले, इस योजना के अंतर्गत 52.14 करोड़ रूपए का व्यय हुआ।

5.3.4 मात्स्यिकी सेक्टर के लिए डाटाबेस तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

5.3.4.1 केंद्रीय सेक्टर की योजना, ''मात्स्यिकी सेक्टर' के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता से 65.00 करोड़ रूपए के परिव्यय से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं क) अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों तथा उनकी क्षमताओं का अनुमान लगाने के लिए नमूना सर्वेक्षण, (ख) समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना (ग) अंतर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी के लिए कैच आकलन सर्वेक्षण, (घ) जीआईएस का विकास, (ड.) भारत की मत्स्य सहकारिताओं का डाटाबेस तैयार करना, (च) छोटे जल निकायों की मैपिंग तथा जीआईएस आधारित मत्स्य प्रबंधन प्रणाली का विकास, (छ) मुख्यालय में सांख्यिकीय यूनिट का सुदृढ़ीकरण, (ज) मूल्यांकन अध्ययन/व्यावसायिक सेवाएं तथा (झ) मानीटरिंग, नियंत्रण तथा निगरानी (एमसीएस)।

5.3.4.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 14 राज्यों के जल निकायों की जीआईएस आधारित

मैपिंग पूरी की गई। 2012-13 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए जल निकायों की मैपिंग सीआईएफआरआई द्वारा पूरा हो चुकी है और इस प्रकार तैयार ई-एटलस को प्रयोग हेतु राज्य सरकारों को भेजा गया है। 2013-14 में छत्तीसगढ़ के लिए ई-एटलस बनाने का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य में ''छोटे जल निकायों की मैपिंग'' भी पूरी कर ली गई है। वर्ष 2012 के लिए प्राथमिक मात्स्यिकी सहकारिता सोसाइटी संबंधी डाटा को अंतिम रूप दे दिया गया है।

5.3.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

5.3.5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना सितम्बर, 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। बोर्ड की स्थापना अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य कैप्चर, पालन, प्रसंस्करण और विपणन में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का उपयोग करने तथा मात्स्यिकी के इष्टतम उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करके मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए की गई थी। बोर्ड की गतिविधियों का जोर देश में मछली के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने मछली तथा मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने तथा इन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को सहायता देकर 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने पर है। यह मात्स्यिकी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्लेटफार्म के रूप में भी कार्य करता है।

5.3.5.2 एनएफडीबी के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों में जलीय संसाधनों का धारणीय प्रबंधन तथा संरक्षण, रोजगार अवसरों का सृजन, मत्स्य उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, ढुलाई तथा विपणन में सुधार, मात्स्यिकी से इष्टतम उत्पादन और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, जनशक्ति का प्रशिक्षण तथा खाद्य तथा पोषणिक सुरक्षा के क्षेत्र में मात्स्यिकी के योगदान को बढ़ाना शामिल है। वर्ष 2013 -14 के दौरान राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को एन एफ डी बी योजना को लागू करने के लिए कुल 123.36 करोड़ रूपये जारी किये गए हैं।

5.3.5.3 2013-14 के दौरान, 19 राज्यों को विभिन्न गतिविधियों जैसे मछली तालाबों का निर्माण/नवीकरण, 28 हैचरियों तथा 192.05 हैक्टेयर मछली बीज पालन यूनिटों की स्थापना हेतु आदानों की आपूर्त्ति आदि के लिए 1,657.98 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी। प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना, उदाहरणार्थ, (I) भारत में गैर-कानूनी रूप से शामिल की गई मछली की पाकू-पिआराक्टस ब्राकिपोमस प्रजाति का जोखिम और लाभ आकलन तथा (II) कावेरी डेल्टा क्षेत्र के 66 .72 हेक्टेयर में मछली उत्पादन और किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जलकृषि का विस्तार और 3 अभिनव परियोजना वगैरह (I) नवाचारी परियोजनाएं उदाहरणार्थ, असम के बक्सा जिले में महिला स्व-सहायता समूहों/व्यक्तियों के माध्यम से 66.72 हैक्टेयर जलक्षेत्र के विकास के लिए लिंग सघन मछली पालन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। (II) मणिपुर और नागालैंड के 561.75 हेक्टेयर क्षेत्र में धान सह मछली पालन और (III) उड़ीसा के महानदी नदी के 12.50 एकड़ क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र (पेंस) के द्वारा मछली पालन किया गया।

5.3.5.4 20 राज्यों को 3 प्रसंस्करण यूनिटें, 34 थोक मछली बाज़ारों का आधुनिकीकरण, 11 आधुनिक मत्स्य खुदरा बाज़ारों की स्थापना, 15 खुदरा बिक्री केंद्रों की स्थापना, मछुआरों के लिए 583 सचल मछली बिक्री यान, 19 मत्स्य पर्वों का आयोजन,एक मॉडल मछली ड्रेसिंग तथा मछली हैंडलिंग केंद्र, 2 प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजना अर्थात महाराष्ट्र में कोंकण क्षेत्र में थर्मल प्रसंस्करित मत्स्य उत्पादों की रिपोर्ट पाऊच पैकिंग के लिए 5,163.22 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी। गोदावरी महा समैक्या, आंध्र प्रदेश की महिला विक्रेताओं द्वारा ताज़ी मछली स्टोर करने के लिए सौर फ्रीजर। एनएफडीबी ने मछली की स्वच्छतापूर्ण हैंडलिंग, मूल्य

संवर्धन तथा विपणन के विभिन्न पहलुओं पर 1,520 मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया।

नेल्लोर आंध्र प्रदेश में स्थित मछली बाजार

5.3.5.5 2013-14 के दौरान, एनएफडीबी ने अंतर्देशीय, स्वच्छतापूर्ण विपणन, तटवर्ती तथा समुद्री मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं में 20,277 किसानों/मछुआरों को तथा रोग निदान तथा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में हो रही तरक्की, स्वच्छतापूर्ण बाज़ार, मछली तथा शलफिश की हैंडलिंग तथा ढुलाई के दौरान साफ सफाई तथा स्वच्छतापूर्ण प्रक्रिया, धारणीयता की ओर अग्रसर होने, सीवीड पालन, एशियन सीबास (लेतेस कालकारिफेर) की उत्पादन प्रौद्योगिकी, धारणीय मछली पालन के लिए मृदा तथा जल गुणवत्ता प्रबंधन पर 1,459 मात्स्यिकी व्यावसायिको को प्रशिक्षण देने के लिए 383.50 लाख रूपये व्यय किये । तमिलनाडु तथा केरल में 2 मत्स्यन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण तथा तमिलनाडु तथा ओडिसा में मछली उतारने के 4 केंद्रों और महाराष्ट्र में मछुआरी नौका को डीज़ल आपूर्ति करने के लिए वितरण इकाई के साथ चलायमान बजरे के निर्माण के लिए 547.62 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी। एन.एफ.डी.बी द्वारा मोबाइल मछली

कर्नाटक में स्थित स्वास्थकर मछली बाजार

Mobile Fish Van being promoted by NFDB

परिवहन यान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 2013 -14 के दौरान 13 राज्यों को 583 मोबाइल मछली परिवहन यान क्रय करने के लिए 906.70 लाख रूपये जारी किये गए थे। (384 दोपहिया, 48 तीनपहिया और 151 चारपहिया वाहन)

5.3.5.6 2013-14 के दौरान, 15 राज्यों को 2.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 288 जलाशयों में बीज स्टॉकिंग करने तथा आद्रभूमि का विकास, बील मात्स्यिकी, जलाशयों में पिंजरा मछली पालन, स्ट्रीम मात्स्यिकी का संरक्षण और प्रोत्साहन तथा नागालैंड में रेसवेज़ के जरिये मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए 2697.34 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी।

Cage Culture promoted by NFDB

5.3.5.7 भुवनेश्वर में स्थापित राष्ट्रीय ताजा जल मछली ब्रूड बैंक (एनएफबीबी) के माध्यम से विभिन्न राज्यों में सरकारी मछली बीज फार्मों को जयंती रोहु तथा मिनो कार्प के लगभग 52,000 ब्रूडर बीजों की आपूर्ति की गई। अन्य आम कार्प के लगभग 7,000 ब्रूडर बीजों की भी राज्यों को आपूर्ति की गई।

5.4 मात्स्यिकी संस्थान

5.4.1 केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (सीआईएफएनईटी)

5.4.1.1 गहरे समुद्र में मत्स्यन के क्षेत्र में हो रही प्रगति ने मत्स्यन जलयानों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित तथा प्रमाणित कार्मिकों की बढ़ती मांग पैदा कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठित मात्सियकी प्रशिक्षण प्रणाली की आवश्यकता तथा महत्ता को देखते हुए कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने 1963 में कोचीन में केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन तथा इंजीनियरिग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया था। बाद में चेन्नई तथा विशाखापट्टनम में दो और यूनिटें स्थापित की गईं। अपने प्रारंभ से ही सीआईएफएनईटी महासागर में जानेवाले मत्स्यन जलयानों के रखरखाव के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करके देश की सेवा कर रहा है।

5.4.1.2 यह संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित करता है जिनमें (I) मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातक (नौचालन विज्ञान) जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (II) श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) से संबद्ध दो वर्षीय वर्ष की अवधि के यान ने विगेंटर तथा मेरीन फिटर नामक दो व्यवसाय पाठ्यक्रम शामिल हैं। तथा (III) व्यावसायिक महाविद्यालयों, संबद्ध संगठनों, राज्य सरकार के मात्स्यिकी विभागों के विद्यार्थियों के लाभ के लिए लघ्र अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.4.1.3 2013-14 के दौरान, मात्स्यिकी विज्ञान स्नातक (एनएस) के 79 विद्यार्थियों तथा वीएनसी/एमएफसी के 156 पशिक्षुओं ने नियमित पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके अलावा 648 अभ्यर्थियों को विभिन्न लघु अवधि तथा विस्तार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। तीन अभ्यर्थी वैधानिक पाठ्यक्रम में थे। सीआईएफएनईटी के प्रशिक्षण यानों ने कुल 422 मत्स्यन दिवस पूरे किए, और इस प्रकार 4,013 संस्थागत तथा 4,477 पोस्ट-संस्थागत प्रशिक्षु दिवस पूरे किए। 2013-14 के दौरान, सीआईएफएनईटी ने 891 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया, जिसमें समुद्र में 536 दिन तथा 4,013 प्रशिक्षण दिवस शामिल हैं।

5.4.1.4 वर्ष 2012-13 के दौरान सीआईएफएनईटी ने 11.33 करोड़ रूपए का व्यय किया, जबकि 2013-14 के दौरान 5.8325 करोड़ रूपए तक का व्यय हुआ। 2012-13 के दौरान 42.9 लाख रूपए के राजस्व के मुकाबले 2013-14 के दौरान 65.38 लाख रूपए अर्जित किए गए।

5.4.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी)

5.4.2.1 पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों को ऊपरी पूर्वी तट रेखा के साथ-साथ विकसित करने संबंधी गतिविधियों को विस्तारित करने की आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने विशाखापट्टनम में एक एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना का नाम बदलकर भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी) रख दिया था।

5.4.2.2 एनआईएफपीएचएटीटी का वर्तमान मिशन है, मात्स्यिकी सेक्टर, जैसे पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रचार-प्रसार, मानव संसाधन विकास, लैंगिक विकास, मछुआरा समुदायों के लिए सहायता तथा पुनर्वास कार्यक्रमों तथा मात्स्यिकीअवसंरचनाऔर पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करना और नए अवसरों का सृजन करना।

5.4.2.3 2012-13 के दौरान, संस्थान ने 158.35 मी० टन मछली को संसाधित किया है तथा उससे 106.78 मी० टन विभिन्न मत्स्य उत्पाद तैयार किए हैं। संस्थान ने स्टॉल, सचल यूनिटों, प्रदर्शनियों, व्यापार, मेलों, संविदा बिक्री के द्वारा 107.13 टन मछली तथा 111.91 लाख रूपए मूल्य के मछली उत्पादों का टेस्ट परीक्षण किया तथा उन्हें लोकप्रिय बनाया। एनआईएफपीएचएटीटी ने 9560 प्रशिक्षण दिवसों के साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 665 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संस्थान को 5.16 लाख रूपए का राजस्व मिला। 2013-14 के दौरान, 113.25 मी.टन मछली प्रसंस्कृत की गई तथा इससे 81.89 टन विभिन्न प्रकार के मछली उत्पाद उत्पादित किये गए और 101.53 मी० टन मछली का विपणन किया गया। एनआईएफपीएचएटीटी ने इस अवधि के दौरान 8125 प्रशिक्षण दिवसों सहित 777 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया।

5.4.2.4 वर्ष 2012-13 के दौरान योजना के अंतर्गत 211.17 लाख रूपए तक का व्यय और गैर-योजना के अंतर्गत 509.52 लाख रूपए तक का व्यय किया गया। 2013-14 के दौरान, गैर-योजना के अंतर्गत् 492.38 लाख रूपए तथा योजना के अंतर्गत 194.15 लाख रूपए का व्यय किया गया था।

5.4.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)

5.4.3.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) भारतीय आर्थिक अनन्य क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और आकलन के लिए उत्तरदायी है और इसका मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पश्चिमी तट पर मुम्बई, मोरमुगांव और कोच्चि, पूर्वी तट पर चेन्नई और विशाखापटनम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्टब्लेयर में 6 कार्यात्मक बेस हैं। मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कुल 11 महासागरीय अनुवर्ती सर्वेक्षण जलयान तैनात किए गए हैं। संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विनियमन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की निगरानी करता है। गहरे समुद्र और महासागरीय मत्स्यन के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और गियर की उपयुक्तता का आकलन करता है, सिफनेट/पॉलीटेक्निक प्रशिक्षणार्थियों को जलयान पर ही प्रशिक्षण देता है, मत्स्यन समुदाय, उद्योग, अन्य प्रयोगकर्त्ताओं आदि को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मत्स्यन संसाधनों संबंधी जानकारी देता है। संस्थान का सर्वेक्षण बेड़ा बाटम ट्रॉल सर्वेक्षण करता है, मिडवाटर/कालमनार संसाधनों का सर्वेक्षण करता है और डीमर्सल, कालमनार तथा क्रमशः महासागरीय टूना/महासागरीय शार्कों के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण करता है।

5.4.3.2 मत्स्यन उद्योग, मछुआरों, पणधारियों तथा मात्स्यिकी के अंतिम उपभोक्ताओं को विस्तार गतिविधियों के एक भाग के रूप में तथा अन्वेषणात्मक संसाधन सर्वेक्षण के निष्कर्षों संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने क्रमशः मुरूद-जंजीरा, महाराष्ट्र; मलिम जेट्टी, गोवा; नील द्वीप, दक्षिणी अंडमान, पुद्दुचेरी तथा जामनगर, गुजरात में पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की। 504 मछुआरों ने इन कार्यशालाओं में सक्रिय भागीदारी की और लाभान्वित हुए।

5.4.3.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद के साथ मिलकर मछुआरों के लाभ के लिए मोनोफिलामेंट/मल्टीफिलामेंट टूना लांगलाइकिंग संबंधी कुछ ऑन बोर्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। अभी तक, विभिन्न समुद्रवर्ती राज्यों से 21 मछुआरों को एमएफवी मत्स्य वृष्टि (एफएसआई का मुम्बई बेस), येलोफिन (एफएसआई का मोरमुगांव बेस), एमएफवी मत्स्य दृष्टि (एफएसआई का चेन्नई बेस) तथा एमएफवी मार्लिन (एफएसआई का पोर्ट ब्लेयर बेस) जलयानों पर ऑनबोर्ड टूना लांगलाइनिंग संबंधी अद्यतन प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित किया गया।

5.4.3.4 इसके अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने एनएफडीबी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चेन्नई, कोची, मंगलौर तथा मोरमुगांव में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके 82 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया ताकि वे रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान धारणीयता के दूत के रूप में कार्य कर सकें। इन प्रतिभागियों में राज्य सरकार के कर्मचारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान, एमपीईडीए, केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग तथा प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, गोवा विश्वविद्यालय, केवीएफओएस, सीयूएसएटी तथा एमएसएसआरएफ के वैज्ञानिक/अधिकारी/शोधकर्ता शामिल थे।

5.4.3.5 2012-13 के दौरान, योजना के अंतर्गत 28.47 करोड़ रूपए तथा गैर-योजना के अंतर्गत 9.44 करोड़ रूपए व्यय हुए थे, जबकि 2013-14 के दौरान एफएसआई द्वारा विभिन्न गतिविधियॉ प्रारंभ करने के लिए योजना हेतु 31.15 करोड़ रूपए तथा गैर-योजना के लिए 7.91 करोड़ रूपए व्यय किए गए।

5.4.4 मात्स्यिकी हेतु केंद्रीयतटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलोर

5.4.4.1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) से प्राप्त तकनीकी

तथा जनशक्ति सहायता के अंतर्गत जनवरी, 1968 में मात्स्यिकी के लिए केंद्रीय तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान स्थापित किया गया था। इस संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए देश की सम्पूर्ण तटरेखा में विद्यमान संभावित मात्स्यिकी बंदरगाहों की पहचान करना, चुनिंदा मत्स्यन बंदरगाह स्थलों के लिए इंजीनियरिंग तथा आर्थिक जांच-पड़ताल करना तथा मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केंद्रों खारा जल श्रिम्प फार्मों तथा हैचरी परियोजनाओं के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना है।

5.4.4.2 इस संस्थान ने मार्च, 2014 के अंत तक 87 स्थलों की इंजीनियरिंग तथा आर्थिक जांच-पड़ताल की तथा मात्स्यिकी बंदरगाहों/मछली उतारनेके केंद्रों के विकास के लिए 85 स्थलों हेतु तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कीं। इस संस्थान ने लगभग 66,200 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र को रिकोनाइटर किया है तथा जलकृषि फार्मों के विकास के लिए सभी समुद्री राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों इंजीनियरिंग जांच-पड़ताल की गई थी।

5.4.4.3 2013-14 के दौरान, इस संस्थान ने हेजामादी कोदी के प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाह के लिए आर्थिक जांच-पड़ताल तथा अरिकमेदु (थेनगिथिट्टू) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के पुदुचेरी क्षेत्र के पेरियाकालापेट तथा नालावाद्दुमें इंजीनियरिंग जांच-पड़ताल की। साथ ही, पुदुचेरी क्षेत्र में अरिकमेदु (थेंगिपिट्टू), पेरियाकालापेट तथा नालावादु तथा पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के कराइकल क्षेत्र में टी.आर. पत्तिनाम में व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन आयोजित किए गए और व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें भी जारी की गई थीं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के वोदारेवु, जुव्वाल्लादिन्ने, उप्पद, रालापेटा और मंछिनीलापेट्टा में मछली उतारने के केंद्रों तथा महाराष्ट्र में निगांव तथा गुजरात के नावाबुंदेर तथा माधवाड़ में मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन भी प्रारंभ किए गए। कर्नाटक के कुलई तथा हेजामदी कोदी में मत्स्यन बंदरगाहों के विकास के लिए टीईएफआर जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा, इस संस्थान ने उड़ीसा में पारादीप मात्स्यिकी बंदरगाह के लिए मूल्यांकन-पूर्वअध्ययन किया। इस संस्थान ने कर्नाटक में गंगोली मत्स्यन बंदरगाह ब्रेकवाटर के निर्माण; गुजरात के माधवाड़ और नावाबुंदेर पर मात्स्यिकी बंदरगाह; गोवा में मालिम, छापोरा, कतबोना तथा कोर्तालिम पर प्रस्तावित मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा महाराष्ट्र में नवापादा पर प्रस्तावित मछली उतारने के केंद्र के लिए तकनीकी मूल्यांकन भी तैयार किए। संस्थान ने तमिलनाड़ के पूमपुहार,नागापहिनम, कोलाचल तथा छिन्नामुन्तोम के मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों के लिए परियोजना मानीट रिंग दौरे किए।

5.4.4.4 2012-13 के दौरान, सीआईसीईएफ द्वारा गैर-योजना के लिए 270.95 लाख रूपए, जबकि 2013-14 के दौरान 262.85 लाख रूपए का व्यय किया गया। 2012-13 तथा 2013-14 दोनों ही के दौरान, संस्थान के लिए योजना के अंतर्गत निधियों का कोई आबंटन नहीं किया गया।

5.4.5 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सीएए)

5.4.5.1 इस प्राधिकरण का लक्ष्य और उद्देश्य केंद्रीय सरकार द्वारा 'तटवर्ती क्षेत्रों' के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की 'तटवर्ती जलकृषि' संबंधित गतिविधियों तथा उससे जुड़े मामलों अथवा उसके आनुषंगिक मामलों को विनियमित करना है। इस प्राधिकरण के पास तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन हेतु विनियमन बनाने, जलकृषि फार्मों तथा हैचरियों के पंजीकरण, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाने के लिए एल. वान्नामेई के फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों को हटाना अथवा उन्हें ध्वस्त करने,इस गतिविधि में लगे हुए विभिन्न पणधारियों के सामाजिक-आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटवर्ती जलकृषि को सुकर बनाने के लिए तटवर्ती जलकृषि में प्रयुक्त होने वाले आदानों जैसे-बीज, आहार, विकास अनुपूरक, रसायन इत्यादि सभी तटवर्ती जलकृषि आदानों के लिए मानक तय करने संबंधी अधिकार हैं।

5.4.5.2 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण का मुख्य उत्तरदायित्व देश के अधिसूचित क्षेत्र अर्थात् समुद्र की ज्वार सीमा, संकरी खाड़ी, नदी तथा बैकवाटर से 2 किलोमीटर के भीतर लवणीय तथ खारा जल श्रिम्प, मछली तथा अन्य जलीय जन्तुओं के बीज उत्पादन तथा पालन में लगी हुई अथवा लगने वाली सभी प्रकार की तटवर्ती, खाराजल तथा लवणीय जलकृषि फार्मों तथा हैचरियों के पंजीकरण को सुनिश्चित करना है। यह पंजीकरण पांच वर्ष की अवधि तक वैध होता है और

इतनी ही अवधि के लिए समय समय पर नवीनीकृत किया जा सकता है।

एल.वन्नमई

5.4.5.3 पशुधन आयात अधिनियम, 1898, (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएएचडीऔरएफ), कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना के तहत एसपीएफ लिटोपेनियस वन्नमई के ब्रूडस्टॉक को आयात करने संबंधी अनुमति देने के लिए तथा जैव-सुरक्षित हैचरियों में बीज उत्पादन तथा जैव-सुरक्षित फार्मों में कृषि संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण को प्राधिकृत कर दिया है।

5.4.5.4 तटवर्ती जलकृषि (संशोधन) नियम, 2009 के अनुसार एसपीएफ एल. बन्नमई प्रारंभ करने के लिए हैचरियों तथा फार्मों को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में एल. वन्नमई के पालन हेतु आवेदन का मानदण्ड, एसपीएफ एल. वन्नमई बीजों के उत्पादन और बिक्री संबंधी तकनीकी अपेक्षाएं, प्रक्रियाएं तथा फार्मों हेतु अनुमोदन और उनके संचालन के लिए विशिष्ट मानक तथा विनियम हैं।

5.4.5.5 हैचरी संचालकों तथा श्रिम्प किसानों द्वारा सुगम संचालन को सुकर बनाने के लिए भारत सरकार ने मार्च, 2012 की अधिसूचना के द्वारा सीएए नियम, 2005 में और संशोधन किए। इनमें 10 ग्राम० तक के एल. वन्नमई के छोटे एसपीएफ को व्यस्क ब्रेडस्टॉक में पालन हेतु आयात, अनुमेय हैचरियों में नाऊप्ली की बिक्री तथा पर्याप्त ड्राई आऊट अवधि के पश्चात् एक प्रजाति के पालन को दूसरे में स्थानांतरित करने संबंधी अनुमति दी गई। यह अधिसूचना सीएए की निरीक्षण टीमों द्वारा अप्राधिकृत स्टॉक को नष्ट करके एल. वन्नमई के अप्राधिकृत बीज उत्पादन तथा पालन से निपटने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया को भी सुदृढ़ करती है।

5.4.5.6 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण हैचरियों तथा फार्मों के एल. वन्नमई की खेती संबंधी अनुमति देने तथा इस उद्यम के धारणीय विकास हेतु फार्मों और हैचरियों के निरीक्षण और मानीटरिंग के लिए इन दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है।

हैचरी में अपगामी नदी अभिक्रिया प्रणाली

5.4.5.7 इसके प्रारंभ से (दिसम्बर, 2005) से लेकर मार्च 2014 तक 45,309.89 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 30,926.75 हैक्टेयर) के कुल फार्म क्षेत्र वाले कुल 27,338 श्रिम्प फार्म पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वर्ष के दौरान (अप्रैल 2013-मार्च 2014) 2,341.82 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 1,357.13 हैक्टेयर) के कुल फार्म क्षेत्र वाले 1329 फार्मों को पंजीकृत किया गया। इसके अलावा, प्राधिकरण द्वारा कुल 1038.48 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 756.59 हैक्टेयर) फार्म क्षेत्र वाले कुल 381 फार्मों के प्रमाण पत्रों को और 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था।

5.4.5.8 वर्ष के दौरान सीएए द्वारा छांटे गए 9 ब्रूडस्टॉक सप्लायरों से एसपीएफ एल. वन्नमई के ब्रूडस्टॉक को आयात करने के लिए 8776 मिलियन बीजों की उत्पादन क्षमता वाली कुल 117 एसपीएफ एल. वन्नमई हैचरियों को अनुमोदित/नवीनीकृत किया गया। सी ए.ए द्वारा चालू वर्ष के दौरान कुल 70 ,208 जोड़े ब्रुडस्ट ॉक आयात के लिए अनुमोदन किया गया था।

5.4.5.9 किसानों से प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल करने के आधार पर इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने (अगस्त-2009) से लेकर मार्च 2014 तक 9145.16 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 6160.40 हैक्टेयर) कुल फार्म क्षेत्र वाले 903 एसपीएफ एल. वन्नमई फार्मों को पंजीकृत किया गया, जिसमें से 715.94 हैक्टेयर (डब्ल्यूएसए 442.76 हैक्टेयर) के कुल क्षेत्र वाले 101 एसपीएफ एल. वन्नमई फार्मों को एसपीएफ एल. वन्नमई पालन के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान (अप्रैल 2013 से मार्च 2014) पंजीकृत किया गया था।

5.4.5.10 एल. वन्नमई के अवैध बीज उत्पादन से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर निरीक्षण टीम ने अननुमोदित हैचरियों के कुल 30 दौरे किए।

5.4.5.11 वर्ष के दौरान चार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से एक 6 अगस्त 2013 को गुजरात के वाल्साद जिले में तथा तीन आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में आयोजित किए गए, जिनमें इन राज्यों के 170 किसानों तथा राज्य मात्स्यिकी पदधारियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के दौरान, फार्मिंग से संबद्ध सीएए की संगत विषय-वस्तु, सीएए के लक्ष्य, उद्देश्य, शक्तियां तथा कृत्य, एंटीबॉडी अवशेष, उत्तरदायित्वपूर्ण जलकृषि तथा एसपीएफ एल. वन्नमई शुरू करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के बारे में समझाया गया तथा क्षेत्रीय भाषाओं में हैंडआऊट वितरित किए गए।

5.4.5.12 धारणीय जलकृषि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, फार्मों और हैचरियों को सीएए के साथ रजिस्टर करने की आवश्यकता तथा फार्म और हैचरियों में जैव-सुरक्षा तथा पालन की अच्छी प्रक्रियाओं के महत्व के बारे में श्रिम्प किसानों तथा हैचरी संचालकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दो जन-सूचनाएं जारी की गई थीं। इस जन-सूचना में तटवर्ती जलकृषि जारी रखने के लिए सीएए पंजीकरण के नवीनीकरण की महत्ता तथा सीएए से एसपीएफ एल. वन्नमई के बीज उत्पादन तथा फार्मिंग और रोग निगरानी पर विशिष्ट अनुमोदनों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

5.4.5.13 वेपेरी में सीएए के तकनीकी अनुभाग में स्थापित जल गुणवत्ता मानीटरिंग प्रयोगशाला हैचरियों तथा फार्मों के ईटीएस से निकले बेकार जल की गुणवत्ता को मानीटर करने के लिए उपकरणों जैसे जीसी-एमएस, सीएचएनएसओ एनेलाइजर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नाइट्रोजनकेल्टेक-डिस्टिलेशन यूनिट, मल्टी-पैरामीटर जल गुणवत्ता सोंडेस, मिलिपोर टाइट्रेशन प्रणाली, बीओडी इंक्यूबेटर, सीओडी एनेलाइज़र इत्यादि से लैस है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल गुणवत्ता मानक सीएए द्वारा उसके दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप हों।

5.5 समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना

5.5.1 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने यह महसूस किया कि मत्स्यन तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों से जुड़े समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना आवश्यक है। तदनुसार 11 दिसम्बर, 2009 को 72 करोड़ रुपए की कुल लागत से 'समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस)' को आरंभ किया गया था। बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने की परियोजना में दो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शामिल है। जैसे (क)संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़ा एकत्रीकरण तथा इसका सत्यापन और (ख) आंकड़ों को डिजीटल रूप देना, प्रत्येक मछुआरे का बायोमीट्रिक विवरण शामिल करना, कार्ड तैयार कर जारी करना। इस योजना के तहत, भारत सरकार परामर्श की सम्पूर्ण लागतको वहन करने के साथ-साथ, तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय समुद्री मछुआरों संबंधी आंकड़े (एनएमएफडी) तैयार करना जिन तक केन्द्र और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंकी सभी प्राधिकृत एजेंसियों की पहुंच हो। इस परियोजना के अन्य उद्देश्य हैं अनुप्रयोग उन्मुख बायो मीट्रिक पहचान पत्र जारी करके समुद्री मछुआरों को सशक्त बनाना और विभिन्न तटीय राज्यों और राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी विभिन्न पहचान पत्रों के दोहराए जाने से बचना।

5.5.2 भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों (सीपीएसयू) के एक संघ को आंकड़ों को डिजीटल रूप देने, बायोमीट्रिक विवरण लेने और डिजाइन उत्पादन और समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने से संबंधित अन्य कार्यों का भार सौंपा गया है। इस संघ के दो अन्य

सदस्य हैं इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई), बंगलौर।

5.5.3 इस योजना के अंतर्गत, 2009-2010 के दौरान 33 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई, जिसमेंसे 8 करोड़ रूपए तटवर्ती राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को तथा शेष 25 करोड़ रूपया सीपीएसयू के समूह को दिया गया। 2010-11 से 2013-14 के दौरान कोई निधियां जारी नहीं की गईं।

5.5.4 बायोमिट्रीक पहचान-पत्र जारी किए जाने के लिए चिन्हित किए गए 18,12,011 मछुआरों में से 16,15,315 मछुआरों के संबंध में डाटा संग्रहण तथा डिजिटिकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। जनवरी, 2014 तक कुल 11,25,237 आई. डी. कार्ड तैयार कर लिए गए थे, जिनमें 11,21,814 कार्ड कार्ड धारकों को वितरित किए जाने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिए गए थे। और अधिक मछुआरों को कवर करने के लिए यह परियोजना 9 तटवर्ती राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयनाधीन है।

5.6 मात्स्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.6.1 एफएओ की मात्स्यिकी संबंधी समिति (सीओएफआई) तथा उसकी उप-समितियों का मात्स्यिकी विकास पहल कदमियों में सक्रिय भागीदारी के अलावा भारत मात्स्यिकी से संबद्ध अन्य कई वैश्विक तथा क्षेत्रीय निकायों जैसे संकटाधीन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबधी आयोग (सीआईटीईएस), भारतीय महासागर टूना आयोग (आईओटीसी) से भी संबद्ध है। क्षेत्रीय मात्स्यिकी पहल कदमियों में भारत, चेन्नई में आठ-सदस्यीय बंगाल की खाड़ी समुद्री परिस्थितिकी (बीओबीएलएमई) कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है। अन्य चार देशीय क्षेत्रीय पहल, नामतः बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम-अंतर- सरकारी संगठन (बीओबीपी-आईजीओ) भी भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है और चेन्नई में स्थित है। भारत जिन अन्य क्षेत्रीय फोरमों जैसे- एसएएआरसी, बीआईएमएसटीईसी-ईसी, आईओआर-ईसी का सदस्य है, उनमें भी मात्स्यिकी संबंधी मामलों पर सक्रिय है, उनमें भी मात्स्यिकी संबंधी मामलों पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श किया जाता है। भारत मात्स्यिकी के विकास हेतु कई द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रमों में एक भागीदार है। 2013-14 के दौरान, निम्नलिखित मुख्य बैठकें हुईं:

First Meeting of the Joint Working Group (JWG) between Bangladesh and India at Dhaka on March 12-13, 2014

क) मात्स्यिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और बंगला देश के बीच संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की पहली बैठक मार्च 12-13 को ढाका, बंगलादेश में हुई।

ख) मात्स्यिकी मंत्रालय, मोज़ाम्बिक गणराज्य सरकार की तकनीकी टीम के साथ 7.3.2014 को नई दिल्ली में बैठक हुई। तकनीकी टीम ने भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुम्बई, केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान (सीआईएफई), मुम्बई तथा केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई), कोची, केरल का दौरा भी किया।

ग) माननीय कृषि मंत्री तथा डा. राजिथा सेनारत्ने, मात्स्यिकी तथा जलीय संसाधन विकास मंत्री, श्रीलंका सरकार के बीच 15.1.2014 को नई दिल्ली में बैठक हुई।

घ) भारत और नार्वे के संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) के बीच 6 जनवरी, 2014 को नई दिल्ली में बैठक हुई।

ड.) भारत ने बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम-अंतर-सरकारी संगठन (बीओबीपी-आईजीओ) की शासी परिषद् की नौवीं बैठक 16-17 दिसम्बर, 2013 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की।

च) भारत ने एशिया-प्रशांत मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) की कायर्कारी समिति (ईएक्ससीओ) 74वें सत्र का आयोजन 22-27 मई, 2013 के दौरान नई दिल्ली में किया।

अध्याय 6 से 9

व्यापारिक मामले

विशेष घटक योजना और जनजातीय योजना

महिलाओं का सशक्तिकरण

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अध्याय 6

व्यापारिक मामले

6.1 प्रस्तावना

6.1.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों से मात्रात्मक सीमाएं(क्यूआर) हटाए जाने के बाद इस विभाग ने पशुधन आयात अधिनियम, 1898 में संशोधन किया है तथा पशुधन उत्पादों को आयात प्रक्रिया को विनियंत्रित करने के लिए सभी पशुधन उत्पादों को अपने कार्यक्षेत्र में ले आया है। तद्नुसार, पशुधन उत्पाद के लिए दिनांक 7 जुलाई, 2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई), मात्स्यिकी उत्पादों के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना संख्या 1043(ई) और कुक्कट के मूल जनक (जी पी) स्टॉक के लिए दिनांक 27 नवम्बर, 2001 की संख्या 1175(ई) जारी की गई थी जिसमें पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट अनिवार्य बना दिया गया था। 28.03.2008 को, अधिसूचना संख्या 794(ई) के जरिए, विभाग ने दिनांक 07.07.2001 की अधिसूचना संख्या 655(ई) में और आगे संशोधन किया जिसमें पशुधन उत्पादों को वर्गीकृत किया गया है जिनके लिए स्वच्छता आयात परमिट (एसपीआई) आवश्यक है, जिन्हें पशु संगरोध तथा प्रमाणीकरण सेवाओं से अनापत्ति प्राप्त होने के आधार पर छोड़ा जा सकता है और ऐसे उत्पाद जिनके लिए स्वच्छता, आयात परमिट या अनापत्ति दोनों में से किसी की आवश्यकता नहीं है। निर्यात कर रहे देश में रोगों की स्थिति के साथसाथ इस देश में रोग की स्थिति के आधार पर जोखिम विश्लेषण करने के बाद ही स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी किया जाता है।

6.2 आयात की प्रक्रिया

6.2.1 विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट (एसआईपी) जारी करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में एक जोखिम विश्लेषण समिति गठित की गई है, सभी संयुक्त सचिव सदस्य होंगे। पशुधन और मात्स्यिकी उत्पादों के आयात के लिए आवेदन प्रपत्र विभाग की वेबसाइट (w.w.w.dahd.nic.in) पर उपलब्ध है। प्राप्त आवेदनों की जांच-पड़ताल की जाती है और विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक प्रमाण और ओ ई ई विनियमों के आधार पर जोखिम विश्लेषण किया जाता है। जोखिम विश्लेषण समिति आवेदन को नामंजूर करने अथवा एस आई पी जारी करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सिफारिशों पर विचार करती है। असंतुष्ट आवेदक संयुक्त सचिव (व्यापार) को सम्बोधित एक समीक्षा/अभ्यावेदन दायर करके जोखिम विश्लेषण समिति के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर सकता है। समिति की बैठक प्रत्येक माह में 10-15 दिनों के अंतराल पर होती है। वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 19 बैठकें हुई हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान इस यूनिट ने विभिन्न फर्मों/संगठनों को 1658 एसआईपीजारी किए ताकि वे मात्स्यिकी उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पाद आयात कर सकें।

6.2.2 यह विभाग पशुधन तथा पशुधन उत्पादों से संबद्ध पण्यों जैसे टीके, औषध एवं जैविक के आयात/निर्यात/विनिर्माण/विपणन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/फर्मों/ संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी कार्रवाई करता है। इन प्रस्तावों पर विभाग के विचार विदेश व्यापार महानिदेशालय(डीजीएफटी)/भारत के औषध नियत्रंक (डीसीआई) को सूचित किए जाते हैं। जिससे व्यापार एवं निवेश मामलों से संबधित समिति द्वारा इस पर विचार किए जाने के बाद संबंधित राज्य सरकारों/फर्मों/संगठनों को आवश्यक आयात लाइसेंस जारी किए जा सकें। व्यापार एवं निवेश मामलों से संबंधित समिति की संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में बैठक भी होती है जिसमें सभी संयुक्त सचिव सदस्य के तौर के रूप में मौजूद रहते हैं।

6.2.3 उक्त समिति की प्रत्येक माह 10-15 दिनों के अन्तराल पर बैठक होती है। वर्ष 2013-14 के दौरान समिति की 21 बैठकें हुई और विभिन्न फर्मों/संगठनों तथा साथ ही विभिन्न राज्य सरकारों को भी वर्ष 2013-14 के लिए 300 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए।

6.2.4 विभाग ने पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के क्रियाकलापों से जुड़ी विभिन्न फार्मों/संगठनों को स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट जारी करने के लिए ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक प्रणाली आरंभ की है। स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट के लिए ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया विभाग की वेबसाइट (w.w.w.dahd.nic.in) में अपेक्षित आवेदन पत्र और अन्य संबधित सूचना के साथ उपलब्ध है।

अध्याय 7

विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी)

7.1 विभाग केन्द्रीय सेक्टर तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य पशुधन,डेयरी तथा मात्स्यिकी सेक्टरों के विकास के लिए राज्य सरकारों की मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना है। अधिकांश योजनाएं सीधे तौर पर लाभार्थी उन्मुख नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्ग तथा महिलाएं पशुधन तथा मात्स्यिकी क्षेत्रों की गतिविधियों में लगी हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाएं समाज के इन वर्गों को लाभान्वित करती हैं। तथापि, विभाग इन योजनाओं द्वारा लाभान्वित होने वाले अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति तथा महिलाओं से संबंधित आंकड़ों का रिकार्ड नहीं रख रहा। योजनाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें/क्रियान्वयन एजेंसियां भी इस तरह का रिकार्ड नहीं रख रही हैं।

7.2 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) के तहत् निर्धारित 16.2% की निधि के निर्धारण के संबंध में योजना आयोग के दिनांक 15.12.2010 के अ.शा.प्रत्र सं0 11016/12(1)/2009- पीसी के द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार इस विभाग ने एससीएसपी घटक के तहत् विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 2012-13 में 309 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसके मुकाबले 2012-13 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 230.68 करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में इस विभाग ने एससीएसपी घटक के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत 328.05 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं।

7.3 विभाग को जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत निधियों के निर्धारण से छूट दे दी गई है।

अध्याय 8

महिलाओं का सशक्तिकरण

8.1 पशुपालन एवं डेयरी में महिलाएं

8.1.1 महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभाग की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि, विभाग हमेशा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन में लगी महिलाओं को लाभ देने पर जोर देता रहा है।

8.1.2 पशुपालन क्षेत्र में, पशुओं को चारा देने, दूध दुहने इत्यादि जैसे काम जो अधिकतर महिलाएं करती थीं वे अब पुरूष तथा महिलाओं द्वारा साथ-साथ किए जाते हैं। तथापि, पशुपालन के क्षेत्र में पुरूष तथा महिलाओं की भूमिका एक दूसरे की पूरक है और इनके कार्य को विनिर्दिष्ट रूप से श्रेणीबद्ध कर अलग-अलग करना संभव नहीं है।

8.1.3 महिलाएं डेयरी सहकारिता आंदोलन में अग्रणी रही हैं जिसे प्रारंभ में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम तथा बाद में सरकार द्वारा क्रियान्वित समेकित डेयरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था।

8.1.4 कुक्कुट क्षेत्र में, ग्रामीण घरेलू कुक्कुट एक आय प्रतिपूरक योजना है और इसे अधिकांशतः महिलाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अतः महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

8.1.5 इसी प्रकार, नस्लों के संरक्षण, से संबंधित योजना में भेड़, बकरी तथा छोटे जुगाली करने वाले पशुओं के संरक्षण की योजनाओं को इस तरह संचालित किया गया है जिनमें ऐसी योजनाओं को आरंभ करने के लिए महिलाओं की पहचान की जा रही है।

8.1.6 महिलाएं सम्बद्ध मात्स्यिकी क्रियाकलापों, जैसे मत्स्य बीज एकत्र करना, छोटी मछली पकड़ना, मुसेल, खाने योग्य ऑएस्टर, समुद्री अपतृण एकत्र करना, मत्स्य विपणन, मत्स्य प्रसंस्करण और उत्पाद विकास इत्यादि से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं मात्स्यिकी क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारिता को और बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण तथा माइक्रो वित्त दिया जाता है ताकि उन्हें प्रोत्साहित करके समूह मे संगठित करके उनकी क्षमता का निर्माण किया जा सके।

8.1.7 विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाएं/कार्यक्रम महिलाओं के लिए लाभकारी रहे हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संदर्भ में रिकार्ड रखने के लिए कहा गया है।

8.1.8 इस विभाग में एक लैंगिक बजट प्रकोष्ठ गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों में परिवर्तन को इस प्रकार प्रभावित करना है जिससे लैंगिक असंतुलन से निपटने के अलावा लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके और महिलाओं का विकास किया जा सके। इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (ए पी एंड एफ) हैं और इसमें तीन सदस्य हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि 2013-14 से वर्तमान केंद्रीय प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत 10-30% निधियां महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निर्धारित की जाएं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर 2014-15 से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निधियों के निर्धारण को और बढ़ाया जाएगा।

अध्याय 9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.1 अंतर्राष्ट्रीय सदस्यताएं

9.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग पशु स्वास्थ्य और मात्स्यिकी संबंधी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का नियमित सदस्य है और इन संगठनों को वार्षिक सदस्यता शुल्क देता है:-

क) ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीस (ओ0आई0ई0), पेरिस, फ्रांस।

ख) इंडियन ओशियन ट्यूना कमीशन (आई.ओ.टी.सी.), सेशल्स एफ.ए.ओ. के तहत एक संगठन।

ग) एनिमल प्रोडक्शन एंड हैल्थ कमीशन फार द एशिया एंड द पैसिफिक (ए.पा.एच.सी.ए.), बैंकाक, थाइलैंड एफ ए ओ के तहत एक संगठन।

घ) मात्स्यिकी के संबंध में बंगाल की खाड़ी परियोजना/ अंतर सरकारी संगठन (बीओपीपी-आईजीओ)।

ड.) अंतर्राष्ट्रीय डेयरी परिसंघ (आईडीएफ), बेल्जियम।

9.2 विदेश में प्रशिक्षणों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति।

9.2.1 वर्ष 2013-14 के दौरान 31.03.2014 तक विभिन्न देशों में कई बैठकों/सेमिनारों/ सम्मेलनों/प्रशिक्षणों/ कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए राज्य मंत्री के अलावा 104 अधिकारी नियुक्त किए गए।

अध्याय 10

केरल राज्य के आत्महत्या संभावित इदुक्की और कुटटानड़ जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज

अध्याय 10

केरल राज्य के आत्महत्या संभावित इडुक्की और कुटटानड़ जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज

10.1 भारत सरकार इडुक्की जिले में कृषि संकट को कम करने संबंधी पुनर्वास पैकेज को 20.11.2008 को अनुमोदित कर दिया था। दो पैकेज नामतः इडुक्की जिले में कृषि संकट कम करना और 'कुट्ट नमभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास के लिए कुल परिव्यय 91.15 करोड़ रुपए है तथा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज का अंग है जो 30 सितम्बर, 2011 को पहले ही समाप्त हो गया था के लिए कुल परिव्यय 9.50 करोड़ रुपए है। ये दोनों पैकेज क्रमशः नवम्बर, 2013 तथा जुलाई, 2012 में समाप्त हो गए। 30 नवम्बर, 2013 तक कुट्टनाड पैकेज के लिए 8.04 करोड़ रूपए तथा इदुक्की पैकेज के लिए 55.05 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

10.2 2008-09 से 2012-13 के दौरान जारी की गई 63.09 करोड़ रुपए की राशि में से, 2013-14 के दौरान इदुक्की पैकेज के अंतर्गत 8 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

अध्याय 11

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)

अध्याय 11

परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आरएफडी)

11.1 जब से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के कार्य-निष्पादन को मापने के लिए वर्ष 2009 में आरएफडी की संकल्पना प्रारंभ हुई है तब से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग प्रति वर्ष आरएफडी तैयार कर रहा है और उसे अधिक पारदर्शिता और जन-परीक्षण हेतु अपनी वेबसाइट पर भी डाल रहा है। वर्ष 2012-13 के लिए इस विभाग का आरएफडी इसके साथ संलग्न है। वर्ष 2012-13 के लिए इस विभाग की उपलब्धियां भी आरएफडी के बाद दी गई हैं। इस विभाग के आरएफडी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

11.2 इस विभाग के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के मुकाबले इस विभाग का कार्य-निष्पादन पिछले वर्षों में काफी प्रभावशाली रहा है, जैसाकि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा दिए गए निम्नलिखित समेकित प्राप्तांकों से पता चलता है:

वर्ष	प्राप्तांक
2010-11	92.91%
2011-12	80.27%
2012-13	95.48%

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (2012-13)

भाग-1: विजन, मिशन, उद्देश्य और कृत्य

विजन: पोषणिक सुरक्षा तथा आर्थिक सम्पन्नता के लिए पशुधन, कुक्कुट पालन और मत्स्यपालन का सतत विकास।

मिशन: पशुओं के आनुवंशिक संसाधनों का परिरक्षण, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण सुदृढ़ीकरण, पशुधन तथा मत्स्य स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार, रोजगार के अवसरों का सृजन, उत्पादन में वृद्धि, पशुधन, मत्स्य तथा कुक्कुट उत्पादों की उत्पादकता तथा मूल्य संवर्धन।

उद्देश्य:

i. पशु रोगों का निवारण और नियंत्रण

ii. चारे तथा आहार का विकास

iii. मछली उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को सहायता देना

iv. दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और किसानों को सहायता देना

v. कुक्कुट पालन का विकास

vi. जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास

vii. पशुधन का आनवंशिक उन्नयन

viii. स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण

कृत्य:

i. पशु स्वास्थ्य की मानीटरिंग तथा पशु रोगों का नियंत्रण

ii. पशुधन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना

iii. स्वच्छ दुग्ध हेतु अवसंरचना का सृजन

iv. पशुधन आबादी की संगणना करते रहना

v. नस्ल सुधार सेवाएं देते रहतना

ध. टीकों का वितरण

यह विभाग पशुधन उत्पादन, परिरक्षण, स्टॉक की सुरक्षा तथा सुधार, डेयरी विकास, मत्स्यन तथा मात्स्यिकी से जुड़े मामले के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पशुपालन, डेयरी विकास तथा मात्स्यिकी के क्षेत्र में नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने में सलाह देता है। इन गतिविधियों का मुख्य फोकस इन पर है: (क) पशु उत्पादकता में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपेक्षित अवसंरचना का विकास (ख) दूध तथा दुग्ध उत्पादों के रख-रखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए अवसंरचना को बढ़ावा देना (ग) स्वास्थ्य सेना की व्यवस्था द्वारा पशुधन का परिरक्षण और सुरक्षा (घ) उत्कृष्ट जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केंद्रीय पशुधन फार्मों का सुदृढ़ीकरण (ड.) पशुधन तथा पशुधन उत्पादों के आयात का विनियमन (स्वच्छतापूर्ण आयात परमिट द्वारा), पशु संगरोध केंद्रों की स्थापना तथा प्रमाणपत्र जारी करना तथा स्वास्थ्य नवाचार (च) कल्याण योजनाएं तैयार करना।

भाग 2 : मुख्य उद्देश्यों, सफलता सूचकों तथा लक्ष्यों में परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	मान	कार्य	सफलता	यूनिट	मान	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
						100%	**90%**	**80%**	**70%**	**60%**
पशु रोगों का निवारण और नियंत्रण	14.00	महत्त्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण	लगाए गए टीकों की संख्या	संख्या मिलियन में	10.00	300	270	240	210	180
		पशुचिकित्सा व्यावसायिकों की दक्षता में सुधार	प्रशिक्षित किये गए पशुचिकित्सकों की संख्या	संख्या	2.00	500	450	400	350	300
		मत्वपूर्ण रोगों के विरुद्ध निगरानी के लिए नमूना संग्रहण	एकत्र किये गए नमूनों की संख्या		2.00	185000	160000	140000	120000	100000
चारा तथा आहार विकास	14.00	उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का उत्पादन	चारा बीज उत्पादन क्विंटल में	संख्या	7.00	30000	27000	24000	21000	18000
		प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	आयोजित किये गए कार्यक्रमों की संख्या	संख्या	2.00	170	153	136	119	102
		चरागाहों तथा रिज़र्वों का विकास	विकसित किये गए चारागाह का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	5.00	1000	900	800	700	600
मछली उत्पादन बढ़ाना तथा मछुआरों को सहायता प्रदान करना	18.00	नए तालाबों का निर्माण तथा विद्यमान तालाबों का नवीनीकरण	नवनिर्मित तालाब	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	4.50	8000	7200	6400	5600	4800
			नवीनीकृत तालाब	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	4.50	18000	16200	14400	12600	10800
		कल्याणकारी उपाय तथा आदान सब्सिडी	बीमा योजना का विस्तार	संख्या	1.80	4000000	3600000	3200000	2800000	2400000
			आवासों का निर्माण	संख्या	1.80	5000	4500	4000	3500	3000
			पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण देना	संख्या.	1.80	4000	3600	3200	2800	2400
			मछुआरों को सुरक्षा किटों की आपूर्ति	संख्या	1.80	1000	900	800	700	600

उद्देश्य	मान	कार्य	सफलता	यूनिट	मान	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
		समुद्री मात्स्यिकी का विकास	मोटरीकृत यानों की संख्या	संख्या	1.80	5000	4500	4000	3500	3000
दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों को सहायता प्रदान करना	15.00	शीतलन ईकाईयों की स्थापना (अधिक दूध को शीतल करना)	शीतलन क्षमता का निर्माण	टीएलपीडी में संख्या	3.75	1500	1350	1200	1050	900
		स्वरोजगार योजना के द्वारा उद्यमियों को ऋण प्रदान करके	सुधार/डेयरी ईकाइयों का विस्तार	संख्या	3.75	22000	19800	17600	15400	13200
		उत्पादन बढ़ाना और पशुधन उत्पादकता	दूध उत्पादन में बढ़ावा	मि.टन में संख्या	3.75	132	129	128	127	126
		प्रशिक्षण देना	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	संख्या	3.75	4000	3600	3200	2800	2400
कुक्कुट विकास	10.00	5.1 ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	सहायता किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या	संख्या	5.00	80000	72000	64000	56000	48000
		राज्य के फार्मों द्वारा शुद्ध स्ट ाक का उत्पादन	उत्पादित स्टाक की संख्या	ह हजार में	5.00	1950	1755	1560	1365	1170
जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास	4.00	राज्यों की भेड़/बकरी फार्मों का सुदृढ़ीकरण	सहायता किए जाने वाले फार्मों की संख्या	संख्या	4.00	4	3	2	1	0
पशुधन का आनुवांशिक उन्नयन	5.00	गुणवत्तायुक्त सीमेन स्ट्रा के उत्पादन और वितरण के माध्यम से नस्ल सुधार	किए गए कृत्रिम गर्भाधनों की संख्या	संख्या मिलियन में	2.50	60	56	54	52	50
		अच्छी नस्ल के सांड बछड़ों का उत्पादन और वितरण	वितरित सांड बछड़ों की संख्या	संख्या	2.50	350	315	280	245	210
देशी नस्लों का संरक्षण और विकास	5.00	बोवाइन नस्लों का विकास और संरक्षण	रिकार्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए पशुओं की सख्या	संख्या	2.50	100000	90000	80000	70000	60000

उद्देश्य	मान	कार्य	सफलता	यूनिट	मान	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
		अन्य संकटाधीन नस्लों का विकास और संरक्षण	संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए संकटाधीन नस्लों की संख्या	संख्या	1.25	2	1	1	1	0
			योजना के अधीन कवर किए गए कुल पशुओं की संख्या	संख्या	1.25	200	180	160	140	120
* आर. एफ. डी. प्रणाली का कुशल संचालन	3.00	अनुमोदन के लिए मसौदा समय पर प्रस्तुत	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2.0	05-03-2012	06-03-2012	07-03-2012	08-03-2012	09-03-2012
		परिणाम समय पर प्रस्तुत	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	1.0	01-05-2012	03-05-2012	04-05-2012	05-05-2012	06-05-2012
* प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना	कार्यान्वयन करने का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का लागू करना	द्वारा किये गए आपरेशन का क्षेत्र	%	2.0	100	95	90	85	80
		समय पर विभागीय नई कार्य योजना (आईएपी) की तैयारी	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2.0	01-05-2013	02-05-2013	03-05-2013	06-05-2013	07-05-2013
* मंत्रालय / विभाग की आंतरिक दक्षता / उत्तरदायी / सेवा वितरण में सुधार	4.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	90	80	70	60
			लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	90	80	70	60

उद्देश्य	मान	कार्य	सफलता	यूनिट	मान	लक्ष्य/मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	खराब
* वित्तीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना	2.00	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट पैरा से सम्बंधित ए.टी.एन.एस को समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट नियत तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.एन.एस का प्रतिशत.	%	0.5	100	90	80	70	60
		पीएसी सचिवालय पीएसी रिपोर्ट के ए.टी.आर. समय पर प्रस्तुत..	वर्ष के दौरान बंद पीएसी द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.आर. एस का प्रतिशत.	%	0.5	100	90	80	70	60
		नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट पैरा पर लंबित ए.टी.एन.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31 .03 .2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत	वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.एन.एस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60
		पीएसी रिपोर्ट से सम्बंधित लंबित ए.टी.आर.एस के शीघ्र निपटान हेतु 31 .03 .2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत	वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.आर.एस का प्रतिशत.	%	0.5	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य

धारा 3: सफलता सूचक का रुझान मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11 /12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
पशुओं के रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	महत्वपूर्ण रोगों के खिलाफ टीकाकरण	किया गया टीकाकरण	सं. लाख में	310	372.50	300	300	300
	पशु चिकित्सा पेशेवरों की दक्षता में सुधार	प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की संख्या	सं.	500	2620	500	500	500
	महत्वपूर्ण रोगों के खिलाफ निगरानी के लिए नमूनों का संग्रह	एकत्रित नमूनों की संख्या	सं.	185000	194625	185000	185000	185000
चारा और आहार विकास	अधिक उपज वाली चारा किस्मों का उत्पादन	चारा बीज उत्पादन क्विंटल में	सं.	29116	26308.12	30000	30000	30000
	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	कराय गए कार्यक्रमों की संख्या	सं.	170	196	170	180	180
	चरागाह और घास भंडार का विकास	विकसित चरागाह का क्षेत्रफल	क्षेत्र हेक्टेयर में	1691.50	887	1000	1200	1400
3. मछली उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को सहायता प्रदान करना	नए तालाबों का निर्माण तथा मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण	नए तालाबों का निर्माण	क्षेत्र हेक्टेयर में	6062	6500	8000	8200	8300
		तालाबों का नवीनीकरण	क्षेत्र हेक्टेयर में	13938	14500	18000	18500	18500
	कल्याण के उपाय और इनपुट सब्सिडी	बीमा योजना का विस्तार	सं.	-	-	3600000	-	-
		मकानों का निर्माण	सं.	-	-	4500	-	-
		पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	-	-	3600	-	-
		मछुआरों को सुरक्षा किट की आपूर्ति	सं.	-	-	900	-	-
	समुद्री मात्स्यिकी पालन का विकास	मोटरीकृत शिल्प की संख्या	सं.	1338	9060	5000	5000	5000

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11 /12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
दूध उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों को सहायता प्रदान करना	शीतन इकाइयों (थोक दूध को ठंडा करना) की स्थापना	शीतन क्षमता का सृजन	सं. टी.एल. पी. डी. में	-	-	1350	-	-
	स्वरोजगार योजना के माध्यम से उद्यमियों को ऋण प्रदान करके	डेयरी इकाइयों का सुधार/ विस्तार	सं.	-	-	19800	-	-
	पशुधन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	दूध उत्पादन में वृद्धि	सं.एमएमटी में	-	-	129	-	-
	प्रशिक्षण देना	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	सं.	2912	3800	4000	4250	4500
कुक्कुट का विकास	ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	सहायता प्रदान व्यक्तियों की संख्या	सं.	-	-	72000	-	-
	राज्य फार्मों द्वारा उन्नत स्टॉक का उत्पादन	उत्पादित स्टॉक की संख्या	संख्या हजारों में	-	-	1755	-	-
जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास	राज्य भेड़ / बकरी फार्मों का सुदृढ़ीकरण	सहायता प्रदान फार्मों की संख्या	सं.	6	7	4	4	4
पशुधन का आनुवांशिकी उन्नयन	उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण वीर्य स्ट्रा के वितरण के माध्यम से नस्ल सुधार	किये गए कृत्रिम गर्भाधानों का संख्या	सं. दस लाख में	51	54	60	62	64
	अच्छी नस्ल के बैल बछड़ों का उत्पादन एवं वितरण	वितरित बैल बछड़ों की संख्या	सं.	-	-	315	-	-
स्वदेशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण	बोवाइन नस्लों का विकास एवं संरक्षण	रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाये गए पशुओं की संख्या	सं.	55000	59000	50000	60000	-
	अन्य विलुप्तप्राय नस्लों का विकास और संरक्षण	संरक्षण कार्यक्रम के तहत लायी गयी विलुप्तप्राय नस्लों की संख्या	सं.	-	-	1	-	-

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11 /12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
		इस योजना के तहत कवर किये गए पशुओं की कुल संख्या	सं.	-	-	180	-	-
*आर.एफ.डी प्रणाली का कुशल संचालन	अनुमोदन के लिए समय पर मसौदा प्रस्तुत	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	05-03-2010	07-03-2011	06-03-2012	-	-
	परिणाम को समय पर प्रस्तुत करना	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	02-05-2011	30-04-2012	03-05-2012	-	-
*प्रशासनिक सुधार	भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	-	-	95	-	-
	अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन करना	द्वारा किये गए आपरेशन क्षेत्र	%	-	-	95	-	-
	समय पर तैयार विभागीय नई कार्य योजना (आईएपी)	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	-	-	06-03-2013	-	-
*मंत्रालय/ विभाग की आंतरिक दक्षता/उत्तरदायी/ सेवा वितरण में सुधार	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	-	-	95	-	-
		लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	-	-	95	-	-
* वित्तीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट पैरा से सम्बंधित ए.टी.एन.एस को समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.एन.एस का प्रतिशत.	%	-	-	90	-	-

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11 /12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13/14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14/15 के लिए अनुमानित मूल्य
	पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को समय पर ए.टी.आर.एस प्रस्तुत करना.	वर्ष के दौरान बंद पीएसी द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.आर.एस का प्रतिशत.	%	-	-	90	-	-
		वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.एन. एस का प्रतिशत	%	-	-	90	-	-
	पीएसी रिपोर्ट से सम्बंधित लंबित ए.टी.आर.एस के शीघ्र निपटान हेतु 31 .03 .2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया.	वर्ष के दौरान निपटाए गये बकाया ए.टी.आर. एस का प्रतिशत.	%	-	-	90	-	-

* अनिवार्य उद्देश्य

धारा 4: सफलता सूचक और प्रस्तावित मापन क्रियाविधि का विवरण और परिभाषा

1. पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार - टीकाकरणः घटना या पशु रोग के प्रसार में कमी।
2. प्रशिक्षणः पशु चिकित्सा पेशेवरों की दक्षता स्तर को ब?ाना।
3. चारा बीज उत्पादनः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि।
4. नए तालाबों का निर्माण, मछुआरों को सुरक्षा किट की आपूर्ति और मकानों का निर्माणः मछली उत्पादन में वृद्धि और मछुआरों को सहायता प्रदान करना।
5. शीतन क्षमता का निर्माण,डेयरी इकाइयों में सुधार और कर्मचारियों को प्रशिक्षणः दूध उत्पादन बढ़ाना, दूध की गुणवत्ता की संरक्षा और किसानों को सहायता प्रदान करना।
6. सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या और आपूर्ति स्टॉक की संख्या-कुक्कुट का विकास।
7. सहायता किये जाने वाले फार्मों की संख्या- जुगाली करने वाले छोटे पशुओं का विकास।
8. पशुधन का आनुवांशिकी उन्नयन, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल सुधार और प्राकृतिक सेवा के लिए अच्छी नस्ल के बैल बछड़ों का उत्पादन ।
9. स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षणः विलुप्तप्राय पशुनस्लों का संरक्षण।
10. कार्यान्वयन में समय लेने वाली योजनाओं की पुनरावृत्ति के बाद प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर कुछ सफलता सूचकों/मापदंड मूल्यों को नीच की ओर संशोधित किया गया है तथा इस योजना के लिए उपलब्ध कुल बजट के भीतर एक और एक और आइटम के मूल्य में इसी वृद्धि के साथ एक आइटम के मूल्य को काम करने की आवश्यकता है जो एक ही योजना के भीतर प्रतिस्पर्द्धा आइटम नहीं हैं।
11. **धारा 5: अन्य विभागों से विशिष्ट प्रदर्शन की अपेक्षा**

धारा 5: अन्य विभागों से विशिष्ट प्रदर्शन की अपेक्षा

अन्य विभागों/एजेंसियों से विशिष्ट प्रदर्शन की आवश्यकता

1. योजना आयोगः योजना आयोग को ईएफसी को समयबद्ध योजनाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव को शामिल करने का ज्ञापन तथा बढ़ रहे परिव्यय आदि के लिए अनुमोदन दे देना है।

2. वित्त मंत्रालयः 150 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय सहित योजनाओं के लिए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन करने में वित्त मंत्रालय संलग्न है। वित्त मंत्रालय को ईएफसी को समयबद्ध अनुमोदन दे देना है।

3. राज्य सरकारें-राज्य सरकारें विभिन्न राज्य विभागों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है या कार्यान्वयन एजेंसी जैसे दुग्ध संघ, मछली पालक विकास एजेंसी वगैरह के जरिये निधियों के हस्तांतरण में संलग्न हैं. यदि किसी कारण निधि के हस्तांतरण में अनावश्यक विलम्ब होता है तो इसका असर परियोजना को लागू करने पर पढ़ता है।

4. नाबार्ड-यदि दुग्ध संघ, पशुधन विकास बोर्ड, मछली पालक विकास एजेंसी, चारा विकास केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के पास पर्याप्त सदस्य नहीं हैं तो कार्यान्वयन प्रभावित होगा।

5. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड-राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं-सहकारिताओं को सहायता और राष्ट्रीय डेयरी प्लान के कार्यान्वयन में संलग्न हैं. परियोजना मूल्यांकन की सहायता/ कार्यान्वयन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा. परियोजना के मूल्यांकन में देरी धनराशि और योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव डालेगी।

6. कार्यान्वयन एजेंसियां-यदि दुग्ध संघ/ पशुधन विकास बोर्ड, मछली पालक विकास एजेंसियां, चारा विकास केंद्र के पास पर्याप्त सदस्य नहीं हैं तो कार्यान्वयन प्रभावित होगा।

धारा 6: विभाग/मंत्रालय का परिणाम/प्रभाव

विभाग / मंत्रालय का परिणाम / प्रभाव	इस परिणाम / प्रभाव को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित विभाग / मंत्रालय संयुक्त रूप से जिम्मेदार	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10/11	वित्तीय वर्ष 11/12	वित्तीय वर्ष 12/13	वित्तीय वर्ष 13/14	वित्तीय वर्ष 14/15
1. रोगों का नियंत्रण और रोकथाम	राज्य सरकारें	किये गए टीकाकरण की संख्या	संख्या (लाख में)	310	152	200	300	300
2. दूध उत्पादन में वृद्धि	राज्य सरकारें, डी.ओ.ए.सी., योजना आयोग, डेयरी सहकारिता, वित्त मंत्रालय	दूध का उत्पादन	एमएमटी	121.84	127	132	138	144
3. प्रति व्यक्ति मछली खपत में वृद्धि	राज्य सरकारें, एम.पी.ई.डी.ए., डेयर	किलोग्राम/वर्ष	किलोग्राम/वर्ष	5.60	5.65	5.70	5.80	5.90

निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 2012-13

उद्देश्य	वज़न	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वज़न	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	निष्पक्ष	घटिया		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
1. पशु रोगों की रोकथाम और नियंत्रण	14.00	महत्वपूर्ण रोगों के लिए टीकाकरण	किये गए टीकाकरण की संख्या	सं. लाखों में	10.00	300	270	240	210	180	473.46	100.00	10.0
		पशु चिकित्सा पेशेवरों की दक्षता में सुधार	प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों की संख्या	सं.	2.00	500	450	400	350	300	1233	100.00	2.00
		महत्वपूर्ण रोगों की निगरानी के लिए नमूने का संग्रह	एकत्रित नमूनों की संख्या	सं..	2.00	185000	160000	140000	120000	100000	198028	100.00	2.00
2. आहार और चारा विकास	14.00	अधिक उपज देने वाली चारा किस्मों का उत्पादन	चारा बीज का उत्पादन क्विंटल में	सं.	7.00	30000	27000	24000	21000	18000	92328	100.00	7.00
		प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	सं.	2.00	170	153	136	119	102	186	100.00	2.00
		चरागाह और घास भंडार का विकास	विकसित चरागाह का क्षेत्रफल	क्षेत्र हेक्टेयर में	5.00	1000	900	800	700	600	1495.5	100.00	5.00
3. मछली उत्पादन बढ़ाना तथा मछुआरों को सहायता प्रदान करना	18.00	मौजूदा तालाबों का नवीनीकरण तथा नए तालाबों का निर्माण	नए तालाबों का निर्माण	क्षेत्र हेक्टेयर में	4.50	8000	7200	6400	5600	4800	7211	90.14	4.06
			तालाबों का नवीनीकरण	क्षेत्र हेक्टेयर में	4.50	18000	16200	14400	12600	10800	16824	93.47	4.21
		कल्याण के उपाय और इनपुट सब्सिडी	बीमा योजना का विस्तार	सं.	1.80	4000000	3600000	3200000	2800000	2400000	3984125	99.6	1.79
			मकानों का निर्माण	सं.	1.80	5000	4500	4000	3500	3000	4462	89.24	1.61
			पोस्ट हार्वेस्ट के कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	1.80	4000	3600	3200	2800	2400	3315	82.88	1.49
			मछुआरों को सुरक्षा किट की आपूर्ति	सं.	1.80	1000	900	800	700	600	1400	100.00	1.8
		समुद्री मात्स्यिकी पालन का विकास	मोटरीकृत शिल्पों की संख्या	सं..	1.80	5000	4500	4000	3500	3000	7370	100.00	1.8

उद्देश्य	वज़न	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वज़न	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	निष्पक्ष	घटिया		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
4. दूध उत्पादन को बढ़ाना तथा मछुआरों को सहायता प्रदान करना	15.00	शीतलन (थोक दूध ठंडा) इकाइयों की स्थापना	शीतन क्षमता का सृजन	सं. टी.एल. पी. डी. में	3.75	1500	1350	1200	1050	900	1705	100.00	3.75
		स्वरोजगार योजना के माध्यम से उद्यमियों को ऋण प्रदान करके	डेयरी इकाइयों का सुधार / विस्तार	सं.	3.75	22000	19800	17600	15400	13200	34744	100.00	3.75
		पशुधन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि	दूध उत्पादन में वृद्धि	सं.एम एम टी में	3.75	132	129	128	127	126	133.79	100.00	3.75
		प्रशिक्षण देना	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	सं.	3.75	4000	3600	3200	2800	2400	4200	100.00	3.75
5.कुक्कुट विकास	10.00	ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या	सं.	5.00	80000	72000	64000	56000	48000	142000	100.00	5.00
		राज्य फार्मों द्वारा उन्नत स्टॉक का उत्पादन	उत्पादित स्टॉक की संख्या	संख्या हजारों में	5.00	1950	1755	1560	1365	1170	6300	100.00	5.00
6. लघु जुगाली करने वालों का विकास	4.00	राज्य भेड़ / बकरी फार्मों का सुदृढ़ीकरण	सहायता किये जाने वाले फार्मों की संख्या	सं.	4.00	4	3	2	1	0	9	100.00	4.00
7. पशुओं का आनुवांशिकी उन्नयन	5.00	गुणवत्तापूर्ण वीर्य स्ट्रॉ के वितरण और उत्पादन द्वारा नस्ल सुधार	किये गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या	सं. दस लाख में	2.50	60	56	54	52	50	61	100.00	2.50
		अच्छी नस्ल के बैल बछड़ों का उत्पादन एवं वितरण	वितरित बैल बछड़ों की संख्या	सं.	2.50	350	315	280	245	210	368	100.00	2.5

उद्देश्य	वज़न	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वज़न	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	निष्पक्ष	घटिया		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
8. स्वदेशी नस्लों का विकास एवं संरक्षण	5.00	बोवाइन नस्लों का विकास एवं संरक्षण	रिकॉर्डिंग कार्यक्रम के तहत लाये गये पशुओं की संख्या	सं.	2.50	100000	90000	80000	70000	60000	114531	100.00	2.5
		अन्य विलुप्तप्राय नस्लों का विकास और संरक्षण	संरक्षण कार्यक्रम के तहत लाये गये विलुप्तप्राय नस्लों की संख्या	सं.	1.25	2	1	1	1	0	2	100.00	1.25
			इस योजना के तहत कवर पशुओं की कुल संख्या	सं.	1.25	200	180	160	140	120	330	100.00	1.25
* आर.एफ.डी. प्रणाली का कुशल संचालन	3.00	अनुमोदन के लिए समय पर मसौदा प्रस्तुत	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2.0	05-03-2012	06-03-2012	07-03-2012	08-03-2012	09-03-2012	02-03-2012	100.00	2.00
		परिणाम समय पर प्रस्तुत	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	1.0	01-05-2012	03-05-2012	04-05-2012	05-05-2012	06-05-2012	30/04/2012	100.00	1.00
*प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित खतरे को कम करने के लिए रणनीतियों को लागू करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	2.0	100	95	90	85	80	100	100.00	2.00
		अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ 9001 को लागू करना	द्वारा किये गए आपरेशन कवर का क्षेत्र	%	2.0	100	95	90	85	80	0	0.00	0.00
		समय पर विभागीय अभिनव कार्य योजना (आईएपी) तैयार	समय पर प्रस्तुत	दिनांक	2.0	01-05-2013	02-05-2013	03-05-2013	06-05-2013	07-05-2013	29-04-2013	100.00	2.00

उद्देश्य	वज़न	कार्रवाई	सफलता	इकाई	वज़न	लक्ष्य / मानदंड मूल्य					उपलब्धि	निष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	निष्पक्ष	घटिया		कच्चा स्कोर	भारित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
*मंत्रालय/ विभाग की आंतरिक दक्षता / उत्तरदायी / सेवा वितरण में सुधार	4.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	90	80	70	60	75	75.00	1.5
			लोक शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2.0	100	90	80	70	60	61.38	61.38	1.23
* वित्तीय जवाबदेही की रूपरेखा के अनुपालन को सुनिश्चित करना	2.00	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट पैरा से सम्बंधित समय पर प्रस्तुत ए.टी.एन.एस.	वर्ष के दौरान कैग द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की नियत तारीख (4 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.एन.एस का प्रतिशत.	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
		पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को समय पर ए.टी.आर.एस प्रस्तुत.	वर्ष के दौरान बंद पीएसी द्वारा संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट की तारीख से नियत तारीख (6 महीने) के भीतर प्रस्तुत ए.टी.आर.एस का प्रतिशत.	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
		नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की ऑडिट पैरा से सम्बंधित लंबित ए.टी.एन.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31 .03 .2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया.	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया ए.टी.एन.एस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
		पीएसी रिपोर्ट पर लंबित ए.टी.आर.एस के शीघ्र निपटान के लिए 31 .03 .2012 से पहले संसद के समक्ष प्रस्तुत किया.	वर्ष के दौरान निपटाए गए बकाया ए.टी.आर.एस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	

* अनिवार्य उद्देश्य

समग्र अंक : 95.4

अनुबंध

अनुबंध I

पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या -2007 पशुधन जनगणना

(आंकड़ें हज़ारों में)

राज्य /संघ शासित प्रदेश	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरी	सुअर	घोड़े और टट्टू	खच्चर	गधे	ऊँट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
1-आंध्र प्रदेश	11223	13272	25539	9626	439	26	0	50	0		0	60175	123981
2-अरुणांचल प्रदेश	503	3	20	292	356	6	0	0	0	14	219	1413	1348
3-असम	10041	500	354	4320	2000	11	0	0	0		0	17227	29060
4-बिहार	12559	6690	218	10167	632	51	0	24	0		0	30342	11420
5-छत्तीसगढ़	9491	1604	140	2768	413	1	0	0	0		0	14418	14246
6-गोवा	71	37	0	11	58	0	0	0	0		0	177	505
7-गुजरात	7976	8774	2002	4640	22	14	0	50	38		0	23515	13352
8-हरियाणा	1552	5953	601	538	134	26	11	5	39		0	8859	28785
9-हिमाचल प्रदेश	2269	762	901	1241	2	13	19	7	0	2	0	5217	810
10-जम्मू एवं कश्मीर	3443	1050	4127	2068	1	167	42	24	2	62	0	10987	6683
11-झारखण्ड	8781	1506	483	6592	732	5	0	1	0			18100	11231
12-कर्नाटक	10503	4327	9558	6153	281	11	0	26	0			30859	42068
13-केरल	1740	58	1	1729	59	0	0	0	0			3587	15686
14-मध्य प्रदेश	21915	9129	390	9014	193	27	3	20	4			40696	7384
15-महाराष्ट्र	16184	6073	2909	10391	327	38	0	32	0			35954	64756
16-मणिपुर	342	62	9	51	314	1	0	0	0		10	789	2403
17-मेघालय	887	23	21	365	524	2	0	0	0		0	1823	3093
18-मिजोरम	35	6	1	16	267	1	0	0	0		2	328	1239
19-नागालैंड	470	35	4	178	698	1	0	0	0		33	1419	3156
20-उड़ीसा	12310	1190	1818	7127	612	0	0	0	0		0	23057	20600
21-पंजाब	1777	5062	208	290	26	33	6	5	2		0	7408	10685
22-राजस्थान	12120	11092	11190	21503	209	25	1	102	422		0	56663	4946
23-सिक्किम	135	0	3	92	35	0	0	0	0	5	0	270	157
24-तमिलनाडु	11189	2009	7991	9275	284	7	0	5	0		0	30759	128108
25-त्रिपुरा	954	14	4	633	264	0	0	0	0		0	1869	3701
26- उत्तर प्रदेश	18883	23812	1188	14793	1350	122	31	84	9		0	60272	8754
27-उत्तरांचल	2235	1220	290	1335	20	15	24	1	0	0	0	5141	2602
28-पश्चिम बंगाल	19188	764	1577	15069	815	6	0	0	0	0	0	37419	86210
29-अंडमान एवं निकोबार	49	10	0	67	48	0		0	0		0	174	979
30-चंडीगढ़	7	20	0	1	0	0	0	0	0		0	28	129
31-दादर एवं नगर हवेली	57	4	0	25	0	0		0	0		0	87	170
32-दमन एवं दीव	3	1	0	3	0	0		0	0		0	7	26
33-दिल्ली	92	278	6	21	20	1	0	0	0		0	418	2
34-लक्षद्वीप	7	0	0	76	0	0		0	0		0	82	167
35-पुडुचेरी	84	3	4	69	1	0		0	0		0	162	387
संपूर्ण भारत	**199075**	**105343**	**71558**	**140537**	**11134**	**611**	**137**	**438**	**517**	**83**	**264**	**529698**	**648830**

'0 हजार के सन्दर्भ में नगण्य $ अस्थायी परिणाम, गांव स्तर योग से व्युत्पन्न

स्रोत-18 वीं पशुधन जनगणना, पशुधन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय

अनुबंध II

प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन-संपूर्ण भारत

वर्ष	दूध (मिलियन टन में)	अंडे (मिलियन संख्या में)	ऊँन (मिलियन कि.ग्रा. में)	मांस (मिलियन टन में)
1950-51	17.0	1,832	27.5	-
1955-56	19.0	1,908	27.5	-
1960-61	20.0	2,881	28.7	-
1968-69	21.2	5,300	29.8	-
1973-74	23.2	7,755	30.1	-
1979-80	30.4	9,523	30.9	-
1980-81	31.6	10,060	32.0	-
1981-82	34.3	10,876	33.1	-
1982-83	35.8	11,454	34.5	-
1983-84	38.8	12,792	36.1	-
1984-85	41.5	14,252	38.0	-
1985-86	44.0	16,128	39.1	-
1986-87	46.1	17,310	40.0	-
1987-88	46.7	17,795	40.1	-
1988-89	48.4	18,980	40.8	-
1989-90	51.4	20,204	41.7	-
1990-91	53.9	21,101	41.2	-
1991-92	55.7	21,983	41.6	-
1992-93	58.0	22,929	38.8	-
1993-94	60.6	24,167	39.9	-
1994-95	63.0	25,975	40.6	-
1995-96	66.2	27,187	42.4	-
1996-97	69.1	27,496	44.4	-
1997-98	72.1	28,689	45.6	-
1998-99	75.4	29,476	46.9	1.9
1999-2000	78.3	30,447	47.9	1.9
2000-01	80.6	36,632	48.4	1.9
2001-02	84.4	38,729	49.5	1.9
2002-03	86.2	39,823	50.5	2.1
2003-04	88.1	40,403	48.5	2.1
2004-05	92.5	45,201	44.6	2.2
2005-06	97.1	46,235	44.9	2.3
2006-07	102.6	50,663	45.1	2.3
2007-08	107.9	53,583	43.9	4.0
2008-09	112.2	55,562	42.8	4.3
2009-10	116.4	60,267	43.1	4.6
2010-11	121.8	63,024	43.0	4.8
2011-12	127.9	66,449	44.73	5.5
2012-13	**132.43**	**69,731**	**46.05**	**5.9**

- उपलब्ध नहीं

टिप्पणीः वाणिज्यिक कुक्कुट फार्म से मांस उत्पादन 2007-08 से शामिल है।

अनुबंध III

2006-07 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान राज्यवार मछली उत्पादन

(टन में)

राज्य /संघ शासित प्रदेश	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अनंतिम)
1-आंध्र प्रदेश	856.93	1,010.08	1,252.78	1293.85	1368.202	1603.17	1808.08	1930.49
2-अरुणांचल प्रदेश	2.77	2.83	2.88	2.65	3.15	3.30	3.71	2.89
3-असम	181.48	190.32	200.15	218.82	227.242	228.62	254.27	263.09
4-बिहार	267.04	319.10	300.65	297.40	299.91	344.47	400.14	465.99
5-छत्तीसगढ़	137.75	139.37	158.70	174.24	228.207	250.70	255.61	281.55
6-गोवा	102.39	33.43	86.21	84.33	93.27	89.96	77.88	92.66
7-गुजरात	747.33	721.91	765.90	771.52	774.902	783.72	788.49	793.11
8-हरियाणा	60.08	67.24	76.29	100.46	96.195	106.00	111.48	116.90
9-हिमाचल प्रदेश	6.89	7.85	7.79	7.75	7.381	8.05	8.56	8.76
10-जम्मू एवं कश्मीर	19.20	17.33	19.27	18.94	19.70	19.85	19.95	19.98
11-झारखण्ड	34.27	67.89	75.80	70.50	71.886	91.68	96.60	106.56
12-कर्नाटक	292.46	297.69	361.85	408.05	526.579	546.44	525.57	492.06
13-केरल	677.63	667.33	685.99	663.12	681.613	693.21	679.74	664.45
14-मध्य प्रदेश	65.04	63.89	68.47	66.12	56.451	75.41	85.17	90.17
15-महाराष्ट्र	595.94	556.45	523.10	538.35	595.249	578.79	586.37	583.87
16-मणिपुर	18.61	18.60	18.80	19.20	20.20	22.22	24.50	26.92
17-मेघालय	5.49	4.00	3.96	4.21	4.557	4.77	5.42	5.89
18-मिजोरम	3.76	3.76	2.89	3.04	2.901	2.93	5.43	5.87
19-नागालैंड	5.80	5.80	6.18	6.36	6.585	6.84	7.13	7.15
20-उड़ीसा	342.04	349.48	374.82	370.54	386.185	381.83	410.14	414.64
21-पंजाब	86.70	78.73	86.21	122.86	97.04	97.62	99.13	100.30
22-राजस्थान	22.20	25.70	24.10	26.91	28.20	47.85	55.16	56.31
23-सिक्किम	0.15	0.18	0.17	0.17	0.18	0.28	0.49	0.46
24-तमिलनाडु	542.28	559.36	534.17	534.17	614.809	611.49	620.40	620.51
25-त्रिपुरा	28.63	36.25	36.00	42.27	49.231	53.34	57.46	60.20
26- उत्तर प्रदेश	306.73	325.95	349.27	392.93	417.479	429.72	449.75	461.72
27-उत्तरांचल	3.03	3.09	3.16	3.49	3.818	3.83	3.85	3.85
28-पश्चिम बंगाल	1,359.10	1,447.26	1484.00	1505.00	1443.259	1472.05	1490.02	1636.68
29-अंडमान एवं निकोबार	28.68	28.68	32.49	33.19	33.921	35.26	36.62	39.39
30-चंडीगढ़	0.17	0.21	0.24	0.24	0.242	0.10	0.05	0.09
31-दादर एवं नगर हवेली	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
32-दमन एवं दीव	16.41	26.36	14.14	15.88	16.975	17.43	19.01	19.01
33-दिल्ली	0.61	0.61	0.72	0.71	0.82	0.74	0.69	0.69
34-लक्षद्वीप	11.75	11.04	12.59	12.37	12.372	12.37	12.37	12.37
35-पुडुचेरी	39.66	39.01	40.30	41.94	41.949	42.40	41.07	41.17
कुल योग	**6,869.05**	**7,126.83**	**7,616.09**	**7851.61**	**8230.71**	**8666.49**	**9040.36**	**9425.80**

पी-अनंतिम

स्रोतः राज्य / संघ राज्य क्षेत्र

अनुबंध IV

भारतीय समुद्री मात्स्यिकी संसाधन

राज्य / संघ शासित प्रदेश	लगभग समुद्र तट की लम्बाई (कि. मी. में)	महाद्वीपीय शेल्फ ('000 वर्ग. कि. मी.)	मछली उतारने वाले केन्द्रों की संख्या	मत्स्ययक गांवों की संख्या
आंध्र प्रदेश	974	33	353	555
गोवा	104	10	33	39
गुजरात	1600	184	121	247
कर्नाटक	300	27	96	144
केरल	590	40	187	222
महाराष्ट्र	720	112	152	456
ओडिशा	480	26	73	813
तमिलनाडु	1076	41	407	573
पश्चिम बंगाल	158	17	59	188
अंडमान और निकोबार	1912	35	16	134
दमन और दीव	27	0	5	11
लक्षद्वीप	132	4	10	10
पुडुचेरी	45	1	25	40
कुल योग	**8118**	**530**	**1537**	**3432**

स्रोतः समुद्री मात्स्यिकी संगणना, 2005.

अनुबंध V

भारतीय अंतर्देशीय जल संसाधन

क्र. सं.	राज्य / संघ शासित प्रदेश	नदियां और नहरें (कि. मी.)	जलाशय (लाख हेक्टेयर)	टैंक और तालाब (लाख हेक्टेयर)	बाढ़ समतल झीलें तथा परित्यक्त जल निकाय (लाख हेक्टेयर)	खारा जल (लाख हेक्टेयर)	कुल जल निकाय (लाख हेक्टेयर)
1.	आंध्र प्रदेश	11514	2.34	5.17	-	0.60	8.11
2.	अरुणांचल प्रदेश	2000	-	2.76	0.42	-	3.18
3.	असम	4820	0.02	0.23	1.10	-	1.35
4.	बिहार	3200	0.60	0.95	0.05	-	1.60
5.	छत्तीसगढ़	3573	0.84	0.63	-	-	1.47
6.	गोवा	250	0.03	0.03	-	Neg.	0.06
7.	गुजरात	3865	2.43	0.71	0.12	1.00	4.26
8.	हरियाणा	5000	Neg.	0.10	0.10	-	0.20
9.	हिमाचल प्रदेश	3000	0.42	0.01	-	-	0.43
10.	जम्मू एवं कश्मीर	27781	0.07	0.17	0.06	-	0.30
11.	झारखण्ड	4200	0.94	0.29	-	-	1.23
12.	कर्नाटक	9000	4.40	2.90	-	0.10	7.40
13.	केरल	3092	0.30	0.30	2.43	2.40	5.43
14.	मध्य प्रदेश	17088	2.27	0.60	-	-	2.87
15.	महाराष्ट्र	16000	2.99	0.72	-	0.12	3.83
16.	मणिपुर	3360	0.01	0.05	0.04	-	0.10
17.	मेघालय	5600	0.08	0.02	Neg.	-	0.10
18.	मिजोरम	1395	-	0.02	-	-	0.02
19.	नागालैंड	1600	0.17	0.50	Neg.	-	0.67
20.	उड़ीसा	4500	2.56	1.14	1.80	4.30	9.80
21.	पंजाब	15270	Neg.	0.07	-	-	0.07
22.	राजस्थान	5290	1.20	1.80	-	-	3.00
23.	सिक्किम	900	-	-	0.03	-	0.03
24.	तमिलनाडु	7420	5.70	0.56	0.07	0.60	6.93
25.	त्रिपुरा	1200	0.05	0.13	-	-	0.18
26.	उत्तर प्रदेश	28500	1.38	1.61	1.33	-	4.32
27.	उत्तरांचल	2686	0.20	0.01	0.00	-	0.21
28.	पश्चिम बंगाल	2526	0.17	2.76	0.42	2.10	5.45
29.	अंडमान एवं निकोबार	-	0.00	0.00	-	0.33	0.34
30.	चंडीगढ़	2	-	Neg.	Neg.	-	0.00
31.	दादर एवं नगर हवेली	54	0.05	-	-	-	0.05
32.	दमन एवं दीव	12	-	Neg.	-	Neg.	0.00
33.	दिल्ली	150	0.04	-	-	-	0.04
34.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	0.00
35.	पुडुचेरी	247	-	Neg.	0.01	Neg.	0.01
	कुल योग	**195095**	**29.26**	**24.24**	**7.98**	**11.55**	**73.03**

स्रोतः राज्य सरकार/संघशासित राज्य

अनुबंध VI

मत्स्य बीज उत्पादन

वर्ष	मत्स्य बीज (मिलियन फ्राई में)
1973-74 (चौथी योजना का अंत)	409
1978-79 (पांचवी योजना का अंत)	912
1984-85(छठी योजना का अंत)	5,639
सातवीं योजना	
1985-86	6,322
1986-87	7,601
1987-88	8,608
1988-89	9,325
1989-90	9,691
वार्षिक योजनाएं	
1990-91	10,332
1991-92	12,203
आठवीं योजना	
1992-93	12,499
1993-94	14,239
1994-95	14,544
1995-96	15,007
1996-97	15,853
नवीं योजना	
1997-98	15,904
1998-99	15,156
1999-2000	16,589
2000-01	15,608
2001-02	15,758
दसवीं योजना	
2002-03	16,333
2003-04	19,231
2004-05	20,790
2005-06	22,614
2006-07	31,688
ग्यारहवीं योजना	
2007-08	24,143
2008-09	32,177
2009-10	29,313
2010-11	34,993
2011-12	36,566
बारहवीं योजना	
2012-13	34,922
2013-14(P)	39,575

पी-अनंतिम

अनुबंध VII

वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वित्तीय आवंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2012-13	संशोधित अनुमान 2012-13	व्यय 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	व्यय 2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
I	***पशुपालन***						
A	**केंद्र प्रायोजित योजना**						
1	राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना	180.39	117.66	113.98	134.99	128.30	128.30
2	**कुक्कुट विकास**	**52.50**	**35.62**	**33.56**	**52.50**	**50.36**	**50.16**
	राज्य कुक्कुट/बतख फार्मों के लिए सहायता	10.00	2.90	1.94	10.00	10.00	9.80
	ड) ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास	40.00	32.61	30.82	40.00	40.00	40.00
	ह) कुक्कुट संपदा की स्थापना	2.50	0.11	0.79	2.50	0.36	0.36
3	चालित वध संयंत्र सहित ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण	0.01		0.00	0.04	0.00	0.00
4	मृत पशुओं का उपयोग	0.01		0.00	0.05	0.00	0.00
5	संकटग्रस्त पशुधन नस्लों का संरक्षण	1.00	1.00	0.93	1.35	1.00	1.00
6	केन्द्र प्रायोजित चारा विकास योजना	50.00	74.70	74.59	90.00	89.17	89.17
7	पशुधन बीमा	50.00	50.00	45.85	60.00	50.00	47.65
8	**पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण**	**403.01**	**324.28**	**325.87**	**458.98**	**398.79**	**393.67**
8.1	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	82.00	89.00	88.18	90.00	90.00	89.25
8.2	संगरोध उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना	4.01	4.20	4.22	5.00	4.50	3.19
8.3	व्यावसायिक दक्षता विकास	5.00	5.00	4.80	5.00	5.00	5.07
8.4	खुरपका और मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	190.00	160.00	160.67	250.00	223.79	223.78
8.5	मौजूदा अस्पतालों / डिस्पेंसरियों का सुदृढ़ीकरण	91.00	46.87	51.63	60.00	50.03	54.10
8.6	पीपीआर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	10.00	5.83	5.10	22.00	7.26	4.58
8.7	ब्रूसेलोसिस का राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम	11.00	6.58	6.01	12.00	6.20	4.25
8.8	राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (नाड्र्स)	10.00	6.80	5.27	14.97	12.00	9.45
8.9	क्लासिकल सूअर ज्वर के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम (नया)				0.01	0.01	0.00
9	पशुधन विस्तार और वितरण सेवायें	0.01		0.00	0.03	0.00	0.00
10	**नई योजनाएं (12 वीं योजना में)**	**1.50**	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**0.00**
10.1	बोवाइन प्रजनन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	0.50			0.01	0.00	0.00
10.2	राष्ट्रीय पशुधन मिशन				0.02	0.00	0.00

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2012-13	संशोधित अनुमान 2012-13	व्यय 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	व्यय 2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
10.3	पशुधन प्रबंधन	1.00		0.00			
	कुल सीएसएस (पशुपालन)	**738.43**	**603.26**	**594.78**	**797.97**	**717.62**	**709.95**
B	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**						
1	पशुधन संगणना	150.00	166.12	154.59	82.00	70.00	61.36
2	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	13.50	12.65	12.44	18.00	15.00	14.95
3	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	29.00	29.43	27.87	25.00	28.45	24.68
4	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	2.10	2.17	2.01	2.20	2.00	1.31
5	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	25.55	17.95	16.23	25.78	14.33	9.44
6	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन	20.00	17.04	14.76	18.50	16.00	13.00
7	पशु स्वास्थ्य निदेशालय	23.50	17.91	14.41	23.00	19.45	12.82
8	जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास	15.00	12.90	14.71	15.00	10.00	8.59
9	सुअर पालन विकास	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	7.80
10	नर भैंस बछड़ों का बचाव और पालन	0.01		0.00	0.01	0.00	0.00
11	खाद्य सुरक्षा और पहचान (नया)	5.00			2.00	0.00	0.00
12	कुक्कुट उद्यम पूंजी फंड	30.00	20.00	19.65	30.00	30.00	40.00
13	**नई योजनाएं (12 वीं योजना में)**	**1.01**	**0.00**	**0.00**	**0.03**	**0.00**	**0.00**
13.1	पशु चिकित्सा औषधि नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना	0.01		0.00	0.01	0.00	0.00
13.2	पशु चिकित्सा कॉलेजों के बुनियादी ढांचे का उन्नयन / सुदृढ़ीकरण	1.00		0.00	0.01	0.00	0.00
13.3	राष्ट्रीय पशुधन मिशन			0.00	0.01	0.00	0.00
	कुल सी एस (पशुपालन)	**324.67**	**306.17**	**286.68**	**253.52**	**215.23**	**193.95**
	कुल पशुपालन (सीएसएस एवं सीएस)	**1063.10**	**909.43**	**881.45**	**1051.49**	**932.85**	**903.90**
II	***डेरी विकास***						
A	**केंद्रीय प्रायोजित योजना**						
1	**डेयरी विकास परियोजनाएं**	**100.00**	**84.08**	**83.13**	**85.01**	**77.63**	**74.91**
1.1	डेयरी विकास परियोजना (स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सहित के लिए)	100.00	84.08	83.13	85.00	77.63	74.91
1.2	गोपशु प्रजनन और डेयरी राष्ट्रीय कार्यक्रम			0.00	0.01	0.00	0.00
	कुल सी एस एस (डेयरी विकास)	**100.00**	**84.08**	**83.13**	**85.01**	**77.63**	**74.91**
B.	केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं						
1	सहकारिताओं को सहायता	10.00	6.22	6.22	5.00	4.95	4.95
2	दिल्ली दुग्ध योजना	2.00	0.24	1.16	10.00	3.65	1.72
3	डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष/डेयरी शीलता विकास योजना	150.00	330.00	310.00	300.00	284.31	284.30

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट अनुमान 2012-13	संशोधित अनुमान 2012-13	व्यय 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	संशोधित अनुमान 2013-14	व्यय 2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8
4	राष्ट्रीय डेयरी योजना	130.00	123.00	123.00	180.00	149.26	149.26
	कुल सी एस (डेयरी विकास)	**292.00**	**459.46**	**440.38**	**495.00**	**442.17**	**440.23**
	कुल डेयरी विकास (सी एस एस एवं सी एस)	**392.00**	**543.54**	**523.51**	**580.01**	**519.80**	**515.14**
III	***मात्स्यिकी***						
A.	**केंद्रीय प्रायोजित योजना**						
1	अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि का विकास	40.00	32.65	31.42	40.00	33.00	31.14
2	समुद्री मत्स्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास	80.00	78.60	74.68	80.00	79.00	63.76
3	मछुआरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजना	50.00	40.89	39.38	50.00	55.00	52.15
	कुल सीएसएस (मत्स्य)	**170.00**	**152.14**	**145.48**	**170.00**	**167.00**	**147.04**
B.	**केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं**						
1	मत्स्य पालन क्षेत्र के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	6.50	4.10	3.78	6.50	7.50	5.52
2	मात्स्यिकी **संस्थानों को सहायता**	**54.20**	**49.09**	**42.52**	**57.50**	**42.72**	**42.51**
2.1	केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान	15.00	14.26	11.49	15.15	6.37	5.83
2.2	केंद्रीय तटीय मत्स्य पालन इंजीनियरिंग संस्थान			0.00		0.00	0.00
2.3	राष्ट्रीय मत्स्य पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट)	2.20	2.40	2.11	2.35	2.35	1.94
2.4	भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई)	37.00	32.43	28.93	40.00	34.00	34.74
3.	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड	110.00	106.81	106.81	137.50	115.13	123.16
	कुल सीएस (मत्स्य)	**170.70**	**160.00**	**153.12**	**201.50**	**165.35**	**171.19**
	कुल मत्स्य (सीएसएस एवं सीएस)	**340.70**	**312.14**	**298.60**	**371.50**	**332.35**	**318.23**
IV	*सचिवालय और आर्थिक सेवाएँ*	*7.00*	*6.42*	*5.68*	*7.00*	*7.00*	*5.80*
V	*आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आत्महत्या की आशंका वाले जिलों के लिए विशेष पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्र पैकेज*	*35.00*	*28.43*	*28.06*	*15.00*	*8.00*	*8.00*
VI	*बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनायें (तैयारी, नियंत्रण और एवियन इन्फ्लुएंजा की रोकथाम)*	*72.20*	*0.04*	*0.02*		*0.00*	*0.00*
	कुल योग	**1910.00**	**1800.00**	**1737.32**	**2025.00**	**1800.00**	**1751.07**

अनुबंध VIII

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक चार्ट और प्रभागों के बीच कार्य आबन्टन

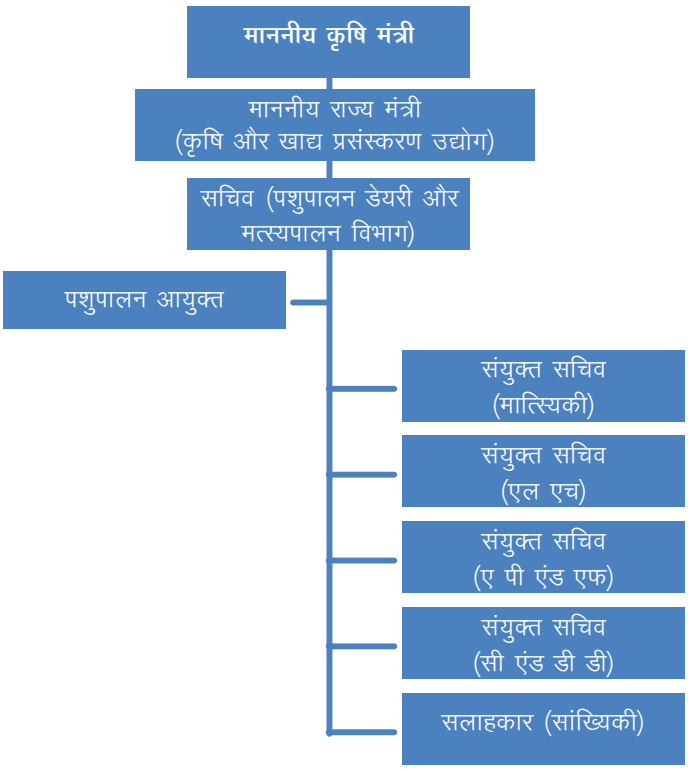

कार्य का आबंटन

संयुक्त सचिव (एल एच)

पशुधन स्वास्थ्य, व्यापार और काडेक्स एलिमेटेरियस, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना, संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं, योजना समन्वय, विधायन के बिना संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामले।

संयुक्त सचिव (ए पी एफ)

प्रशासन-1, रोकड़ और सामान्य प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सतर्कता, कुक्कुट विकास, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, सूअर, अश्व एवं भारवाही पशु, आहार और चारा, बूचड़खाना, मीट और मीट उत्पाद, केंद्रीय चारा विकास संगठन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्मों से संबंधित प्रशासनिक कार्य सहित बकरी, भेड़ विकास, राजभाषा और कार्य अध्ययन एकक, पशुपालन विस्तार, पशुधन बीमा योजना।

संयुक्त सचिव (सी डी डी)

राष्ट्रीय डेयरी योजना, डेयरी विकास योजना, एन.पी.सी.बी.बी. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन, प्रशासन-4 और दिल्ली दुग्ध योजना और एन.डी.डी.बी. से जुड़े सभी मामले, सामान्य समन्वय , प्रशासनिक सुधार, जन शिकायत और डेयरी प्रभाग से जुड़े सभी मामले

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)

मत्स्य विकास, विनियमन और नीति से जुड़े सभी मामले, मत्स्य संस्थान नामितः , एफ. एस. आई.,सिफनेट, एन.आई.एफ. पी.एच.टी.टी,सीआईसीईएफ और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड तथा सी.ए.ए. से संबंधित मामले।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगणना, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले।

अनुबंध IX

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को आबंटित विषयों की सूची

भाग 1

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची1 में आते हैं:

1. उद्योग, जहां तक पशुधन, मत्स्य और पक्षी आहार तथा डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य उत्पादों के विकास के संबंध में इनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद में पारित विधि द्वारा लोकहित में इस शर्त पर उपयुक्त घोषित किया गया हो कि इन उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य उनकी मांगों के निरूपण और लक्ष्यों के निर्धारण के कार्यक्षेत्र से बाहर न हों।
2. पशुधन, कुक्कुट और मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क और सहयोग।
3. पशुधन संगणना।
4. पशुधन सांख्यिकी।
5. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई पशुधन हानि से संबंधित मामले।
6. पशुधन आयात, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण का विनियमन।
7. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और प्रादेशिक जल से बाहर)।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

भाग 2

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची3 में आते हैं:-

9. पशुचिकित्सा प्रेक्टिस व्यवसाय।
10. पशुओं, मत्स्य, पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक अथवा संक्रामक रोगों अथवा नाशक जीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव को रोकना।
11. स्वदेशी नस्लों का परिवर्तन, पशुधन की स्वदेशी नस्लों के लिए केन्द्रीय पशु यूथ पुस्तक शुरू करना और उसका रखरखाव।
12. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों डेयरी विकास योजनाओं को सहायता देने की प्रणाली

भाग 3

संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ऊपर भाग 1 तथा भाग 2 में उल्लिखित विषय, जहां तक वे इन प्रदेशों के अस्तित्व में हैं तथा निम्नलिखित विषयों के साथसाथ जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 में शामिल हैं:

13. स्टॉक का परिरक्षण, संरक्षण तथा सुधार और पशु, मछली और पक्षियों के रोगों की रोकथाम, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं प्रेक्टिस।
14. कोर्टस् ऑफ वार्ड्स।
15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा।

भाग 4

16. गोपशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।
17. चारा विकास।

अनुबंध X

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

I. पशुपालन प्रभाग

1. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धामरोड, जिला सूरत (गुजरात)।
2. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अंदेशनगर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
3. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुड़ी, पोस्ट सुनाबेड़ा,(कोरापुट), उड़ीसा।
4. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, (राजस्थान)।
5. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, बसन्तपुर, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा।
6. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अवाड़ी, अलामाधि (चेन्नई)
7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैस्सरघट्टा, उत्तरी बंगलुरू ।
8. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा उत्तरी बंगलुरू।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, रोहतक (हरियाणा)।
10. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, अजमेर।
11. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, अहमदाबाद।
12. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, संथापट, ओंगोले, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)।
13. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, कल्याणी, जिला नाडिया (पश्चिम बंगाल)।
14. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)।
15. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, टैक्सटाइल मिल हिसार(हरियाणा)।
17. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर (गुजरात)।
18. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, आवाड़ी, अलामाधि(चेन्नई)।
19. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, मामिडिपल्ली, वाया केशवगिरी, हैदराबाद।
20. केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, उत्तरी बंगलुरू।
21. राष्ट्रीय पशुस्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
23. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, पल्लीकरणी गांव, चेन्नई
24. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, गोपालपुर, 24 परगना (पश्चिम बंगाल)।
25. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई
26. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, हैदराबाद
27. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, बंगलुरू
28. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)।
29. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, दक्षिण क्षेत्र, हैस्सरघट्टा, उत्तरी बंगलुरू
30. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।
31. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कालोनी, मुम्बई।
32. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़।
33. केन्द्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र, गुड़गांव (हरियाणा)

II. डेयरी विकास प्रभाग

34. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली।

III. मात्स्यिकी प्रभाग

35. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलुरू ।
36. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।
37. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।
38. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

अनुबंध XI

पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं	राज्य /संघ शासित प्रदेश	पशुचिकित्सा ास्पतालों/पॉली क्लीनिक अस्पतालों/ पॉली क्लीनिक	पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी	पशुचिकित्सा सहायता केंद्र /स्टॉक मैन केंद्र /मोबाइल डिस्पेंसरी
1	आंध्र प्रदेश	299	2330	2657
2	अरुणांचल प्रदेश	1	93	289
3	असम	21	470	739
4	बिहार	39	783	1595
5	छत्तीसगढ़	241	775	26
6	गोवा	5	21	51
7	गुजरात	23	672	587
8	हरियाणा	944	1814	-
9	हिमाचल प्रदेश	369	1762	1250
10	जम्मू एवं कश्मीर	303	1585	14
11	झारखण्ड	27	424	433
12	कर्नाटक	364	1943	1805
13	केरल	275	893	20
14	मध्य प्रदेश	795	1666	65
15	महाराष्ट्र	200	1745	2916
16	मणिपुर	55	109	34
17	मेघालय	4	99	38
18	मिजोरम	5	33	103
19	नागालैंड	11	20	127
20	उड़ीसा	540	105	2939
21	पंजाब	1367	1487	45
22	राजस्थान	2134	256	1913
23	सिक्किम	14	40	62
24	तमिलनाडु	167	2256	1006
25	त्रिपुरा	15	59	426
26	उत्तर प्रदेश	308	12	744
27	उत्तरांचल	2200	268	2575
28	पश्चिम बंगाल	110	610	3248
29	अंडमान एवं निकोबार	9	11	55
30	चंडीगढ़	5	8	-
31	दादर एवं नगर हवेली	1	-	10
32	दमन एवं दीव	-	2	3
33	दिल्ली	46	29	-
34	लक्षद्वीप	4	5	8
35	पुडुचेरी	-	17	73
	कुल	**10901**	**22402**	**25856**

'0' प्राप्त नहीं / उपलब्ध नहीं (01 /04 /2013 के अनुसार)
स्रोत-राज्यों के पशुपालन विभागों से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध आकड़ों के अनुसार

अनुबंध XII

2013-14 अप्रैल, 2013 से मार्च 2014 तक के दौरान भारत में पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा केंद्रों की पशुधन उत्पादों और पशुधन स्टॉक की आयात निर्यात रिपोर्ट वर्ष

क्रम सं	पशुधन (संख्या)	आयात	निर्यात
		प्रगतिशील	प्रगतिशील
1	**जलीय पशु (प्रॉन, झींगा, केकड़ा)**	181396	12674
2	**पक्षी (जंगली, घरेलू)**	2	-
3	**भैंसें**	5	-
4	**बिल्ली**	230	379
5	**गोपशु**	4	-
6	**कुत्ता**	532	1335
7	**केंचुआ**	-	80000
8	**मछली**	728380	725772
9	**बत्तख सहित जी पी चूजे**	231342	347503
10	**अश्व/ दूसरे अश्व वंशज**	121	59
11	**प्रयोगशाला पशु** (गुनिया सुअर, चूहा, चुहिया, खरगोश, मेंढक, हैमेस्टर इत्यादि)	78330	204
12	**लामा**	8	-
13	**सरीसृप/गिलहरी** (मगरमच्छ , कछुआ, छिपकली, सर्प इत्यादि)	-	10
14	**भेड़/बकरी**	4	600
15	**चिड़ियाघर पशु** (चीता, जिराफ, भेड़िया, चिम्पैंजी इत्यादि)	28	29
पशुधन उत्पाद (कि. ग्रा. तथा दूसरों को लीटर, संख्या, मात्रा में दर्शाएं)			
1	**पशु उत्पाद** (कैसीन ग्लू , बैल गाल , पित्त अम्ल, बैल पित्त पाउडर, टांका, बकरी बैजूर, एसिडलैक, कोलेकल सिफरोल,कोलिक अम्ल, कोन्ड्रॉइटिन सल्फेट इत्यादि)	74469	358780
2	**पशु आहार** (कुक्कुट, चुहिया, अश्व, गोपशु इत्यादि)	1431893	5345698
3	**जलचर उत्पाद** (मूंगा, शील्स, पाउडर बेस्ट इत्यादि)	7715	75
4	**हड्डी एवं हड्डी उत्पाद** (हड्डी चूर्ण,ग्रिस्ट, बटन. मोती, हथकरघा वस्तु इत्यादि)	467	22625523
5	**केसिंग** (बोवाइन, भेड़)	17381.343	51004
6	**अंडा/अंडा [पाउडर**	-	6994199
7	**अंडा/जलचर पशुओं के बीज** (मछली सहित)	66438	-
8	भ्रूण (बोवाइन)	-	-
9	**भ्रूण** (ओवाइन, कैप्रीन)	-	-

क्रम सं	पशुधन (संख्या)	आयात	निर्यात
		प्रगतिशील	प्रगतिशील
10	**पंख** (प्रसंस्कृत और शटल कॉक ,ब्रश, तकिया इत्यादि)	10089	26827.13
11	**मत्स्य बीज/तेल/पेस्ट** (प्रॉन बीज, झींगा बीज और आर्टेमिया सिस्ट सहित)	3197791	21353657
12.	**मत्स्य एवं मत्स्य मांस उत्पाद** (कच्चा, प्रशीतित , हिमित, स्मोक्ड इत्यादि)	9941977	18796761
13.	**फर स्किन** (सिर, पूंछ, पंजा और दूसरे टुकड़े सहित)	887.5	-
14.	**जिलेटिन /ओसीन /ग्लू** (उत्पाद, कैप्सूल्स, शीट्स,डेरिवेटिव्स)	-	4807751
15.	**हैचिंग अंडे** (बत्तख, कुक्कुट)	-	400830
16.	**खुर, सींग, नाखून,पंजे, चोंच, सींग कोर** (उत्पाद, शुष्क भोजन,कोर्स, ग्रिस्ट, बटन, हथकरघा उत्पाद इत्यादि)	60132	67514873
17.	**बोवाइन का चमड़ा, अश्व, भेड़, बकरी, सूअर, सांप इत्यादि** (वेटब्लू , समाप्त, शोधित चंदे की पपड़ी,पाउडर, आटा, परतदार इत्यादि)	11176723	7140606
18.	**मांस और मांस उत्पाद** (सूअर का मांस)	439874	
19.	**मांस और मांस उत्पाद** (कुक्कुट)	41429	2365706
20	**मांस और मांस उत्पाद** (मेमना, बकरी)	27175	
21.	**दवाई और निदान** (अलब्यूमिन, इन विट्रो प्रयुक्त रक्त/ सीरम अंश/ पशु उत्पत्ति की दवा, हेपरिन इत्यादि)	27900	249.99
22.	**दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद** (चीज़, घी, मट्ठा पाउडर, केसीन, आईसक्रीम, मक्खन, योगर्ट, लैक्टोज तेल इत्यादि)	3878762	18082059
23.	**विविध** (रेशम, शहद, कैंडी, चॉकलेट इत्यादि)	-	1613649
24.	**पालतू पशु आहार /डॉग च्यूज़**	4429059	11241512
25.	**सूअर बाल** (बिल्ले, ब्रश)	196399	1300
26.	**कच्चा फर स्किन** (सिर, पूंछ, पंजा और दूसरे टुक?ों सहित)	-	
27.	**कच्चा चमड़ा/बोवाइन की खाल, घोड़ा, भेड़, बकरी, सूअर** (ताजा, अचार, नींबू, नमकीन, शुष्क, परिरक्षित लेकिन शोधित नहीं)	6036637	5079149
28.	**कच्चा चमड़ा/ पक्षिओं के दूसरे भाग** (पंख और बिना पंख के)	-	90366
29.	**खाने योग्य तैयार वस्तु** (बिस्किट , स्नैक्स, संसाधित खाद्य इत्यादि)	-	7599041
30	**वीर्य (खुराकें)** (बोवाइन)	110312	6000

अनुबंध XIII

वर्ष 2013 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का प्रजातिवार ब्यौरा

क्रं. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
1	खुरपका और मुंहपका रोग (घरेलू)				
		बोवाइन	310	75255	7736
		भैंसें	41	7675	574
		ओवाइन/कैप्रिन	16	4004	508
		सुअर	10	171	25
		ऊँट	0	4	0
		कुल	**377**	**87109**	**8843**
2	खुरपका और मुंहपका रोग (जंगली)				
		फाउ	5	16	16
3	हैमरेज सेप्टीसीमिया				
		बोवाइन	104	1172	278
		ओवाइन/कैप्रिन	5	79	55
		भैंसें	26	465	120
		कुल	**135**	**1716**	**453**
4	ब्लैक क्वार्टर				
		बोवाइन	176	1606	370
		एवियन	1	4	1
		कुल	**177**	**1610**	**371**
5	एंथ्रेक्स				
		बोवाइन	24	99	70
		ओवाइन/कैप्रिन	7	1546	76
		कुल	**31**	**1645**	**146**
6	फेसिओलाएसिस				
		बोवाइन	137	802698	11
		ओवाइन/कैप्रिन	12	254	17
		भैंसें	8	817	5
		कुल	**157**	**803769**	**33**
7	एन्टेरोटॉक्सिमिया				
		ओवाइन/कैप्रिन	35	392	164
		बोवाइन	8	59	0
		कुल	**43**	**451**	**164**
8	भेड़ एवं बकरी चेचक				
		ओवाइन/कैप्रिन	55	913	163
9	गाय चेचक				
		बोवाइन	1	75	12
10	नीली ज़बान (ब्लू टंग)				
		ओवाइन/कैप्रिन	13	1021	67
11	सी.सी.पी.पी				
		ओवाइन/कैप्रिन	3	290	35

क्रं. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
12	एम्फीस्टोमिओसिस				
		बोवाइन	86	10046	7
		ओवाइन/कैप्रिन	26	1066	4
		भैंसें	5	80	0
		कुल	**117**	**11192**	**11**
13	सिस्टोसोमिआसिस				
		बोवाइन	4	4	0
14	स्वाइन फीवर				
		सुअर	117	16507	5902
15	सल्मोनेलोसिस				
		एवियन	30	75485	2279
		बोवाइन	4	66	5
		कुल	**34**	**75551**	**2284**
16	कोक्काइडिओसिस				
		बोवाइन	33	12496	667
		ओवाइन/कैप्रिन	13	142	1
		एवियन	387	201286	27165
		सुअर	5	25	0
		कुल	**438**	**213949**	**27833**
17	रानीखेत रोग				
		एवियन	423	179218	23275
18	फाउल चेचक				
		एवियन	212	80449	1624
19	फाउल हैज़ा				
		एवियन	151	63118	26002
20	मेरक रोग				
		एवियन	6	20606	256
		बोवाइन	1	20	5
		कुल	**7**	**20626**	**261**
21	संक्रामक बर्सल रोग				
		एवियन	273	230820	28434
22	बत्तख प्लेग				
		एवियन	79	3526	1831
23	क्रॉनिक श्वसन रोग				
		एवियन	437	370531	58094
24	कैनाइन डिस्टेंपर				
		कैनीन	**64**	**732**	**23**
25	रैबीज				
		बोवाइन	31	351	351
		कैनीन	27	130	130
		भैंसें	2	6	6
		कुल	**60**	**487**	**487**
26	बेबिसिओसिस				
		बोवाइन	162	1696	4
		भैंसें	8	188	0

क्रं. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
		ओवाइन/कैप्रिन	7	14	0
		कैनीन	4	5	0
		कुल	**181**	**1903**	**4**
27	**मेस्टिटिस**				
		बोवाइन	103	8983	0
		भैंसें	3	7	0
		ओवाइन/कैप्रिन	9	42	0
		कैनीन	0	2	0
		सुअर	2	6	0
		कुल	**117**	**9040**	**0**
28	**ट्राईपेनिसमिओसिस**				
		बोवाइन	71	876	34
		घोड़ा	1	4	0
		भैंसें	16	762	0
		ऊँट	1	145	17
		कुल	**89**	**1787**	**51**
29	**मेंज**				
		बोवाइन	16	402	0
		ओवाइन/कैप्रिन	27	1182	0
		कैनीन	5	115	0
		कुल	**48**	**1699**	**0**
30	**पेस्ट डेज पेटिट्स रूमीनेंट**				
		ओवाइन/कैप्रिन	122	4954	955
		एवियन	1	43	23
		कुल	**123**	**4997**	**978**
31	**ऐनाप्लास्मोसिस**				
		बोवाइन	37	487	2
		भैंसें	1	5	2
		कुल	**38**	**492**	**4**
32	**ब्रूसेलोसिस**				
		बोवाइन	4	30	0
		सुअर	1	8	0
		भैंसें	2	113	0
		कुल	**7**	**151**	**0**
33	**कॉरिज़ा**				
		एवियन	4	4402	3194
34	**एवियन इन्फ्लूएंजा**				
		एवियन	17	150505	492
35	**ग्लैंडर्स**				
		घोड़ा	1	4	4
36	**पी.आर.आर.एस**				
		सुअर	1	57	10$

*20949 पक्षी मारे गए
$ 243 सुअर मारे गए

अनुबंध-XIV

"पशुधन बीमा" योजना के तहत 300 चुनिन्दा जिलों की सूची

क्र. सं.	जिलों के नाम	
1	आंध्र प्रदेश (22)	
	1	आदिलाबाद *
	2	अनन्तपुर *
	3	चित्तूर
	4	कुडप्पा*
	5	पूर्वी गोदावरी
	6	गुंतूर
	7	करीमनगर
	8	खम्माम *#
	9	कृष्णा
	10	कुरनूल *
	11	महबूबनगर *
	12	मेडक
	13	नालगोंदा
	14	नेल्लौर *
	15	निजामाबाद
	16	प्रकाशम
	17	रंगारेड्डी
	18	श्रीकाकुलम
	19	विशाखापतनम
	20	विजयनगर
	21	वारंगल*
	22	पश्चिमी गोदावरी
2	अरुणाचल प्रदेश (4)	
	23	पूर्वी सियांग
	24	मोहित
	25	निचली दिबांग घाटी
	26	पश्चिमी सियांग
3	असम (6)	
	27	बारपेटा
	28	जोरहट
	29	कामरूप
	30	मोरीगांव
	31	नौगांव
	32	सोनितपुर
4	बिहार (10)	
	33	बेगूसराय
	34	भोजपुर
	35	छपरा
	36	गया #
	37	मुज्जफरपुर
	38	नालंदा
	39	पटना
	40	रोहतास
	41	समस्तीपुर
	42	वैशाली
5	छत्तीसगढ़ (5)	
	43	धमन्तरी
	44	दुर्ग
	45	महेसामुंड
	46	रायपुर
	47	राजनंदगांव#
6	गुजरात (15)	
	48	अहमदाबाद
	49	बनासकंठा
	50	भावनगर
	51	डांग
	52	जूनागढ़
	53	कच्छ
	54	खेड़ा
	55	मेहसाना
	56	नवाशरी
	57	पंचमहल
	58	राजकोट
	59	साबरकंठा
	60	सूरत
	61	बडोडरा
	62	बलसाद
7	हरियाणा (15)	
	63	भिवानी
	64	फरीदाबाद
	65	फर्तेहाबाद
	66	हिसार
	67	झज्जर
	68	जींद
	69	कैथल
	70	करनाल
	71	कुरूक्षेत्र
	72	मेवात
	73	महेन्द्रगढ़
	74	पानीपत
	75	रोहतक
	76	सिरसा
	77	सोनीपत
8	हिमाचल प्रदेश (5)	
	78	चंबा
	79	हमीरपुर
	80	कांगड़ा
	81	मंडी
	82	शिमला
9	जम्मू एवं कश्मीर (6)	
	83	अनन्तनाग
	84	बारामुला
	85	जम्मू
	86	कुपवाड़ा
	87	पुलवामा
	88	उद्यमपुर
10	झारखंड (4)	
	89	गोडा
	90	हजारीबाग #
	91	पलामू #
	92	रांची
11	कर्नाटक (14)	
	93	बागलकोट
	94	बंगलौर ग्रामीण
	95	बंगलौर शहरी

जारी ...

क्र. सं.		जिलों के नाम
	96	बेलगाम *
	97	वेल्लरी
	98	दक्षिण कन्नड़
	99	देवांगिरी
	100	गुलबर्गा
	101	हस्सन *
	102	हवेरी
	103	कोलर
	104	मनध्या
	105	मैसूर
	106	थुमकुर
12		**केरल (11)**
	107	अलापुजा
	108	एर्नाकुलम
	109	युदुकी
	110	कन्नूर
	111	कोल्लम
	112	कोटयाम
	113	कोझीकोड
	114	पलाकाड
	115	त्रिसूर
	116	त्रिवेन्द्रम
	117	वयानंद
13		**मध्य प्रदेश (20)**
	118	बालाघाट #
	119	भिंड
	120	विदिशा
	121	छत्तरपुर
	122	छिंदवाड़ा
	123	देवास
	124	धार
	125	गूना
	126	इंदौर
	127	मुरैना
	128	पन्ना
	129	रायसेन

क्र. सं.		जिलों के नाम
	130	रतलाम
	131	रीवा
	132	सागर
	133	सतना
	134	सेहोर
	135	शाहजहांपुर
	136	शिवपुरी
	137	सिद्धी
14		**महाराष्ट्र (18)**
	138	अहमदनगर
	139	औरंगाबाद
	140	बीड
	141	भंडारा
	142	गोंदिया #
	143	जलगांव
	144	जालना
	145	कोल्हापुर
	146	लातूर
	147	नागपुर
	148	नांदेड
	149	नासिक
	150	पुणे
	151	सांगली
	152	सतारा
	153	सोल्हापुर
	154	वर्धा
	155	यवतमाल *
15		**मणिपुर (6)**
	156	विष्णुपुर
	157	इंफाल पूर्वी
	158	सेनापति
	159	ताऊबाल
	160	उखरूल
	161	पश्चिमी इंफाल
16		**मेघालय (4)**
	162	पूर्वी खासी हिल्स

क्र. सं.		जिलों के नाम
	163	जेंतिया हिल्स
	164	रि भोई
	165	प. गारो हिल्स
17		**मिजोरम (4)**
	166	आइजोल
	167	चम्फई
	168	कोलासिब
	169	सइहा
18		**नागालैंड (7)**
	170	दीमापुर
	171	कोहिमा
	172	मोकोकचुंग
	173	पेरेन
	174	फेक
	175	ओखा
	176	जूनेबोटो
19		**उड़ीसा (9)**
	177	कटक
	178	जगतसिंहपुर
	179	पुरी
	180	संबलपुर #
	181	बारागढ़
	182	खुर्दा
	183	मयूरभंज
	184	क्योंझर
	185	केन्द्रपाड़ा
20		**पंजाब (19)**
	186	अमृतसर
	187	बरनाला
	188	भटिंडा
	189	फरीदकोट
	190	फतेहगढ़ साहिब
	191	फिरोजपुर
	192	गुरदासपुर
	193	होशियारपुर
	194	जलंधर

जारी ...

क्र. सं.	जिलों के नाम	
	195	कपूरथला
	196	लुधियाना
	197	मन्सा
	198	मोगा
	199	मोहाली
	200	मुक्तसर
	201	नवान शहर
	202	पटियाला
	203	रोपड़
	204	संगरूर
21	**राजस्थान (22)**	
	205	अजमेर
	206	अलवर
	207	बंशवारा
	208	बामेर
	209	भरतपुर
	210	भीलवाड़ा
	211	बीकानेर
	212	चित्तौडगढ़
	213	चुरू
	214	दुर्गापुर
	215	जयपुर
	216	जैसलमेर
	217	झलावत
	218	झुंझुनू
	219	जोधपुर
	220	कोटा
	221	नागौर
	222	प्रतापगढ़
	223	सीकर
	224	श्रीगंगानगर
	225	टोंक
	226	उदयपुर
22	**सिक्किम (4)**	
	227	पू. सिक्किम
	228	उ. सिक्किम
	229	द. सिक्किम

क्र. सं.	जिलों के नाम	
	230	प. सिक्किम
23	**तमिल नाडु (15)**	
	231	कोयंबतूर
	232	कुडलोर
	233	धर्मापुरी
	234	इरोड
	235	कृष्णागिरी
	236	नमकल
	237	सेलम
	238	तंजावुरे
	239	तिरुचिरापल्ली
	240	तिरुवन्नामई
	241	तिरूनेलवेली
	242	वेल्लौर
	243	वेलुपुरम
	244	डिंडीगुल
	245	मदुरई
24	**त्रिपुरा (2)**	
	246	पश्चिमी त्रिपुरा
	247	दक्षिणी त्रिपुरा
25	**उत्तर प्रदेश (39)**	
	248	औरया
	249	आगरा
	250	अलीगढ़
	251	इलाहाबाद
	252	आजमगढ़
	253	बलिया
	254	बाराबंकी
	255	बरेली
	256	बिजनौर
	257	बदायूं
	258	बुलंदशहर
	259	देवरिया
	260	एटा
	261	फैजाबाद
	262	फरूखाबाद
	263	फतेहपुर
	264	फिरोजाबाद
	265	गाजियाबाद

क्र. सं.	जिलों के नाम	
	266	गाजीपुर
	267	गोंडा
	268	गोरखपुर
	269	हरदोई
	270	जौनपुर
	271	काशीराम नगर
	272	खीरी
	273	महामायानगर
	274	मैनपुरी
	275	मथुरा
	276	मेरठ
	277	मुरादाबाद
	278	मुज्जफरनगर
	279	प्रतापगढ़
	280	रायबरेली
	281	सहारनपुर
	282	सीतापुर
	283	सोनभद्र #
	284	सुल्तानपुर
	285	वाराणसी
	286	उन्नाव
26	**उत्तराखंड (6)**	
	287	चमोली
	288	देहरादून
	289	हरिद्वार
	290	नैनीताल
	291	पिथौरागढ़
	292	उद्यमसिंह नगर
27	**पश्चिम बंगाल (6)**	
	293	24 परगना(उत्तरी)
	294	हुगली
	295	नादिया
	296	जलपाईगुड़ी
	297	दक्षिणी दिनाजपुर
	298	मुर्शिदाबाद
28	**गोवा-2**	
	299	उत्तरी गोवा
	300	दक्षिणी गोवा

अनुबंध XV

लेखा परीक्षा पैरा

क्रम सं.	वर्ष	लेखा परीक्षण द्वारा पुनरीक्षण के बाद पी.ए.सी. को प्रस्तुत की गयी ए.टी.एन.एस से सम्बंधित पैरा/ पी.ए. रिपोर्टों की संख्या	ए.टी.एन.एस. से सम्बंधित मामलों की पैरा/पी.ए. रिपोर्टों का ब्यौरा		
			कृत कार्रवाई नोट की संख्या जो मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजी गई.	ए.टी.एन.एस. की संख्या भेजी गयी किन्तु टिप्पणी सहित वापस लौटा दी गयी और मंत्रालय द्वारा उसके प्रस्तुतीकरण पर लेखा परीक्षा अपेक्षित है	ए.टी.एन.एस. की संख्या अंतिम रूप से लेखा परीक्षा द्वारा पुनरीक्षित की गयी किन्तु मंत्रालय के पी ए सी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है
1.	2013 का 19	2 पैरा 2.1 में दिल्ली दुग्ध योजना में वित्तीय अनुशासनहीनता और पैरा 2.3 नर भैंस बछड़ों को बचाना तथा उनको पालने के अधीन समय से पहले धनराशि जारी करना	-	-	1 (पृष्ट 2.2 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा कम शुल्क वसूली के सम्बन्ध में)
2.	2013 का 23(अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्राप्त)	-	1 विशेष पैथोजन मुफ्त चूम्प बीज गुणक केंद्र की स्थापना से सम्बंधित व्यर्थ व्यय के सम्बन्ध में पैरा 2.1	-	-

प्रयोग किए गए संक्षिप्त शब्द

ए.आई.	कृत्रिम गर्भाधान
ए आई सी	कृत्रिम गर्भाधान केंद्र
ए.एम.एफ.	एनिडरस मिल्क फैट
ए पी डी इ ए	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
ए.पी.एच.सी.ए.	एशिया और प्रशांत के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग
ए.एस.सी.ए.डी.	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
बी.ई.	बजट आकलन
बी. ई. डी. ए.	खाराजल मछली पालक विकास एजेंसी
बी.ओ.टी.	बिल्ड प्रचालन और स्थानांतरण
सी.ए.ए.	तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण
सी.ए.डी.आर.ए.डी	पशुरोग अनुसन्धान और नैदानिक केंद्र
सी.ए.एल.एफ.	पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अधिगम केंद्र
सी.बी.पी.पी	संक्रामक बोवाइन प्लूरो निमोनिया
सी.सी.बी.एफ	केंद्रीय गोपशु प्रजनन फार्म
सी.सी.आर.एफ	उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता केंद्रीय नैदानिक प्रयोगशाला
सी.डी.डी.एल	केंद्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला
सी.एफ.एफ	कैम्पिलोबैक्टर भ्रूण-भ्रूण
सी.एफ.एस.पी.टी.आई	केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान
सी.एच.आर.एस	केंद्रीय गोपशु पंजीकरण योजना
सी.आई.सी.ई.एफ	केंद्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान
सी.आई एफ.एन.ई.टी	केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान
सी.एम.यू	केंद्रीय मॉनिटरिंग यूनिट
सी.पी.डी.ओ-	केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन
सी.पी.आई.ओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
सी.एस.बी.एफ	केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म
सी.एस.ओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन

सी.एस.एस-	केंद्रीय प्रायोजित योजना
सी.वी.ई.	निरंतर पशुचिकित्सा शिक्षा
डी.सी.आई	भारत के ड्रग नियंत्रक
डी.जी.एफ.टी.	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डी.एम.आई	विपणन और निरीक्षण निदेशालय
डी.एम.एस	दिल्ली दुग्ध योजना
डी.वी.सी.एफ	डेयरी उद्यम पूंजी कोष
ई.ई.जेड	अनन्य आर्थिक क्षेत्र
ई.टी.टी.	एम्ब्रियो स्थानांतरण प्रोद्यौगिकी
एफ.ए.ओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफ.एफ.डी.ए.	मछली पालक विकास एजेंसी
एफ.एम.डी	खुरपका और मुंहपका रोग
एफ.एम.डी-सी.पी.	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
एफ.एस आई	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
एफ.एस.यू	प्रथम चरण यूनिट
जी.डी.पी	सकल घरेलू उत्पाद
जी.आई.एस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.पी.एस.	ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली
एच.ए.सी.सी.पी	आपदा विश्लेषण और संकटकालीन
आए.ए.एस.आर.आई	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसन्धान संस्थान
आई.बी.एम	इन बोर्ड मीटर
आई.बी.आर	संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेक्टिस
आई जी एफ.आर.आई	भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान
आई.एन.ए.पी.एच	पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य सूचना केंद्र
आई.ओ.टी.सी	भारतीय आसियान टूना आयोग
आई.एस.ओ	मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन
आई.एस.एस	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण

आई.यू.यू	अनरिपोर्टेड गैरकानूनी अनियमित
जे.डी.	जॉनी रोग
एम.सी.एस	मॉनिटरिंग नियंत्रण और निगरानी
एम.आई.एस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.एल.पी	प्रमुख पशुधन उत्पाद
एम.एम.एस.आर.टी	चालित सेटेलाइट सेवा रिपोर्टिंग टर्मिनलस
एम.पी.ई.डी.ए	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एम.एस.पी	न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल
एन.ए.बी.ए.आर.डी	राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक
एन सी.वी.टी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एन.डी.डी.बी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एन.डी.आर.आई	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
एन.एफ.डी.बी	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
एन.जी.सी	नई पीढ़ी की सहकारिताएं
एन.आई.सी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन.आई.एफ.पी.टी.टी	राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण संस्थान केंद्र
एन.आई.पी.एच.टी.टी	राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण केंद्र
एन.पी.सी.बी.बी	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन योजना
एन.पी आर.ई	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना
एन.एस.एस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एन.एस.एस.ओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
ओ.बी.एम	बाहय बोर्ड मीटर
ओ.आई.ई	अंतर्राष्ट्रीय ईपीजूटिस कार्यालय
ओ.एन.बी.एस	खुला केंद्र प्रजनन प्रणाली
पी.ई.डी	व्यावसायिक कुशलता विकास
पी.आर.आई	पंचायती राज संस्थान
पी.टी.पी	संतति परीक्षण कार्यक्रम

पी.वी.सी.एफ	कुक्कुट उद्यम पूंजीकोष
क्यू.आर	परिमाणात्मक नियंत्रण
आर.डी.डी.एल	क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला
आर.ई	संशोधित आकलन
आर.एफ.डी	परिणाम ढांचा दस्तावज़
आर.टी.आई	सूचना का अधिकार
एस.एच.जी	स्वयं सहायता समूह
एस.आई.ए	राज्य क्रियान्वयन एजेंसी
एस.आई.पी	सफाई आयात आज्ञा
एस.एल.बी.टी.सी	राज्य पशुधन प्रजनन और प्रशिक्षण केंद्र
एस.एल.सी.ए.एन.जी.आर	पशु आनुवांशिकी संसाधनों पर राज्य स्तर की समिति
एस.एल.एस.एम.सी	राज्य स्तर मंजूरी और मॉनिटरिंग समिति
एस.एम.पी	स्किम्ड दूध पाउडर
एस.ओ.पी	मानक प्रचलन प्रक्रिया
एस.एस.ओ.सी	राज्य वीर्य संग्रहण केंद्र
एस.एस.यू	दूसरे चरण की यूनिट
एस.टी.डी	सेक्स प्रसारित रोग
टी.सी.डी	पशुपालन सांख्यिकी के सुधार के लिए तकनीकी समिति का निदेश
टी.सी.एम.पी.एफ	तमिलनाडु सहकारिता दूध उत्पादक परिसंघ
टी.आर.क्यू	मूल्यदर कोटा
टी.एस.यू	तीसरे चरण की यूनिट
यू.बी.के.वी	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय
वी.सी.आई	भारतीय पशुचिकित्सालय परिषद
वी.के.जी.यू.वाई	विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना
वी एम एस	जलयान मॉनिटरिंग प्रणाली

सत्यमेव जयते

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

Printed at: Chandu Press: 9810519841